द्वितीय माला, खण्ड १९—अंक १३

२७ अगस्त, १९५८ (बुधवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha
(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १९ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

153(A) LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड १९--अंक ११ से २०—२५ अगस्त से ५ सितम्बर, १९५८)

पृष्ठ

अंक ११--सोमवार, २५ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४५, ४४८ और ४५२ से ४५९ . १२३९—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . १२६२--६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४३८, ४४६, ४४७, ४४९ से ४५१ और ४६० से ४९६ . . . . १२६५--८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ८६७ . . १२८३—१३१८

स्थगन प्रस्ताव--

दिल्ली में अतिसार रोग का फैलना . . . १३१९--२२

दो सदस्यों को सजा १३२२-२३

जानकारी के लिये प्रश्न १३२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३२३

राज्य सभा से सन्देश १३२४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रिविलगंज में रेल का पटरी से उतर जाना . . . १३२४

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में वक्तव्य . . १३२४—२६

समिति के लिये निर्वाचन . . . १३२६

प्राक्कलन समिति १३२६

विधेयक पुरःस्थापित १३२६-२७

१. समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, और १३२६-२७

२. भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक . . १३२७

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक—

पर विचार करने का प्रस्ताव १३२७--५७

खण्ड २ से १४ तथा १ . . . १३४३--५७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १३५७—६०

दैनिक संक्षेपिका १३६१--६७

अंक १२—मंगलवार, २६ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९८, ५०० से ५०९, ५१४, ५१५, ५१७ और ५१८ . . . . . १३६९—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . १३९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित श्न संख्या ४९७, ४९९, ५१० से ५१३, ५१६ और ५१९ से ५६० . . . . . १३९५—१४१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६८ से ९०३, ९०५ से ९३० और ९३२ से ९५३ १४१७—५१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४५२–५३

राज्य-सभा से संदेश १४५३

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . १४५३

चीनी निर्यात संवर्धन अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प—अस्वीकृत १४५३—८९

चीनी निर्यात संवर्धन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १४५३—९३

खण्ड २ से १४ और खण्ड १ . . . . १४८९–९३

पारित करने का प्रस्ताव १४९३–९६

दैनिक संक्षेपिका १४९७–१५०३

अंक १३—बुधवार, २७ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६३, ५६४, ५६६ से ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८६, ५८८, ५८९, ५९४ और ५९६ से ५९८ . १५०५—३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५७१, ५७२, ५७७, ५८२, ५८४, ५८५ ५८७, ५९० से ५९३, ५९५ और ५९९ से ६२८ . . १५३२—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से १०१२ . . १५५०—७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५७४–७५

राज्य सभा से संदेश १५७५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन . . १५७५

व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक— . . . १५७५

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १५७६—८४

खण्ड २ से १३६ और १ . . . . १५८०—८४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . १५८४—८६

पृष्ठ

केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १५८६—९६

खण्ड १ से १२ १५९५

पारित करने का प्रस्ताव १५९६

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों पर चौधरी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव . . . . . १५९६—१६१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १६१३—१९

अंक १४--गुरुवार, २८ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६३०, ६३२, ६३४ से ६३६, ६३८, ६३९, ६९४ ६४१ से ६४५ और ६४७ १६२१—४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . १६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६२९, ६३३,६३७, ६४०, ६४६, ६४८ से ६७१, ६७३ और ६७५ से ६९३ १६४४—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से ११२४ . १६६५—१७२१

स्थगन प्रस्ताव--

मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी के ११३५ प्रवीण कर्मचारियों का अलग किया जाना १७२१

डा० गैटोन्डे के विरुद्ध अभियोग को वापस लेने सम्बन्धी तारांकित प्रश्न के बारे में वक्तव्य . . . . . १७२२—२४

देश में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम तथा बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य . १७२४–२५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७२५–२६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन १७२६

केन्द्रीय बिक्री कर (दूसरा संशोधन) विधेयक--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७२६--३२

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १७३२--४२

खण्ड २ तथा १ . . . . . १७४२

पारित करने का प्रस्ताव १७४२–४३

पृष्ठ

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १७४३--५४

कार्यमंत्रणा समिति--

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . . १७५४

दैनिक संक्षेपिका १७५५--६३

अंक १५-- शनिवार, ३० अगस्त, १९५८--

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६९५, ६९७, ४९८, ७०१ से ७०६, ७०८, ७१० से ७१४, ७१६ से ७१८ और ७२३ . १७६५--८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ६९६, ६९९, ७००, ७०७, ७०९, ७१५, ७१९ से ७२२ और ७२४ से ७४८ . १७९०--१८०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२५ से ११८८, ११९० से ११९३ और ११९५ से १२०६ १८०५--३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८३३-३४

सभा का कार्य १८३४-३५

सागर में विद्यार्थियों तथा सनिकोंमें हुई मुठभेड़ के सम्बन्ध में वक्तव्य . १८३५

समितियों के लिये निर्वाचन १८३५

१. प्राणिविज्ञान का केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ।

२. भारतीय विज्ञान संस्था परिषद्, बंगलौर ।

कार्य मंत्रणा समिति--

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन १८३६--३७

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव १८३७--५२

खण्ड २ और ३ . . . . . १८५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन . . . १८५२

एकाधिकार रखने वाले साथी के कार्यों के सम्बन्ध में संकल्प . . १८५३--५८

राष्ट्रीय भारतीय युवक परिषद् बनाने के सम्बन्ध में संकल्प . . १८५८--६७

दैनिक संक्षेपिका १८६८--७४

पृष्ठ

अंक १६--सोमवार, १ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- .

तारांकित प्रश्न संख्या ७५० से ७५२, ७५४, ७५६, ७५७, ७५९, ७६०, ७६२, ७६४, ७६५, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२, ७७६ से ७७९, ७८१ और ७८२ . . . १८७५—१९०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४९, ७५३, ७५५, ७५८, ७६१, ७६६, ७६९, ७७१, ७७३ से ७७५, ७८०, ७८३, ७८४ से ७८६ और ७८८ से ७९२ . १९०१—०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२६९ १९०९—३८

स्थगन प्रस्ताव . . . . . १९३९—४२

(१) मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी में कर्मचारियों का काम से अलग किया जाना; और

(२) पांडेचेरी में संवैधानिक व्यवस्था की कथित विफलता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९४३

समितियों के लिये निर्वाचन सम्बन्धी विनियमों के संशोधन-- . .

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९४३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १९४३

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—पुरःस्थापित : . . . १९४३–४४

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

खण्ड ३ से ११, १४ से २०, २२ से ३०, १२, २१ और १ १९४४—५५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . १९५५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १९५६—७०

अखबारी कागज के लिये आयात अनुज्ञप्तियां तथा कागज के मूल्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा १९७०--७५

दैनिक संक्षेपिका १९७६--८१

अंक १७—मंगलावार, २ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७९४ से ८०१ और ८०३ से ८०७ . . १९८३--२००६

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३, ८०२ और ८०८ से ८१५ और ८१७ से ८३९ . . . २००६—२०

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७० से १३८० और १३८२ से १३८६ २०२०—७४

जानकारी के लिये प्रश्न २०७४

रेलवे के कार्य–संचालन सम्बन्धी चर्चा के बारे में सुझाव . . २०७४

स्थगन प्रस्ताव . . . . . २०७४—७७

१. कडुम बांध का टूट जाना ; और

२. बेरोजगारी के कारण एक परिवार के सदस्यों द्वारा कथित आत्म-हत्या ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २०७७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०७७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

आठवां प्रतिवेदन . २०७८

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ के उत्तर की शुद्धि . . . २०७८

दिल्ली में हैजा और अतिसार के बारे में वक्तव्य . . . २०७८-७९

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २०७९—२११३

खण्ड २ से ९ और १ . २०९४—२११३

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २११३—१७

खण्ड १ और २ . . २११७

पारित करने का प्रस्ताव . . . २११७

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २११७—१९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २१२०—२६

अंक १८—बुधवार, ३ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४१ से ८४८, ८५०, ८५३, ८५६, ८५८ से ८६१, ८६४ और ८६५ . . . . . २१२७—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०,८४९, ८५१, ८५२, ८५४, ८५५, ८५७, ८६२, ८६३, ८६६ से ८९३ . . . २१५२—६७

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८७ से १४५५ और १४५७ से १४६० २१६८--९६

स्थगन प्रस्ताव--

उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति . २१९६--९९

राज्य सभा से संदेश २१९९

सभा से अनुपस्थिति की अनुमति २१९९

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २१९९--२२०५

खण्ड २ से ४ और १ २२०५

पारित करने का प्रस्ताव २२०५

राज घाट समाधि (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २२०६--१६

रेलवे भाड़ा दर चार्ज समिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव . . . २२१६--२७

दैनिक संक्षेपिका २२२८--३४

अंक १९--गुरुवार, ४ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८ से ९०१, ९०३, ९०५, ९०७, ९०८
९११, ९१४ से ९१८, ९२० से ९२२ और ९२६ २२३५--६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६, ८९७, ९०२, ९०४, ९०६, ९०९,
९१२, ९१३, ९१९, ९२३ से ९२५, ९२७ से ९३९ और ९४१
से ९४६ . . . . . २२६०--७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५१२, १५१४ से १५२६ और १५२८ २२७२--९८

स्थगन प्रस्ताव-- २२९८--२३०३

केरल में स्थिति . २२९८--२३०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३०३-०४

राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक--

विचार करने के लिये प्रस्ताव २३०४--०९

खण्ड २, ३ और १--पारित करने के लिये प्रस्ताव . . २३०९

सरकारी भग्रहदि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक १९५८-- २३०९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . २३१०--२१

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद २३२१--४१

दैनिक संक्षेपिका २३४२--४६

अंक २०--शुक्रवार, ५ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ से ९५७, ९५९ और ९६१ से ९६५ २३४७--७१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . २३७१--७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ९५८, ९६० और ९६६ से १००८	२३७३--९३
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२९ से १६०८ और १६१० से १६३१	२३९३--२४४२
दो सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में	२४४२-४३
विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में	२४४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४४३-४४
१९५८-५९ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें	२४४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
मध्य रेलवे के दो पुलों का बह जाना	२४४४--४६
सभा का कार्य	२४४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के शुद्धि	२४४६-४७
सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक--	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२४४७--६३
महेन्द्र प्रताप सिंह सम्पदा (निरसन) विधेयक--पुरस्थापित :	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--	२४६३
(धारा ५६ तथा १२३ का संशोधन)--पुरस्थापित :	२४६४
संविधान (संशोधन) विधेयक--	
(अनुच्छेद १३४, १३६ तथा १४५ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६४
वनस्पति में रंग मिलाना विधेयक--	
पुरस्थापित	२४६४
मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ३ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६५
भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक--	
(धारा १०३ का संशोधन)-- पुरस्थापित	२४६५
संसदीय विशेषाधिकार विधेयक--	
पुरस्थापित	२४६५
प्रादेशिक परिषद् (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ३, २२, ३० तथा ३६ का संशोधन)--पुरस्थापित	२४६६
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	२४६६--७३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--	
(धारा ५५-क, ८२ तथा ११६-क का संशोधन)--वापस लिया गया	२४७३--८०
विचार करने का प्रस्ताव	२४७३--८०
छावनी (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	२४८१-८२
दैनिक संक्षेपिका	२४८३--९०

नोट:--मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

बुधवार, २७ अगस्त, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

†**अध्यक्ष महोदय:** अब प्रश्न पूछे जायेंगे। श्री वि० च० शुक्ल और श्री श्रीनारायण दास अनुपस्थित हैं।

†**श्री जोकीम आल्वा :** श्रीमन्, इस के पहिले कि आप अगले प्रश्न को लें, मैं सीमा विवादों से सम्बन्धित प्रश्न संख्या ५६३, ५६९, ५९८ और ६०८ में आप से यह निवेदन करता हूं कि भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों की आगामी वार्त्ता की दृष्टि से और एक स्वस्थ वातावरण बनाने के लिये, ये प्रश्न स्थगित कर दिये जायें और आज न रखे जायें। क्या आप इस बात पर गौर करेंगे कि ये प्रश्न न तो आज रखे ही जायें और न उन के उत्तर ही दिये जायें ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस बारे में प्रधान मंत्री अन्य माननीय सदस्यों की अपेक्षा अधिक जानते हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मुझे दोनों बातों पर आपत्ति नहीं है। इन प्रश्नों के उत्तर में बताये गये तथ्य सभा में पहिले ही वक्तव्यों या वाद-विवाद के दौरान में वास्तव में व्यक्त किये जा चुके हैं; और अब कोई नई बात नहीं कहनी है। इन प्रश्नों के उत्तर में उल्लिखित तथ्य कोई मानें नहीं रखते किन्तु यदि, अनुपूरक प्रश्नों के दौरान में यदि कोई प्रतिकूल बात कह दी गई तो उस का दूसरों पर अच्छा प्रभाव न पड़ेगा। फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** सामान्यतः मैं कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करता; हम कार्यवाही चालू रखेंगे परन्तु मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे जो कुछ कहा जा चुका है उसे ध्यान में रख कर सतर्क रहें और ऐसे प्रश्न न पूछें जो होने वाले किसी संभव समझौते में बाधक हों।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** श्रीमन्, आप का क्या निर्णय है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : निर्णय, कार्यवाही चालू रखने का है। माननीय सदस्यों को इस बात की सावधानी रखनी चाहिये कि वे ऐसे प्रश्न न पूछें जिन से एक या दूसरे पक्ष में उत्तेजना फैले।

भारत-पाक सीमा विवाद

†*५६३. **श्री वासुदेवन् नायर :**
श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
सरदार इकबाल सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम राज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, १९५८ के पहिले सप्ताह में पाकिस्तानी दस्तों ने सीमा के इस पार मदनापुर चाय बागानों और महिशासन के श्रमिकों पर गोली चलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मारे गये और घायल हुए ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) जी, नहीं। इस अवधि में कोई गोली चलाने की घटना नहीं हुई। परन्तु जून के पहिले कई बार पाकिस्तानी सेनाओं ने गोली चलाई थी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है ? दूसरा प्रश्न।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : आज कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे।

एंटीबायोटिक्स

*५६४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आयात किये गये एंटीबायोटिक्स उपभोक्ताओं को काफी बढ़ी चढ़ी कीमतों पर बेचे जाते हैं ; और

(ख) आयात किये गये पेनीसिलीन, स्ट्रेप्टोमाइसीन टेट्रासिसलीन की जहाज से उतारे जाने पर क्या कीमतें होती हैं और फुटकर में उन की क्या कीमत ली जाती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी, नहीं। निर्मित माल को बनाने के लिये दवाइयां बनाने वाले एककों द्वारा ही मुख्यतया एंटीबायोटिक्स का आयात किया जाता है। उपभोक्ताओं को फुटकर में बेचे जाने के पहिले उन पर बनाने का खर्च तथा अन्य दूसरे खर्च लगते

†मूल अंग्रेजी में

हैं। विभिन्न कीमतों तथा फुटकर कीमतों की सांख्यकी तथा वास्तविक आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और सभा-पटल पर रखे जायेंगे।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह सच है कि पेनीसिलीन थोक में ३० नये पैसे प्रति मेगा यूनिट के हिसाब से आयात की जाती है और फुटकर में १.२५ रुपये के भाव से बेची जाती है।

†**श्री मनुभाई शाह** : आंकड़े लगभग ठीक ही हैं। जहाज से उतारे जाने पर किराया भाड़ा सहित कीमत ३४ नये पैसे आती है। इसके बाद आयात शुल्क तथा पत्तन खर्च मिलाकर वह ४३ नये पैसे हो जाती है। आयात की गई पेनिसिलीन विशुद्ध रूप में रहती है, उसे साफ किया जाता है, छोटी शीशियों में बन्द किया जाता है और तब फुटकर कीमत लगायी जाती है। मैं उत्तर में पहिले ही बता चुका हूं कि इस सारी प्रक्रिया के विभिन्न खर्चों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा। परन्तु मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि थोक या फुटकर मूल्यों के बीच के अन्तर से उपभोक्ताओं के मूल्य में कोई अत्यधिक बोझ नहीं डाला गया।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह सच है कि पिछले दिनों फुटकर बाजार में एन्टीबायोटिक्स की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। इन महत्वपूर्ण और जीवन-रक्षक दवाइयों की कीमतों को इस वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक ऐंटीबायोटिक्स का सम्बन्ध है, पेनिसिलीन और स्ट्रेप्टोमाइसिन की कीमत नहीं बढ़ीं। वास्तव में हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स ने अपनी पहिले की कीमतों में हाल ही में कमी कर दी है।

†**श्री वें० प० नायर** : मेरा मतलब केवल पेनीसिलिन से नहीं है। मैं आरोमाइसिन तथा टेट्रासिसलिन तथा अन्य दवाइयों के बारे में कह रहा हूं।

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक अन्य बायोटिक्स का सम्बन्ध है जो न तो थोक में आयात ही किये जाते और न ही देश में बनाये जाते हैं, उनकी कीमतें कुछ सीमा तक विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण बढ़ गई हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के सिवाय अन्य एंटीबायोटिक्स की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : आरोमाइसिन की कीमत २० प्रतिशत बढ़ गई है। उसके बारे में भी जैसा मैं वचन दे चुका हूं पूरा ब्यौरा सभा-पटल पर रखा जायेगा।

नमक उद्योग

+

†५६६. { **श्री वासुदेवन् नायर** :
श्री वें० प० नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय नमक बोर्ड ने नमक उद्योग के विकास और इस उद्योग में लगे हुए लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिये भारत सरकार को एक योजना भेजी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना के ब्यौरे क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २१**]।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : क्या इस उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिये कोई आधार-भूत या अल्पतम मजूरी निर्धारित करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कुछ राज्यों में नमक मजदूरों पर भी अल्पतम मजूरी अधिनियम लागू होता है परन्तु सभी राज्यों में ऐसी बात नहीं है।

†**श्री वें० प० नायर** : नमक उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है और जिन राज्यों का माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है उनमें अल्पतम औसत मजूरी क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वितरण करने वाले श्रमिकों को मिलाकर श्रमिकों की कुल संख्या ४.५ लाख है। मैं अपने इससे पहिले के उत्तर में यह बता चुका हूं कि कुछ राज्यों में अल्पतम मजूरी १=) से लेकर १।।।=) तक है। परन्तु जिन राज्यों में अल्पतम मजूरी अधिनियम लागू नहीं किया गया वहां इतनी मजूरी नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : क्या केन्द्रीय अथवा प्रादेशिक नमक सलाहकार बोर्ड ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई योजना भेजी है। इन योजनाओं को अपनाने के लिए केन्द्रीय सरकार या सम्बंधित राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि मैं सभा पटल पर रखे गए विवरण में उल्लेख कर चुका हूं, इन बोर्डों का ठीक यही कार्य है। विकास कार्यों तथा अन्य विविध गतिविधियों की योजनाओं में चालू वर्ष में ३८ लाख रुपये खर्च होंगे।

अमेरिका के साथ वस्तु विनिमय[1]

+

श्री डी० चं० शर्मा :
श्री वोडयार :
*६३५. † { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री दामानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३१ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४० के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे मेंगनीज की थोक बिक्री के बदले में अमेरिका से गेहूं का आयात करने के प्रस्ताव को अब तक कोई अंतिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Barter Deal with America.

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस वस्तु विनिमय वाले लेन देन का क्या हुआ और वह पूरा क्यों नहीं हुआ ?

†**श्री कानूनगो** : इस पर चर्चा हो रही है ; यह वास्तव में एक उलझन पूर्ण समस्या है और इसमें समय लगेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : अंतिम व्यवस्था कब तक हो जाने की आशा है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह चर्चा कब से चल रही है और वास्तव में वह कौन सी कठिनाई है जिसके कारण इसे अंतिम रूप दिए जाने में कठिनाई हो रही है ?

†**श्री कानूनगो** : इस पर पिछले छः माह से चर्चा चल रही है । हम जो माल दे रहेहैं ; उसकी किस्म और कीमत के स्वीकार किए जाने में कठिनाई हो रही है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि अमेरिका के वस्तु साख निगम[1] ने अपने प्रशासन की एक विशेष उपसमिति से मेंगनीज की किस्म की जाँच करने के लिए कहा है और क्या इस समिति ने अपना उत्तर दे दिया है ?

†**श्री कानूनगो** : हम से जो भी जानकारी मांगी गई थी वह हमने भेज दी है । हमें इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली कि निगम ने समिति से क्या करने को कहा है ?

†**श्री जयपाल सिंह** : माननीय मंत्री ने कहा है कि समस्या उलझनपूर्ण है । क्या हम इन उलझनों के बारे में कुछ अधिक जान सकते हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मैं इसे स्पष्ट कर चुका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न कर सकते हैं ।

†**श्री कानूनगो** : माल किस्म, और उसकी कीमतों का स्वीकार किया जाना ही ये समस्याए हैं ।

†**श्री त्यागी** : क्या कच्चे मेंगनीज के बदले में फेरी मेंगनीज के लेन-देन की संभावना नहीं है ?

†**श्री कानूनगो** : हम यथासंभव मेंगनीज तथा फेरो मेंगनीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु उत्पादन पर्याप्त नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : कल तारांकित प्रश्न संख्या ५१४ के उत्तर में, मैंने यह बताया था कि हम जो कुछ आयात कर रहेहैं उसके बारे में एक करार हो चुका है परन्तु हम किस किस्म का मेंगनीज निर्यात करेंगे इसके बारे में अभी कुछ तय नहीं हुआ । क्या मैं जान सकता हूं कि इस दृष्टि से हम कितनी मात्रा निर्यात करेंग और क्या इसके बारे में कोई करार हो चुका है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं सभा को यह सूचित करता हूं कि यह मामला कुछ समय से विचाराधीन है और इसके बारे म एक मोटा सा समझौता हो गया है परन्तु अभी तक कोई अंतिम करार नहीं किया गया । ३१ जुलाई, १९५८ को अमेरिका के कमोडिटी

---

†मूल अंग्रेजो में

[1]U. S. Commodity Credit Corporation.

क्रेडिट कारपोरेशन के प्रतिनिधि दिल्ली आए थे और उन्होंने राज्य व्यापार निगम और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों से बात चीत की थी। अभी तक कोई करार नहीं हुआ है परन्तु उन्होंने इस मामले पर बातचीत कर ली है और हम उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री दासप्पा** : राज्य व्यापार निगम इस मेंगनीज को किस कीमत पर खरीद रहा है और अमेरिका इसके लिए क्या देने को तैयार है ?

†**श्री कानूनगो** : राज्य व्यापार निगम मेंगनीज की किस्म के अनुसार उसकी कीमत देता है। वह स्थान स्थान पर भिन्न होती है। अमेरिका क्या कीमत देने को तैयार है, इसके बारे में कोई सूचना नहीं हैं।

†**श्री दासप्पा** : हम यह अदल-बदल का लेन देन क्यों कर रहे हैं ? क्या हम स्वतंत्र लेन देन नहीं कर सकते ? हम अपना कच्चा मेंगनीज बेच सकते हैं और उससे मिलने वाली विदेशी मुद्रा से हम जो चाहें खरीद सकते हैं।

†**श्री कानूनगो** : माननीय सदस्य को मालूम है कि पिछले एक वर्ष से सारे संसार में मेंगनीज की मांग कम हो गई है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या यह अदला-बदली का लेन देन केवल मेंगनीज तक ही सीमित है अथवा अभ्रक आदि जैसी चीजों पर भी विचार हो रहा है।

†**श्री कानूनगो** : फिलहाल बातचीत केवल मेंगनीज तथा फेरो मेंगनीज की विभिन्न किस्मों तक ही सीमित है।

पौधों में रेडियोधर्मिता[1]

†*५६८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौधों पर रेडियोधर्मिता का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में डा० इविले गोरहम, एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने जो पता लगाया है, उसके बारे में २ जून, १९५८ को स्टेट्समेन में जो रिपोर्ट छपी है, क्या सरकार का ध्यान उसकी ओर गया है ;

(ख) क्या भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भी कोई ऐसी ही खोज की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा करने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अणु शक्ति प्रतिष्ठान ट्राम्बे के स्वास्थ्य, भौतिकी तथा प्राणि शास्त्र विभाग इस समस्या में विशेष रुचि रखते हैं तथा पौधों और पौधों के उत्पादों पर रेडियोधर्मिता की खोज करने के लिये यथासमय एक कार्यक्रम शुरू करेंगे ?

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : चूंकि इंग्लैंड में होने वाले परीक्षण उस राख पर आधारित हैं जो १९४७ के पहिले पौधों से निकाली गई थी, तो क्या हमने भी इसी प्रकार का कोई क्षेत्र निश्चित किया है जहां से हम पौधे लेंगे और यह देखेंगे कि उन क्षेत्रों में दूसरे क्षेत्रों की रेडियोधर्मिता कितनी अधिक है जिससे लोगों को इस सम्बन्ध में सतर्क किया जा सके कि वे उस क्षेत्र की चीज़ें न खायें और ढोरों को भी उनसे बचाया जा सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Radioactivity.

†**अध्यक्ष महोदय :** वे परीक्षण किस प्रकार करें, इसके बारे में यह एक सुझाव है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जहां तक मुझे ज्ञात है, हम भारत के किसी ऐसे क्षेत्र को नहीं जानते जो रेडियोधर्मिता से अधिक प्रभावित है और मुझे यह भी नहीं मालूम कि कोई राख विदेशों से लाई जा रही है । इस दृष्टि से देश के पौधों की परीक्षा की जा रही है । मुझे पता चला है कि देश के विभिन्न भागों से प्राप्त घास के नमूनों पर यह परीक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है । इन नमूनों पर अब तक की रेडियोधर्मिता नगण्य है ।

फाजिल्का के निकट भारतीय पुलिस पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस का आक्रमण

†*५६९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री वाजपेयी :
श्री उ० ल० पाटिल :
श्री कुमारन :
श्री न० रा० मुनिस्वामी ।
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री मू० चं० जैन :
श्री विभूति मिश्र :
श्री खुशवक्त राय :
श्री स० म० बनर्जी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री दामानी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री सरजू पांडे :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री दलजीत सिंह :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री राधा रमण :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री हेम राज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सशस्त्र पुलिस ने भारत-पाक सीमा पर पंजाब में अमरुका सिंचाई नहर पर आक्रमण किया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि इस आक्रमण में सात भारतीय पुलिस कर्मचारी मारे गये और कई घायल हुये ;

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार के पास इसका कोई विरोध किया गया और प्रति-कर की मांग की गई और उसका क्या परिणाम निकला ;

(घ) क्या इस घटना की संयुक्त जांच करने का भी आदेश दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो जांच की उपपत्तियां क्या हैं ;

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) पाकिस्तान सरकार के पास इसका घोर कड़ा विरोध किया गया है और लोगों के मरने की पर्याप्त क्षतिपूर्ति करने की मांग की गई है । अभी इस मामले पर पाकिस्तान सरकार से बातचीत हो रही है ।

(घ) और (ङ). जी हां । एक संयुक्त जांच की गई थी जिसमें जालंधर डिवीज़न के कमिश्नर भारत के प्रतिनिधि और मुलतान और बहावलपुर के कमिश्नर पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे । दोनों कमिश्नर किसी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाये जिन से दोनों सहमत हों । हमारे कमिश्नर ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाकिस्तानी सीमा पुलिस ने बाकायदा योजना बना कर यह कार्यवाही की थी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरा विचार था कि इस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस पर अनुपूरक प्रश्न न पूछे जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा । अगला प्रश्न ।

तालचर की विलियर्स कोयला खान

\+

†*५७०. { **श्री बोस :**
श्री पाणिग्रही : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तालचर स्थान पर विलियर्स कोयला खान के प्रबन्धकों ने २९ मई, १९५८ से श्रमिकों को काम करने से रोक दिया है ;

(ख) उक्त कोयला खान में कितने समय तक श्रमिकों की मजूरी का भुगतान नहीं किया गया ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के समा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारी

२७-९-५७ को समाप्त होने वाले सप्ताह से २९-११-५७ तक और २१-२-५८ के बाद ।

मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी

फरवरी १९५८ से ले कर ।

(ग) मजूरी भुगतान अधिनियम की धारा १५ के अन्तर्गत उपयुक्त प्राधिकारियों को चार आवेदन पत्र भेजे गये हैं ।

†श्री बोस : क्या खानों में श्रमिकों को काम करने की इजाज़त न देने से पूर्व नियमित रूप से तालाबन्दी की घोषणा की गई थी ?

†श्री ल० ना० मिश्र : खानों को बन्द करने से पूर्व तालाबन्दी की घोषणा नहीं की गई थी ।

†श्री पाणिग्रही : नियोजक ने गत तीन मास से खानें बन्द कर रखी हैं ; सरकार ने इन्हें खुलवाने और श्रमिकों को पुनः रोज़गार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : खानें बन्द हो गई हैं । मैं ने बताया कि मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनपत्र विचाराधीन हैं । कुछ मामलों में न्याय हो चुका है और मजूरी का भुगतान करने के आदेश भी दिये जा चुके हैं परन्तु प्रबन्धकों ने उन आदेशों को खारिज कराने के लिये उच्च-न्यायालय से अपील कर दी है । अन्य मामलों पर अभी निर्णय किया जाना है । और कुछ एक मामलों में न्यायालय ने जायदाद ज़ब्त कर लेने के आदेश दिये हैं और भुगतान कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†श्री पाणिग्रही : मेरा प्रश्न यह था कि खानों को खुलवाने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : हम उड़ीसा सरकार और श्रमिकों के तीन संघों के प्रतिनिधियों से खानों को पुनः चालू करने की सम्भावना के बारे में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में काफी प्रगति हो चुकी है ।

†श्री महन्ती : यह देखते हुये कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम नये कोयला क्षेत्रों की खोज कर रहा है । सरकार ने उन खानों को पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की है जो हाल ही में बन्द हुई हैं ।

†श्री आबिद अली : इस प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूं ।

†श्री महन्ती : क्या यह आश्वासन दिया जा सकाता है कि कितने समय में...

†अध्यक्ष महोदय : यहां आश्वासन की मांग नहीं की जाती ।

†श्री बोस : उस खान में किस किस्म का और कितना कोयला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली :** बढ़िया किस्म का और काफी मात्रा में ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** कुछ मास पहले उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी कि खानों का प्रबन्ध तथा संचालन राष्ट्रीय कोयला विकास निगम करे । उस प्रस्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है ? क्या राज्य सरकार के सुझाव को ठुकरा दिया गया था ?

†**श्री आबिद अली :** वह प्रस्थापना व्यावहारिक नहीं समझी गई थी ।

†**श्री तंगामणि :** मूल प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत दावे किये गये हैं । क्योंकि खानें बन्द हो गई हैं इसलिये क्या श्रमिकों को प्रतिकर मिला है ?

†**श्री आबिद अली :** श्रमिकों को मजूरी नहीं मिली है ; तो प्रतिकर का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री पाणिग्रही :** नियोजक ने गत तीन मास से खानें बन्द कर दी हैं । राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में किन उपायों का सुझाव दिया है अथवा केन्द्रीय मंत्रालय इस विषय में क्या कार्यवाही कर रहा है कि श्रमिकों को गत तीन मास के लिये भी मजूरी मिले ?

†**श्री आबिद अली :** मैं बता चुका हूं कि हम इस विषय में क्या कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे न्यायालय से न्याय करा रहे हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इस कम्पनी ने खानों को बन्द करने के कौन से विशेष कारण बताये हैं ?

†**श्री आबिद अली :** वित्तीय कठिनाइयां ।

चाय के निर्यात पर उपकर

+

†*५७३. **श्री सूपकार :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली चाय पर वसूल किये जाने वाले उपकर में १ जून, १९५८ से कुछ रियायतें दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस से चाय के निर्यात को कहां तक प्रोत्साहन मिला है ; और

(ग) डिब्बों में बन्द चाय पर उत्पादन शुल्क कम करने के अतिरिक्त 'साधारण प्रकार की चाय' को अधिक सुविधायें देने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी हां ।

(ख) चाय के निर्यात पर शुल्क को कम करने का क्या प्रभाव पड़ा अभी यह पता लगाना सम्भव नहीं ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सूपकार** : कितना निर्यात बढ़ने का अनुमान है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता । चाय निर्यात शुल्क में कमी का क्या प्रभाव पड़ा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता यह मैं मूल प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** : अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के समाप्त हो जाने पर भारतीय चाय को संसार के अन्य देशों से, जिन्हें निर्यात शुल्क नहीं देना पड़ता है, बहुत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है क्या इस बात को देखते हुए सरकार निर्यात शुल्क के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मैं ने बताया कि मामला विचाराधीन है ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : यह देखते हुए कि गत २ मास में चाय के निर्यात में २८ करोड़ रुपये की कमी हो गई है, सरकार क्या कार्यवाही करेगी जिस से

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : शायद माननीय सदस्य को गलती लगी है । वस्तुतः गत दो मास में चाय का निर्यात बढ़ा है । मेरे पास इस समय ठीक-ठीक आंकड़े तो नहीं हैं परन्तु गत मास में निर्यात काफी बढ़ा है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्षमा कीजिये; इस वर्ष के प्रारम्भ के दो मास में २८ करोड़ रुपये का निर्यात कम हुआ था ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : १९५८ के पूर्वार्द्ध में १९०० लाख पौंड चाय का निर्यात हुआ जबकि १९५७ के पूर्वार्द्ध में १७४० लाख पौंड था ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या इस बात की ओर ध्यान दिया गया है कि ब्रिटेन में, जो भारतीय चाय का सब से बड़ा खरीदार है, मार्किट क्यों कम हो गई है और गत छः मास में उसे निर्यात क्यों कम हुआ है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : ब्रिटेन में मार्किट कम नहीं हुई है । भारतीय चाय अब भी वहां सब से अधिक खरीदता है । मात्रा में कमी बेशी होती रहती है । सम्भव है कि गत वर्ष उस ने बहुत ज्यादा चाय खरीद ली हो और स्टाक अब भी जमा हो । यह सच है कि कुछ अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है जिस के लिये भारत में चाय के मूल्यों में कुछ समायोजन करना पड़ेगा और इस बारे में विचार किया जा रहा है ।

†**श्री फीरोज़ गांधी** : क्या सरकार ने पूर्वी अफ्रीका को चाय के पौधे और पत्तियां निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में कोई निर्णय किया है क्योंकि भारत के चाय व्यापार पर इस का बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : हमारी चाय बागान लगाने की सामग्री . . . .

†**श्री फीरोज़ गांधी** : बागान लगाने की सामग्री नहीं ; पौधे और बीज ।

†**श्री कानूनगो** : मेरा अभिप्राय पौधों और बीज से ही है । इसका निर्यात सीमित है और इस का हमारे चाय व्यापार पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना माननीय सदस्य डर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हेडा** : क्या सरकार हमारे चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिये जो गत वर्षों में कम हो रहा था तत्काल कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई दीर्घकालीन योजना बना रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : केवल इसी वर्ष चाय का निर्यात पहले वर्षों से कुछ कम रहा । पिछले वर्ष भी पूर्वगामी वर्ष से कुछ कम ही था परन्तु चाय के निर्यात की औसत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । औसत में कोई कमी नहीं हुई । एक वर्ष में चाय कुछ असाधारण तौर पर ज्यादा खरीदी गई थी । माननीय सदस्य उसी वर्ष के आंकड़ों से तुलना करते हैं ।

†**श्री फीरोज गांधी** : माननीय मंत्री ने कहा कि चाय के पौधों और बीज के निर्यात का हमारे चाय व्यापार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता । यह देखते हुए कि चाय के बीज के विकास में १२ वर्ष लगते हैं क्या भविष्य में हमें इस से हानि नहीं पहुंचेगी ?

†**श्री कानूनगो** : मैं ने बताया कि यह सीमित है । इस पर और प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

†**श्रीमती मंजुलादेवी**: क्या यह सच है कि भारतीय चाय घटिया होने के कारण विदेशों में इस की मांग कम है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : ऐसी बात नहीं है । भारतीय चाय बढ़िया होने के कारण ही इस की मांग अधिक है । बहुत से देशों में भारतीय—आसाम और दार्जिलिंग—की चाय सर्वोत्तम मानी जाती है और वह उसी को आदर्श मान कर अपनी चाय में सुधार करने का प्रयत्न करते हैं । परन्तु मूल्य के कारण गड़बड़ हो रही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : त्रिपुरा में साधारण चाय का उत्पादन बहुत होता है परन्तु कई कठिनाइयों के कारण जिन में से एक अत्यधिक विमान भाड़ा भी है, चाय बागानों को काफी हानि हो रही है । इस बात को देखते हुए सरकार ने विमान भाड़े को कम करके और अन्य रियायतें दे कर वहां साधारण चाय के उत्पादन का प्रोत्साहन करने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : त्रिपुरा के अतिरिक्त आसाम में कचार प्रदेश, दक्षिण के कुछ क्षेत्र और पंजाब की स्थिति भी ऐसी ही है । इस मामले की पूरी तरह जांच की जा रही है ।

पेटेंट औषधियों और बच्चों के खाद्यपदार्थों[1] के मूल्य

\+

†*५७४. **श्री अनिरुद्ध सिंह :**
श्री दामानी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण सामान्यत:

---

[1]Baby Food.

†मूल अंग्रेजी में

देश में और विशेषत: राजधानी में पेटेंट औषधियों और बच्चों के खाद्य पदार्थों के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) मूल्य प्रवृत्ति को लगातार देखा जा रहा है और वस्तु की आवश्यकता को देखते हुए यदि आवश्यक समझा गया तो उपाय किये जायेंगे ।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या सरकार को विदित है कि कुछ डाक्टर मरीज़ों के नाम पर स्थानीय उत्पादकों से बच्चों की खाद्य वस्तुएं मंगा कर चोर बाजार को बढ़ावा देते रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो** : यह तो बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों की खाद्य वस्तुओं और दूध के पाउडर का देशीय उत्पादन बढ़ रहा है । डाक्टरों की ऐसी गतिविधियों के बारे में राज्य सरकारों को अधिक जानकारी होगी ?

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या 'हार्लिक्स' और नैसलज़ मिल्क आदि तैयार करने वालों को सरकार ने हाल ही में भारत में उत्पादन आरम्भ करने की अनुज्ञा दी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : यह सही है । हाल ही में पांच योजनायें स्वीकृत की गई हैं—दो भारतीय और तीन विदेशी—जिन के अनुसार बच्चों के सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार किये जायेंगे ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये कैंटीन स्टोर विभाग को कितनी मात्रा में बच्चों के खाद्य पदार्थों का आयात करने की अनुमति दी गई थी और क्या आयात में कोई कमी की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रतिरक्षा कैंटीन स्टोर के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं । चालू वर्ष में आयात नीति के अन्तर्गत लगभग ४० लाख रुपये के बच्चों के खाद्य पदार्थों का आयात करने की अनुमति दी गई थी ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि डिब्बों में बन्द फलों और सब्ज़ियों के दाम देशी निर्माताओं ने विदेशी प्रतियोगिता के अभाव में इतने बढ़ा दिये हैं कि जनसाधारण को बड़ी दिक्कत हो गई है ? यदि हां, तो सरकार इस के बारे में क्या कुछ करने को सोच रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यह बात ठीक है कि इन दवाइयों इत्यादि के दाम कुछ ज्यादा बढ़ गये हैं . . .

श्री अनिरुद्ध सिंह : डिब्बों में बन्द फलों तथा सब्ज़ियों के भी ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इन चीज़ों से इस सवाल का सीधा सम्बन्ध तो नहीं है । यह तो सिर्फ दवाइयों पर और बेबी फूड पर सवाल है । सब्ज़ियां वगैरह इस में कैसे आ सकती हैं, मैं नहीं समझ सका हूं । लेकिन जहां तक मैडिसिंस तथा बेबी फूड वगैरह का ताल्लुक है, कीमतें कुछ ज्यादा बढ़ी हैं । दूसरे शहरों में भी मैं ने देखा है और फिगर्स को भी कम्पेयर किया है लेकिन बहुत ज्यादा अन्तर

---

†मूल अंग्रेज़ी में

नहीं है । यह बात जरूर है कि दिल्ली में खास तौर पर कीमतें बहुत बढ़ गई हैं । जैसे अभी मेरे साथी ने कहा कि हम पांच फैक्ट्रियां बनाने जा रहे हैं । एक दो पर तो काम करीब करीब पूरा हो चुका है । एक नाभा में होगी, दूसरी पटियाला में और तीसरी अलीगढ़ में । उस से इस में सहूलियत होगी । लेकिन मैं ने जो फिगर्स देखी हैं उन को देखने से पता चला है कि दाम बढ़े हैं दिल्ली में और मैं समझता हूं कि कुछ खास कदम उस तरफ उठाने होंगे और हम लोग जरूर इस पर विचार करेंगे कि कौन से कदम उठाये जा सकते हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : ये प्रतिबन्ध लागू होने से पूर्व इस देश में बच्चे के खाद्य पदार्थों का कुल कितना आयात किया गया था और यह देखते हुए कि बहुत ही कम वस्तुयें बच्चों के खाने योग्य होती हैं क्या इस बारे में आयात नीति को कुछ उदार बनाने के बारे में विचार किया जाये गा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जब आयात पर कोई कड़ा प्रतिबन्ध नहीं था तब १,७०,०००,००० रुपये के माल का आयात किया गया था । हाल ही में लगभग ४० प्रतिशत कमी कर दी गई है । मैं ने बताया है कि आधे वर्ष में लगभग ४० लाख रुपये के बच्चों के खाद्य पदार्थ आयात करने की अनुमति दी गई है । इस के लिये और विदेशी मुद्रा आवंटित करना सम्भव नहीं है ।

सल्फा औषधियों का निर्माण

†*५७५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सल्फा औषधियों के निम्नलिखित कच्चे माल से देशीय उत्पादन करने का काम किस अवस्था में है :

(१) सल्फा अनलान्यूड[1];

(२) सल्फा थिवजाब[2];

(३) सल्फा गिवनडाइव[3];

(४) सल्फा मेराजीन[4];

(५) सल्फा पेरीडाइव[5] ; और

(ख) इन के उत्पादन के बारे में विदेशी फर्मों की क्या स्थिति है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२]**

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : विवरण से पता चलता है कि मूल उत्पादों से कोई सल्फा औषधि तैयार नहीं की गई है । देशीय मूल उत्पादों से ये सल्फा औषधियां कब तक तैयार होने लगेंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम रूसी, अमरीकन, ब्रिटिश, जर्मन और इटली की फर्मों से बातचीत कर रहे हैं और आशा है कि इस वर्ष की समाप्ति तक इन औषधियों के उत्पादन की सभी प्रारम्भिक परियोजनायें तैयार हो जायेंगी और आगामी तीन वर्ष में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति अथवा तृतीय योजना के प्रारम्भ में अधिकतर औषधियां भारत में तैयार होने लगेंगी ।

---

[1]Sulpha Analanude.
[2]Sulpha Thivzob.
[3]Sulpha Guivanidive.
[4]Sulpha Merazine.
[5]Sulpha Pyredive.

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : विवरण से पता चलता है कि इस समय केवल दो प्रमुख कम्पनियां ये सल्फा औषधियां तैयार कर रही हैं--एक तो विदेशी कम्पनी है और दूसरी भारतीय जिसे विदेशी सहयोग प्राप्त है । इन कम्पनियों के नाम और उत्पादन क्षमता क्या है ?

†श्री मनुभाई शाह : एक 'अतुल' जो अमरीकन सापनाइड से मिली हुई है और दूसरी 'मे एण्ड बेकर' । अतुल की क्षमता ११४.३२ टन और 'मे एण्ड बेकर' की ३६.७ टन ।

शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी

+

*५७६. { श्री स० म० बनर्जी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सूपकार : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बारे में ६ मई को सुरक्षा परिषद् के सभापति को जो पत्र लिखा था क्या उसके विरोध में भारत ने ११ जून, १९५८ को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् को कोई पत्र लिखा था; और

(ख) क्या इन पत्रों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां ।

(ख) पत्रों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जाती हैं [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३**]

†**श्री स० म० बनर्जी** : ६ मई के इस पत्र में प्रतिनिधि ने लिखा है :

"काश्मीर के उस भाग में जिस पर भारत का कब्जा है क्या हो रहा है इस बारे में पर्यटकों द्वारा जानकारी न मिल सके इसीलिये यह किया गया । इस सम्बध में न्यूजीलैण्ड के एक पर्यटक श्री रोनल्ड शर्पे के कथन का उदाहरण दिया जाता है । उनका कहना है कि :

'काश्मीर के कठपुतली प्रधान मंत्री बखशी गुलाम मुहम्मद जो ४० लाख लोगों पर बड़ी बेरहमी और डोगरा सेना के साथ शासन कर रहे हैं ' "

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब क्या है ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या न्यूजीलैण्ड सरकार के पास इसके विरोध में कोई पत्र भेजा गया है जहां के पर्यटक ने कहा कि . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ऐसी बातों का उल्लेख यहां कर रहे हैं । किसी ने कोई बेकार सी बात कह दी होगी । उसे यहां दोहराने से क्या लाभ ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : यह सभा पटल पर रखा गया है मैं उसी में से पढ़ रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या किसी अन्य व्यक्ति की यह राय सभा-पटल पर रखी गई है ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा लिखे गये पत्र, जो आज सभा-पटल पर रखा गया है, में यह लिखा है । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या इन टिप्पणियों का विरोध किया गया था ? और उसे ऐसी बातें क्यों कहने दी गईं ?

†**श्री सादत अली खां** : किसी साधारण व्यक्ति के कथन को हम इतना महत्व नहीं दे सकते ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : उसने कहा कि काश्मीर में कठपुतली सरकार है क्या इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कर सकते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे सभा-पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं थी ।

†**प्रधान मंत्री और वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य उस पत्र में से उदाहरण दे रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान सरकार के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखा था और जिसका उत्तर हम ने दिया । प्रश्न के उत्तर में और माननीय सदस्य द्वारा प्रार्थना करने पर दोनों पत्रों की प्रतियां सभा-पटल पर रख दी गईं । पाकिस्तान के प्रतिनिधि कई प्रकार के वक्तव्य देते रहते हैं । उसके लिये हम जिम्मेदार नहीं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मेरा प्रश्न बड़ा साधारण है....

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : काश्मीर के बारे में शेख अब्दुल्ला की और मेरी योजनायें एक सी थीं । उन्हें कब रिहा किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री हेम बरुआ** : ये देखते हुए कि श्री रोनल्ड शर्पे जैसे पर्यटकों ने हमारे देश के खिलाफ जो बातें कही हैं उसका संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के प्रतिनिधि दुरपयोग करेंगे सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा काश्मीर राज्य को क्या मंत्रणा दी है जिस से पर्यटक परिवहन को इस प्रकार नियंत्रित तथा विनियमित करें जिसे हमारा हित हों अहित्त नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य को मालूम होगा कि हम अनुचित अधिकार नहीं जमाते । हम अपने विरोधियों को भी अपने खिलाफ राय व्यक्त करने के अवसर देते हैं ।

सरकारी इमारतों की सजावट

†*५७८. **श्री राधा रमण** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी इमारतों की सजावट के लिये विभिन्न कलाकृतियों की सिफारिश करने वाली मंत्रणा समिति ने कोई सिफारिशें की हैं ;

---

†मल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो समिति ने किस प्रकार की सिफारिशें की हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर कोई निर्णय किया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां।

(ख) समिति ने उन सरकारी इमारतों की एक प्रयोगात्मक सूची तैयार की है जो प्राय: दिल्ली में ही हैं और जिन्हें चित्रों और मूर्त्तियों आदि से सजाया जायेगा ।

(ग) नहीं ।

†**श्री राधा रमण** : क्या इस समिति को सजावट पर होने वाले व्यय का अनुमान बताने का भी अधिकार है और क्या पंचवर्षीय योजना अथवा आवास मंत्रालय के आय-व्ययक में इसके लिये व्यवस्था की गई है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह तो स्वाभाविक है कि जब कोई समिति सिफारिशें करती है तो उसकी लागत का भी अनुमान बताती है । इसके लिये एक सीमा निर्धारित की गई है और हमें उसके भीतर ही खर्च करना है । परन्तु विशेष परिस्थितियों में हम उस से अधिक खर्च कर सकते हैं ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार यह विचार कर रही है कि अपने देश के कुछ कलाकारों को, जिनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, इस कार्य के लिये नियुक्त कर लिया जाये ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी हां ; यह योजना भारतीय कलाकारों द्वारा ही कार्यान्वित की जायेगी और हम नवयुवक कलाकारों को प्राथमिकता देंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकारी इमारतों की सजावट के लिये सिफारिशें करने वाली समिति ने बेकार की सजावट को हटाने की भी सिफारिश की है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : समिति का काम सरकारी इमारतों की सजावट के लिये सिफारिशें करना है न कि वर्तमान सजावट की वस्तुओं को हटाने का ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इन कलाकारों के चुनावों का सम्बन्ध है, क्या सरकार उनका चुनाव शांति निकेतन और काशी में जो कुछ बहुत प्रसिद्ध कलात्मक केन्द्र हैं इन सब गैर-सरकारी संस्थाओं से भी पूछ कर करेगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इस समिति में भारत की कला संस्थाओं के मुख्य हैं । शान्ति निकेतन का भी एक प्रतिनिधि है ।

उर्वरक का आयात

†*५७९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी कोरिया ने भारत को उर्वरक का संभरण करने की पेशकश की है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इसे स्वीकार कर लिया गया है ;

(ग) क्या इस बारे में उत्तरी कोरिया के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां । उत्तर कोरिया के लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से उर्वरक के संभरण की पेशकश हुई थी ।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : उत्तरी कोरिया ने किस प्रकर के उर्वरक देने को कहा है ?

†**श्री कानूनगो** : उन्होंने ५,००० टन अमोनियम सल्फेट देने को कहा है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या देशीय उवर्रक के मूल्य से इस उर्वरक का मूल्य अधिक होगा या कम ?

†**श्री कानूनगो** : यह मूल्यों की तुलना का सवाल नहीं है ; यह तो उपलब्ध होने और नौपरिवहन का सवाल है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : यह देखते हुए कि हमारे देश में उरर्वक की आधी से अधिक मांग पूरी नहीं हो रही है सरकार उत्तर कोरिया के समेत सभी संसाधनों से उवर्रक का आयात करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आयात बहुत सीमित है ।

रूरकेला परियोजना

†*५८०. **श्री संगण्णा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास करने और उड़ीसा सरकार के साथ इस समस्या पर बातचीत करने के लिये भारत सरकार का एक अधिकारी अप्रैल, १९५८ में रूरकेला परियोजना क्षेत्र गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). जी हां । ऐसा प्रतीत हुआ है कि वहां पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की शीघ्र कोई आशा नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री संगण्णा** : क्या पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये दलदल क्षेत्रों में भूमि-अधिग्रहण के लिये भारत सरकार द्वारा मिदनापुर जिले में कोई योजना बनाई जा रही है और यदि हां, तो इन व्यक्तियों को किस सीमा तक आवास मिल सकेगा ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : यह प्रश्न उड़ीसा से सम्बन्धित है और माननीय महोदय अब सहसा पश्चिमी बंगाल के बारे में पूछने लगे हैं । विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये एक योजना है और मिदनापुर जिले में भूमि अधिगृहीत की जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम एक विशिष्ट प्रश्न से दूर--व्यापक प्रश्न की ओर जा रहे हैं । हमें रूरकेला तक ही सीमित रहना चाहिये ।

†**श्री संगण्णा** : यह उसी योजना के सिलसिले में है जो वहां बनाई जा रही है । उसी सम्बन्ध में मैं ने प्रश्न पूछा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न केवल रूरकेला से सम्बन्धित है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या रूरकेला इस्पात कारखाने में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को अकुशल श्रमिकों के रूप में प्राथमिकता देने की कोई योजना है ? क्या इस विषय में कोई बातचीत हुई थी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : हमारे एक अधिकारी ने रूरकेला इस्पात कारखाने के एक प्रभारी अधिकारी से इस विषय में बातचीत की थी । उन्होंने विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये पर्याप्त सहानुभूति व्यक्त की किन्तु उनके सामने दो कठिनाइयां हैं । पहली है, स्थानीय विस्थापित व्यक्ति और फिर वहां की जनता । किसी भी शरणार्थी को नियोजन करने के पूर्व पहले इनका ध्यान रखना पड़ता है ।

†**श्री संगण्णा** : क्या रूरकेला इस्पात कारखाने में जाने वाले विशेष अधिकारी की उड़ीसा सरकार से चर्चा हुई थी और यदि हां, तो चर्चा का क्या परिणाम है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : किस विषय की चर्चा से अभिप्राय है ?

†**श्री संगण्णा** : रूरकेला परियोजना में लोगों को बसाने के बारे में ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : राज्य सरकार से चर्चा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । यह चर्चा केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय के अधिकारी और रूरकेला कारखाने के प्रभारी अधिकारी के बीच हुई थी ।

पटसन उद्योग

†*५८१. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८ जून, १९५८ को भारतीय पटसन मिल्ज एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में समाचार-पत्रों को दिये गये उस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह उल्लेख किया गया था कि अमेरिका में भावों की

---

†मूल अंग्रेजी में

गिरावट की प्रवृत्ति से सामान्य तथा पटसन उद्योग विपणन केन्द्रों में अर्थ-व्यवस्था क्षीण हो गई है और तैयार की गई वस्तुओं के शीघ्रतापूर्वक बढ़ते हुए स्टाक की समस्या आजकल पटसन मिलों के सामने प्रस्तुत हो गई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस दिशा में स्थिति का स्वतंत्र निर्धारण किया है और यह बात निश्चित की है कि अमेरिका में 'बर्लाप'[1] की मांग में कमी होने का प्रभाव स्टाक इकट्ठा होने पर कहां तक पड़ा है ; और

(ग) उपरोक्त कारण अथवा अन्य किसी कारण से कितनी पटसन मिलें बंद हुई हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) सरकार ने वक्तव्य देखा है ।

(ख) पूर्व वर्षों की तुलना में अप्रैल १९५८ तक स्टाक में असामान्य वृद्धि नहीं हुई है । मई और जून १९५८ में स्टाक की वृद्धि के कारण हैं : (१) अर्जेण्टीना में पटसन निर्मित वस्तुओं के आयात पर आकस्मिक प्रतिबंध, (२) मिस्र में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयां, (३) गोदी हड़ताल; और (४) अमेरिका में भावों में गिरावट । अमेरिका में भावों की गिरावट के फलस्वरूप स्टाक एकत्रित होने की निश्चित सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

(ग) इस कारण एक भी मिल बंद नहीं हुआ है । जनवरी १९५७ में अन्य कारणों से आठ मिल बंद हो गये हैं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : अमेरिका से 'बर्लाप' की वार्षिक मांग कितनी है और इस वर्ष हमने कितनी मात्रा में इसे बेचा है ?

†**श्री कानूनगो** : १९५७ में ८३१० लाख गज बेचा है । १९५८ में मई तक लगभग ३४६० गज बेचा गया है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि विश्व बाजार में कृषि उत्पादों के विषय में सामान्य गिरावट है अतः बर्लाप और पटसन वस्तुओं की मांग में कमी अनिवार्य है ? क्या इस अवस्था की पूर्व कल्पना की गई थी और यदि हां, तो वे क्या उपचारात्मक कार्यवाही कर रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो** : आस्ट्रेलिया सदृश कई देशों में अनावृष्टि के कारण बर्लाप की मांग में कमी की सम्भावना है । किन्तु सरकार नये बाजारों को ढूंढने और वर्तमान बाजारों में मांग बढ़ाने के लिये यथासम्भव प्रयत्न कर रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

†*५८३. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन से हंगरी के प्रतिनिधि मण्डल को निकालने में भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल ने क्या रुख अपनाया था ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल ने हंगरी के प्रतिनिधि मण्डल को निकालने के विरुद्ध मत दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Burlap.

†**श्री अरविन्द घोषाल** : यह विषय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समक्ष रखने की क्या आवश्यकता थी जब कि हंगरी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है ?

†**श्री आबिद अली** : कुछ प्रतिनिधि मण्डलों ने हंगरी के प्रतिनिधि मण्डल के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लेने पर आपत्ति प्रकट की और इसीलिये मतदान किया गया ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में हंगरी के प्रतिनिधि मंडल की उपस्थिति पर कूछ प्रतिनिधि मण्डलों द्वारा आपत्ति उठाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री आबिद अली** : उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि मण्डल जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है क्योंकि वहां की वर्तमान सरकार प्रतिनिधि सरकार नहीं है ।

खारे पानी के सोते

†*५८६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की मांग करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में मण्डी के निकट मैगाल के आसपास खारे पानी के अनेक सोते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या खारे पानी की प्रवाह क्षमता का निर्धरण किया गया है ;

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो खारे पानी का औसत प्रवाह प्रति मिनट कितना है ;

(घ) इस खारे पानी का कितना भाग नमक में परिवर्तित किया जाता है ; और

(ङ) खारे पानी के सम्पूर्ण स्रोत का नमक बनाने के सम्बन्ध में सरकार के पास क्या प्रस्ताव है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) ६० गैलन प्रति मिनट ।

(घ) लगभग ५ प्रतिशत ।

(ङ) संघनक और स्फटामक[1] के एक नये सैट की सहायता से, जिनका निर्माण आजकल प्रगति पर है, खारे पानी की बढ़ती हुई मात्रा के प्रयोग करने का विचार है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने बताया है कि लगभग ९५ प्रतिशत खारा पानी व्यास नदी में मिल जाता है । सरकार इस खारे पानी को नमक में परिवर्तन करने की योजना कब तक बनायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जब नये संघनक स्थापित कर दिये जायेंगे तो इसका वर्तमान उत्पादन २,१०० मन से बढ़कर १०,००० मन हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Condensers and Crystallizers.

कपास का आयात

†*५८८. **श्री त्यागी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में कुल कितनी कीमत की कपास आयात की गई है और १९५८-५९ और १९५९-६० में कितनी कपास आयात करने का विचार है ;

(ख) गत वर्ष कोर्स, मध्यम, उच्च और सुपरफाइन कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का उत्पादित किया गया था और प्रत्येक किस्म का कितना कपड़ा बाहर भेजा गया ; और

(ग) क्या सरकार कपास के निर्यातकों के लिये यह अनिवार्य करने का विचार रखती है कि वे जितनी कीमत का कपास मंगाते हैं उतनी ही कीमत का कपड़ा बाहर भेजें ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला टिप्पण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २४**]

†**श्री त्यागी :** सरकार बारह महीने रहने वाली २५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि को किन आधारों पर औचित्ययुक्त समझती है । यह हानि भारत में उच्च और सुपरफाइन कपड़ों क खपत स सम्बन्धित है और यह विलास की एक ऐसी वस्तु है जिस से बचा जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** आपका क्या मंशा है । क्या हम उच्च और सुपरफाइन वस्त्रों का प्रयोग ही न करें ?

†**श्री त्यागी :** विवरण से यह प्रकट है कि सरकार देश की भीतरी खपत के लिये उच्च और सुपरफाइन कपड़ा बनाने की दृष्टि से हर वर्ष विदेशी कपास का आयात कर रही है । इसका शायद ही निर्यात किया जाता हो ; यह केवल आन्तरिक खपत के लिये है । मेरी समझ में यह नहीं आता कि आज के दुर्धर्षपूर्ण युग में भारत में उच्च और सुपरफाइन कपड़े के प्रयोग के लिये सरकार हर वर्ष २५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि क्यों सहन करती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह बातें बजट वाद-विवाद के दौरान कह सकते हैं ।

†**श्री त्यागी :** मेरी आशंका है कि .....

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य केवल जानकारी के लिये प्रश्न पूछ सकते हैं । वे नीति सम्बन्धी प्रश्न न पूछें । यदि माननीय सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि भविष्य में हम ऐसे वस्त्र का प्रयोग करें जिसके लिये कपास देश में ही पैदा होती है तो इस पर वित्त विधेयक और बजट के समय चर्चा हो सकती है ।

†**श्री त्यागी :** क्या देश में आयात की जाने वाली कपास केवल भीतरी खपत के लिये आवश्यक वस्त्र के निर्माण में ही काम आती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Fine.

†**श्री कानूनगो** : यह कुछ अंश में निर्यात भी होती है । किन्तु विदेशी कपास के आयात की पृष्ठभूमि में मुख्य भावना यह रही है कि लम्बे रेशों वाली कपास उत्पादन करने वाले देशों से व्यापार माध्यम प्रारम्भ किये जायें । जब तक हम मिस्र, सूडान तथा अन्य देशों से कपास नहीं खरीदेंगे उन्हें हम बेच भी नहीं सकते हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या कोर्स और मध्यम कपड़ा विदेशों में अच्छी मात्रा में जा रहा है और यदि हां, तो क्या उसके निर्यात से हमारे यहां संचित स्टाक में कुछ कमी होगी ?

†**श्री कानूनगो** : अब कपड़ों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लड़खड़ा रहा है ।

श्री त्यागी : मैं उन मिस्री देशों से हमारे व्यापार का अनुपात जानना चाहता हूं जहां से हम विदेशी कपास मंगाते हैं ।

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास जानकारी नहीं है । मैं यह माननीय सदस्य को दे दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या हम अपनी रूई दे कर उसके आयात से नहीं बच सकते हैं । क्या लम्बे रेशे वाली कपास को भारत में ही उगाने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : लम्बे रेशे वाली कपास इसी देश में पैदा करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और इसकी प्रगति सन्तोषजनक रही है । इस समय हम लम्बे रेशे वाली एक लाख और कुछ गांठें उत्पादन कर रहे हैं जब कि विभाजन के पश्चात् इसका उत्पादन कुछ नहीं था ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यहां पर जितने लम्बे सूत की रूई का उत्पादन होता है उसके अनुपात में बाहर से जो रूई मंगाई जाती है, वह क्या कुछ कम हो रही है या वह अभी भी बढ़ रही है ?

श्री कानूनगो : हमारा उत्पादन जितना बढ़ता जायगा उतना ही वह कम होती जायगी। हमारा उत्पादन अभी ज्यादा नहीं बढ़ा है ।

†**श्री त्यागी** : भारत से बाहर निर्यात किये जाने वाले कोर्स और मध्यम कपड़े की कीमत हर वर्ष लगभग ४० करोड़ रुपये होती है । क्या मिस्र और सूडान के अतिरिक्त अन्य स्थानों में इस कोर्स और मध्यम कपड़े के विपणन के लिये बाजार ढूंढे गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मिस्र के अतिरिक्त हम अन्य देशों को भी मध्यम और कोर्स कपड़ा भेज रहे हैं । मैं नीति सम्बन्ध प्रश्न की चर्चा नहीं कर रहा हूं । लेकिन, श्रीमान् मैं आपकी अनुमति प्राप्त कर श्री त्यागी से यह पूछता हूं कि यदि विदेशी कपास का आयात रोक दिया जाये या उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये तो उन सब मिलों का क्या होगा जो उच्च और सुपरफाइन कपड़ा बना रहे हैं? हम एकदम यह आयात नहीं रोक सकते हैं । हमारा लक्ष्य इसी देश में कच्चा सामान पैदा करना है किन्तु इसके लिये समय चाहिये । विदेशी वस्त्र पर एकदम प्रतिबंध लगाने का अर्थ है बम्बई और अहमदाबाद के मिलों को बंद कर देना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : क्या इस बात का कोई प्रयत्न हो रहा है कि जितना हम अच्छी कौटेन का माल तैयार करत हैं वह अभी केवल कुछ थोड़े से देशों को जाता है, वह अन्य देशों में भी जाये और क्या इस प्रकार का कोई प्रयत्न हो रहा है और वे कौन से देश हैं जिनमें कि इस कपड़े क भेजने का प्रयत्न हो रहा है ?

श्री कानूनगो : टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल इसीलिए बनाई गई है और वह सब मुल्कों में निर्यात करने की चेष्टा कर रहीं है लेकिन हालत यह है कि इस साल चीन और जापान ने जो माल भेजा है उसकी कीमत बहुत कम हो गई है और हमारी कीमत ज्यादा हो गई है ।

पश्चिमी जर्मनी के साथ व्यापार

+

*५८९. **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री बीरेन राय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी जर्मनी के साथ १९५७-५८ में भारत के व्यापार की कमी को दूर करन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) पश्चिमी जर्मनी को निर्यात और वहां के आयात के बार में क्या वर्तमान अवस्था है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) पश्चिमी जर्मनी को भारतीय निर्यात में वृद्धि करने क लिये सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। निर्यात बढ़ाने के लिय जो मुख्य मुख्य कदम उठाये गये हैं उन्हें बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५]** आशा है कि सम्पूर्ण देशों से आयात में कमी करन के लिये जो कार्यवाही की गई है और कदम उठाये गये हैं वह पश्चिमी जर्मनी के साथ हमारे व्यापार की कमी को दूर कर देंगे ।

(ख) पश्चिमी जर्मनी को की जाने वाली भारतीय वस्तुओं के निर्यात में पिछले कुछ महीनों में १९५७ की अपेक्षा कुछ कमी हो गई है । इसका कारण पश्चिमी यूरोप में मुख्यत: आर्थिक गिरावट और औद्योगिक गतिविधि की मंद गति है । इस अवधि में पश्चिमी जर्मनी से आने वाली वस्तुओं में भी कमी हो गई है और पूर्ववर्ती अवधि की अपक्षा अन्तर साधारण तौर पर कम ही है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : अभी तक जो उपाय किये गये हैं उनसे क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री कानूनगो** : अभी तक कोई उल्लेखनीय परिणाम नहीं निकला है किन्तु एक बात यह स्मरण रखना है कि पश्चिमी जर्मनी के आयात में पर्याप्त वृद्धि हो गई है वस्तुत: यह १९५४-५५ में ४० करोड़ रुपये से बढ़कर १९५७-५८ में १२४ करोड़ रुपये हो गया है । यह अभी और बढ़ेगा क्योंकि हमें पश्चिमी जर्मनी से भारी मशीनों के उपकरण मंगाना है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या पश्चिमी जर्मनी में व्यापार संवर्द्धन परिषद् स्थापित की गई है ?

†**श्री कानूनगो** : अभी यह स्थापित नहीं हुई है । यह बहुत शीघ्र कार्य प्रारम्भ करेगी ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से मालूम होता है कि पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने हथकरघा वस्तुएं बचन क लिय भारत को सहायता देने के लिये विशेषज्ञों की सेवाएं अर्पित की हैं । इसके परिणामस्वरूप हथकरघा निर्मित वस्तुओं के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**श्री कानूनगो** : पश्चिमी जर्मनी के विशेषज्ञ अभी तक यहां नहीं आये हैं ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : मुझे मालूम हुआ है कि हथकरघा बोर्ड पश्चिमी जर्मनी में केन्द्र स्थापित कर रहा है । अभी तक कितने केन्द्र स्थापित किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : तीन में से दो केन्द्र स्थापित कर दिये गय हैं और एक स्थापिक किया जाने वाला है ।

शक्ति-चालित करघों का निर्यात

†*५९४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि शक्ति चालित करघे जम्मू तथा काश्मीर राज्य से भारत के पूर्वी भाग में बदल दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार से भविष्य में उस राज्य से भारत के किसी अन्य राज्य में शक्तिचालित करघे भेजने के निर्यात परमिट न जारी करने के लिये कहा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) और (ख) जी हां ।

अल्युमिनियम फैक्टरी, सैलम (मद्रास)

†*५९६. { **श्री तंगामणि** :
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने मद्रास राज्य में सैलम (मेत्तूर) में अल्युमिनियम फैक्टरी की स्थापना के भविष्य के बारे में प्राथमिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त फैक्टरी आरम्भ करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २६]

†श्री तंगामणि : विवरण से प्रकट है कि एक फ्रांसीसी सार्थ ने प्राथमिक सर्वेक्षण किया है और प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने शिवराय पहाड़ियों में बाक्साइट के संसाधनों के बारे में भी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। प्रस्तावित सयंन्त्र के सम्बन्ध में काम कब प्रारम्भ किया जायेगा?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा मैंने विवरण में बताया है जो सार्थ इस सयंत्र की स्थापना में रुचि ले रहा है उसने अभी हमारे सामने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये हैं। ज्यों ही प्रस्ताव हमारे सामने आयेंगे हम शीघ्र ही उन पर विचार करेंगे।

†श्री तंगामणि : विवरण से मालूम होता है कि कुछ गैर सरकारी सार्थ भी उसमें अत्यधिक रुचि रखते हैं। क्या यह भी सच नहीं है कि मद्रास के एक उद्योगपति से इस विषय की चर्चा किये हुए दो वर्ष से अधिक गुजर चुके हैं यह बातचीत दक्षिण भारत मिल मालिक संस्था के एक अध्यक्ष से हुई थी। यहां अथवा बाहर से ऋण प्राप्त करने के लिये कदम क्यों नहीं उठाये गये हैं?

†श्री मनुभाई शाह : आरम्भिक अवस्था में जैसा सदन को मालूम है, यह विशिष्ट परियोजना गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र में स्थापित करने का विचार किया गया था किन्तु नवीन गतिविधियों और साधनों की कमी के कारण हमने प्राइवेट कार्य को इसमें रुचि प्रदर्शित करने की अनुमति दे दी। इसमें रुचि रखने वाला व्यक्ति इटली गया है। उसके विशेषज्ञ भी वहां गये हैं। और वे इस समय बातचीत कर रहे हैं। गम्भीर बार्ता चल रही है और मुझे आशा है कि वे शीघ्र ही परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

†श्री तंगामणि : क्या सरकार ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित यह रिपोर्ट देखी है कि मद्रास के उद्योग मंत्री के अनुसार १०,००० टन वाले संयन्त्र पर १२ करोड़ रूपये खर्च होंगे तथा विदेशी सार्थ भारतीय उद्योगों के साथ सहयोग करने के लिये तत्पर हैं और मशीनें खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा के अंश की पूर्ति वे ही करेंगे? मैं जानाना चाहता हूं कि मद्रास के मुख्य मंत्री किन विदेशी सार्थ के बारे में यह बात कह रहे थे?

†श्री मनुभाई शाह : मद्रास के मंत्री जब यूरोप यात्रा से लौटे तो मैं स्वयं उनसे मिल चुका हूं। जब हमने मद्रास सरकार से सम्पर्क स्थापित किया और यह बताया कि इस विषय में रुचि रखने वाला प्राइवेट सार्थ ही भारत सरकार से बातचीत करेगा तो सम्पूर्ण विषय का स्पष्टीकरण हो गया। यह किसी भ्रमवश हो गया था और मद्रास के उद्योग मंत्री ने यह कह दिया था कि इसे वे स्वयं अथवा प्राइवेट सार्थ स्थापित करेगा।

†श्री जाधव : क्या बम्बई राज्य के कोल्हापुर में कोई अल्युमिनियम फैक्टरी आरम्भ करने की संभावना है?

†श्री मनुभाई शाह : निकट भविष्य में इस बात की कोई आशा दिखाई नहीं देती है।

†श्री तंगामणि : विवरण के अनुसार इस संयन्त्र की अन्दरूनी पूंजी ४ करोड़ रूपये है। इन आन्तरिक संसाधनों का प्रयोग करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : यह काम भारत सरकार का नहीं है प्राइवेट सार्थ हमारे विचारार्थ एक परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और भारतीय रुपया और विदेशी मुद्रा की व्यवस्था भी वही करेगी। यदि यह सामान्य विदेशी मुद्रा उपलब्ध होने के अन्तर्गत है तो हम योजना का अनुमोदन करेंगे ।

केन्द्रीय श्रम संस्था, बम्बई

+

†*५९७. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त

क्या श्रम और रोजगार मंत्री ३१ मार्च १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रम संस्था, बम्बई के लिये नये भवन का निर्माण अब आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अभी नहीं।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने भवन निर्माण के लिये प्राक्कलन तैयार किये हैं इनकी परिनिरीक्षा की जा रही है ।

†श्री सुबोध हंसदा : इस भवन के निर्माण के लिये कुल कितनी रकम पृथक निर्धारित की गई है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : लगभग २७ लाख रुपये ।

†श्री सुबोध हंसदा : निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

†श्री ल० ना० मिश्र : आशा है कि इसी वर्ष निर्माण आरम्भ कर दिया जायेगा।

सीमावर्ती घटनाएं

+

†*५९८. { श्री साधन गुप्त :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले में गोंगरा सीमा आउट पोस्ट के अन्तर्गत छपरा और मुर्शिदाबाद जिले में रानी नगर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत राजानगर और मुंशीपाड़ा में २७ मई, १९५८ को दो घटनाएं घटी थीं जिनमें पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस भारतीय रास्ट्र-जनों और ढोरों को उठाकर ले गई ;

(ख) यदि हाँ, तो इन घटनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उसके पश्चात् किसी भारतीय राष्ट्रजन को मुक्त किया गया है अथवा ढोर लौटाये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिये पाकिस्तानी अधिकारियों मे कहा गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुए हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख) : जी हां नदिया जिले के पी० एस० छपरा के अन्तर्गत भारतीय राज्य क्षेत्र में ६० पाकिस्तानी घुस आये और भारतीय गड़रियों के एक समूह पर आक्रमण कर २० ढोरों को उठा ले गये ।

दूसरी घटना जिला मुर्शिदाबाद में पी० एस० रानीनगर में चार राजानगर और मुंशीपाड़ा में हुई थी । पांच पाकिस्तानी सशस्त्र कांस्टेबल, जिनके साथ २० पाकिस्तानी थे, भारतीय सीमा में घुस गये और तीन भारतीय राष्ट्रजनों का अपहरण कर लगभग २०,००० रुपये के मूल्य के १८० ढोरों को ले गये ।

(ग) से (ङ). अपहृत भारतीय किसी तरह पाकिस्तानी पुलिस की हिरासत से भाग निकले । इनमें से एक अब भारत में आ गया है किन्तु शेष दो के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है । दोनों घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त कोई भी ढोर अभी न तो मिला है और न लौटाया गया है । पाकिस्तानी अधिकारियों के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया था किन्तु अभी तक संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

†**श्री साधन गुप्त** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केवल पुलिस अथवा सेना की सहायता से ही सीमावर्ती भारतीय नागरिकों के लिये समुचित सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया जा सकता है क्या सरकार ने इस प्रकार के छापों का सामना करने के लिये स्थानीय जनता के सशस्त्र प्रतिरोध दल बनाने की वाञ्छनीयता पर विचार किया था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के समूह उन क्षेत्रों में वाञ्छनीय सिद्ध होंगे । मैं हर स्थान के लिये यह बात नहीं कह रहा हूं । हमें यह बात स्मरण रखनी है कि इस प्रकार छापे मारने और ढोरों को उठा कर ले जाने की घटनाएं चोरी और डकैती का ही रूप हैं । हम इसे दूसरे देश की ओर से आक्रमण न समझें । लोग हर स्थान में असुरक्षित दशाओं का लाभ उठाते हैं और ढोर उठाकर ले जाते हैं । स्वाभाविक है कि इन्हें रोकना चाहिये और स्थानीय जनता को इतना सशक्त होना चाहिये कि वे पुलिस की सहायता से इसे रोकें । किन्तु यदि हम गांवों में इस प्रकार प्रतिरोध दल बनाये तो दूसरी ओर संगठन पैदा हो जायेगा और संघर्ष की बातचीत होने लगेगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लौह अयस्क का निर्यात

†*५६१. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** ८ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ के लिये लौह अयस्क के संविदे की शेष मात्रा भारत के

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने जापानी स्टील मिल्ज को संभरित कर दी है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि इसमें कुछ हानि अन्तर्ग्रस्त है तो वह कितनी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). १९५८ में जुलाई के अंत तक १० लाख १९ हजार टन लौह अयस्क जहाजों में लादी गई थी जबकि जापानी स्टील मिल्ज के साथ १० लाख ३० हजार टन लौह अयस्क का संविदा हुआ था। लौह अयस्क की शेष मात्रा उठाने के लिये आगामी कुछ दिनों में जहाज निश्चित कर दिये गये हैं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

बर्मा के साथ प्रत्यर्पण सन्धि'

†*५६२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** ९ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संधि की प्रति लोक सभा के पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विषय की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) नवीन प्रत्यर्पण संधि, जो विचाराधीन है, विधि के रूप में पारित होने पर शीघ्र ही बर्मा सरकार के साथ एक प्रत्यर्पण सन्धि कर ली जायेगी ।

गुड़-की-मंडी के विस्थापित परिवार

†*५७१. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि दिल्ली में जी० टी० रोड पर गुड़-की मंडी में लगभग ५०० विस्थापित परिवार कच्चे मकानों में रह रहे हैं ;

(ख) उनके कच्चे मकान गिरा देने पर इन परिवारों को उसी स्थल पर बनाये गये घर देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो कितने कच्चे मकान गिराये गए हैं और कितने नए मकान बनाकर दिये जा चुके हैं; और

(घ) कितने मकान अभी भी बनाए जाने हैं और उनके बनने में देर का क्या कारण है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, हां। सन् १९५५ की जन गणना के अनुसार वहां ५१७ परिवार कच्चे मकानों में रहते थे।

(ख) जी, हाँ ।

†मूल अंग्रेजी में

'Extradition Treaty with Burma

(ग) २८५ कच्चे मकान गिराये गये थे और १३६ 'क' प्रकार के मकान बनाए गए थे और उस क्षेत्र के उपयुक्त अनधिकृत कब्जेदारों को दे दिए गए थे।

(घ) इस मंत्रालय का आगे मकान बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं है । अब इस क्षेत्र में और इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में अधिक मकानों की व्यवस्था की समस्या दिल्ली की सामान्य आवास, भीड़-भाड़ दूर करने तथा गन्दी बस्तियों की सफाई की समस्या के साथ मिला दी गई है और सरकार इसको हल करने का उपाय कर रही है।

प्रलेखीय चल-चित्र

†*५७२. **श्री कुमारन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फिल्म डिवीजन द्वारा तैयार किए गए चलचित्रों को प्रादेशिक भाषाओं में भाषांतरित करने की सरकार की योजना में कितनी प्रगति हुई है।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** पिछली मई से सभी प्रलेखीय चल चित्र १२ प्रादेशिक भाषाओं में भाषांतरित किये जा रहे हैं । ये भाषायें, आसामी बंगाली, गुजराती, हिन्दी, काश्मीरी, कन्नड़, मराठी, मलयालय, उड़िया, पंजाबी, तामिल और तेलगू हैं।

सामुदायिक रेडियो सेट

*५७७. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक निश्चित कालावधि में सब राज्यों के सब गावों में रेडियो सेट लगाने की कोई योजना सरकार के सामने है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मोटर-गाड़ियों की बेटरियां

†*५८२. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह जानकारी बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मोटर गाड़ियों की बेटरियां बनाने के कारखानों के नाम क्या हैं और उनकी उत्पादन-क्षमता क्या है;

(ख) क्या मोटरगाड़ियों की बेटरियों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है;

(ग) यदि हां तो क्या मोटरगाड़ियों की भारतीय बेटरियों का निर्यात किया गया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) मोटरगाड़ियों की यह भारतीय बेटरियाँ दक्षिण पूर्वी एशिया के बाजार की बेटरियों की किस्म की तुलना में कैसी हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) (क) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २७]

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, हाँ।

(घ) भारत के कुछ श्रेष्ठ निर्माताओं द्वारा बनाई गई बेटरियों की किस्म प्रसिद्ध विदेशी बेटरियों की किस्म से मिलती है।

विस्थापित व्यक्तियों के दावे

†*५८४. { श्री ई० च० मलिक :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दावा आयुक्तों के विरुद्ध सन् १९५७ में कितनी अपीलें की गई हैं ;

(ख) क्या अभी तक कोई पुनरीक्षण याचिका मंजूर की गई है;

(ग) कितने मामलों को अस्वीकार कर दिया गया है ; और

(घ) क्या मंत्रालय को प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का प्राप्ति-स्वीकार भेजा जाता है ?

†पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) १७ मई १९५३ को विस्थापित व्यक्ति (दावा) अधिनियम, १९५० व्यपगत हो गया था। विस्थापित व्यक्ति अनुपूरक अधिनियम, १९५४ के नियम १८ को ध्यान में रख कर सन् १९५० के अधिनियम की धारा ५ (१) ख के अधीन दावा आयुक्तों के आदेशों के विरुद्ध आभ्यावेदन ३० अप्रैल १९५४ के बाद भी स्वीकार नहीं किए जा सके। अतएव सन् १९५७ में कोई अपील स्वीकार नहीं की गई और इसलिए कोई अभिलेख नहीं रखा गया।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं होता।

भारत का राज्य व्यापार निगम

†*५८५. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य व्यापार निगम के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उसकी संथा के अनुच्छेदों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बातें क्या हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) राज्य व्यापार निगम की संथा के ज्ञापन के संशोधन संबंधित संशोधन की सूचना प्रसिद्ध समाचार पत्रों में छापी गयी थी। उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८]

संथा के अनुच्छेदों को सुधार करने का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

†मूल अंग्रेज़ी में

पाकिस्तान में पुस्तकों की जब्ती

†*५८७. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वे पुस्तकें, पत्रिकायें तथा कैलैण्डरों और चार्टों सहित अन्य ऐसे दस्तावेज जिन में काश्मीर को भारत का हिस्सा दर्शाया गया है, पाकिस्तान सरकार द्वारा जब्त कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस का विरोध किया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) सरकार को उस प्रैस रिपोर्ट के अतिरिक्त कोई सूचना नहीं मिली जो कराची के मुख्य आयुक्त द्वारा जारी किये गये उस आदेश से संबंधित है जिस के अनुसार इस प्रकार के साहित्य को पाकिस्तान की सरकार द्वारा जब्त किये जाने योग्य ठहाराया गया है ।

(ख) इस आदेश के खिलाफ कोई विरोध नहीं किया गया । भारत सरकार की भारतीय राज्य क्षेत्र में आने वाले जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर पाकिस्तान के आक्रमण करने तथा उस पर कब्जा करने की शिकायत सुरक्षा परिषद् में विचाराधीन है ।

जल प्रांगण[1]

†*५९०. **श्री प्र० के० देव** : क्या **प्रधान मंत्री** ४ मार्च १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७१ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से उड़ीसा सरकार से इस संबंध की कोई शिकायत मिली है कि पूर्वी पाकिस्तान के मछुए उड़ीसा के समुद्र तट के जल प्रांगण में मछली पकड़ते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख) जी, हां । रिपोर्ट में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं है कि उड़ीसा तट के जल प्रांगण में पूर्वी पाकिस्तान के मछुओं द्वारा मछली पकड़ी गयी हैं । परन्तु उस में राज्य सरकार ने संबंधित प्राधिकारियों को यह चेतावनी दी है कि वे राज्य के समुद्र तट पर मछली पकड़ने के लिये आने वाली नावों पर नजर रखें ।

बम्बई में छोटे पैमाने के उद्योग

†*५९१. **श्री पांगारकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सरकार ने राज्य के छोटे पैमाने के उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिये इस्पात के कोटे को बढ़ाने के लिये प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रत्येक राज्य की मांग को ध्यान में रख कर अनुपातिक आधार पर छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये इस्पात का कोटा निर्धारित किया गया है । बम्बई राज्य का कोटा बढ़ाना तब तक संभव नहीं है जब तक कि छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये इस्पात का सारा कोटा नहीं बढ़ाया जाता ।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Territorial Waters.

हौजरी माल निर्यात संवर्धन परिषद्

†*५९२. **श्री वाजपेयी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निर्मित हौजरी के माल के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या हौजरी के माल के लिये एक निर्यात संवर्धन परिषद् स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २९]

(ख) जी, हां ।

इत्तुमनूर में कर्मशाला (वर्कशाप)[1]

†*५९३. **श्री मडियंगाडन :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केरल के इत्तुमनूर में खोली जाने वाली प्रस्तावित कर्मशाला कार्य करने लगी है;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) उस में काम शुरू होने में कितनी देर लगेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां । कर्मशाला में २ दिसम्बर, १९५७ से काम शुरू हो गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रमिक अधिनियम

†*५९५. **श्री ले० अचौ सिंह:** क्या श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के संघ क्षेत्र में कारखाना अधिनियम, अल्पतम मजूरी अधिनियम तथा अन्य श्रमिक विधियां लागू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मनीपुर के प्रशासन द्वारा उन अधिनियमों के अधीन नियमावली बनाई गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी, हां । कारखाना अधिनियम, अल्पतम मजूरी अधिनियम तथा लगभग एक दर्जन दूसरी महत्वपूर्ण श्रमिक विधियां लागू की गई हैं ।

(ख) मनीपुर प्रशासन ने केवल कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा ११२ के अधीन ही नियम बनाये हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियम भी संघीय क्षेत्रों पर लागू होते हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Workshop at Eattumanoor.

नागा विद्रोहियों का बर्मा भाग जाना

†*५९९. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये प्रशासनीय एकक के बनने के बाद अनेकों नागा विद्रोही बर्मा भाग गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने नागा विद्रोही बंदी कर लिये गये हैं और कितने बर्मा सरकार द्वारा भारत को वापस लौटा दिये गये हैं ; और

(ग) इस प्रकार के अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिये भारत-बर्मा की सीमा बंदी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) और (ख) . हाल ही में कुछ थोड़े से नागा सीमा पार करके बर्मा गये हैं। परन्तु उनके बारे में ब्योरेवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) सीमावर्ती सुरक्षा के उपाय सख्त कर दिये गये हैं।

पहाड़ी प्रदेशों के लिये योजना बनाने वाली समिति

*६००. **श्री पद्म देव:**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **योजना मंत्री** २१ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५३९ के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी प्रदेशों के लिये योजना बनाने के लिये एक अलग समिति नियुक्त करने के हेतु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आवश्यक जानकारी इस बीच मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सम्मेलन कब होगा ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'न' में हो, तो देरी के क्या कारण हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश और पंजाब के संसद् सदस्यों के साथ अनौपचारिक ढंग से बातचीत हो चुकी है और आशा है कि संसद् के चालू अधिवेशन की अवधि में ही हिमाचल प्रदेश के संसद् सदस्यों के साथ भी बातचीत हो जायेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान के हरिजन

*६०१. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री बाल्मीकी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी पाकिस्तान में हरिजनों का जीवन संकट में है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या हाल ही में पाकिस्तान के हरिजनों से कोई प्रार्थनापत्र मिले हैं जिन में उन्होंने भारत आने की इच्छा प्रकट की है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' में हो, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या अब उन्हें भारत के नागरिक बनने की अनुमति दी जायेगी ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर 'हां' में हो, तो सरकार ने उन्हें भारत लाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। गये दिनों में हरिजन लोग पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आये हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह सवाल नहीं उठता ।

(घ) और (ङ). जो हरिजन भारत आना चाहते हैं, उन्हें कराची स्थित भारतीय हाई कमीशन से प्रवास प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) लेने होते हैं। भारत में आ जाने पर वे भारतीय नागरिकता अधिनियम (इंडियन सिटिज़नशिप एक्ट) की व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं ।

उत्तर-पूर्वी सीमांत अभिकरण में खाद्यान्नों का गिराया जाना

†*६०२. **श्री अमजद अली** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्वी सीमांत अभिकरण में प्रति घंटा किस दर से खाद्यान्न गिराये जा रहे हैं ; और

(ख) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को यह काम सौंपे जाने के पूर्व इस क्षेत्र में गैर-सरकारी समवायों को किस दर खाद्यान्न गिराने दिया जाता था ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: (क) और (ख)। लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३०]**

बिजली के भारी उपकरणों का कारखाना, भोपाल

६०३. **श्री क० भे० मालवीय :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल में बिजली के भारी उपकरणों का कारखाना स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

अम्बर चर्खा कार्यक्रम

†*६०४. **श्री गोरे :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५७-५८ में देश में अम्बर चर्खा को प्रोत्साहन देने के लिये कुल कितनी रकम खर्च की गई है ;

(ख) इन चर्खों से कितना सूत निकलने की आशा थी और वास्तव में कितना सूत निकला है ; और

(ग) कितना अम्बर-सूत बुनकरों को बेचा गया है और कितना सूत पड़ा हुआ है जो अभी नहीं बिका ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) अम्बर चर्खा कार्यक्रम के अधीन सन् १९५७-५८ में अनुदान के रूप में १७५·६४ लाख रुपयों की रकम और कर्ज के रूप में ४७४·८९ लाख रुपयों की रकम खर्च की गई है।

(ख) ऐसी आशा की गई थी कि ४० लांख पौंड सूत तैयार होगा परन्तु वास्तव में २५·४ लाख पौंड सूत तैयार हुआ है।

(ग) तैयार किये गये सूत का लगभग ७० से ८० प्रतिशत सूत बुनकरों को दे दिया गया है और शेष सूत संबंधित संस्थाओं के भंडार में है।

कृषि मशीनों के पुर्जे

†*६०५. **श्री चांडक :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मशीनरी और औजारों के पुर्जों के आयात पर कोई निर्बंधन लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश के खाद्यान्न उत्पादन पर इन निर्बन्धनों का संभवतः क्या प्रभाव होगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). पिछली अनुज्ञप्ति अवधि की तुलना में इस वर्ष की आयात नीति कुछ सीमा तक उदार कर दी गई है और इस दृष्टि से स्थिति कुछ सुधर गई है।

गोआ से विस्थापित व्यक्ति

†*६०६. **श्री आसर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ से विस्थापित किये गये व्यक्तियों को अब तक कोई सहायता या अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). एक व्यक्ति को ५०० और दूसरे को १०० रुपये दिये गये थे। अन्य दो व्यक्तियों के मामले विचाराधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य गृह निर्माण वित्त निगम

†*६०७. श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १४ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य गृह निर्माण वित्त निगम स्थापित करने की योजना किस अवस्था में है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : राज्यों में प्रस्तावित राज्य गृह निर्माण वित्त निगम स्थापित करने के लिये केन्द्र द्वारा आवश्यक विधान किये जाने का प्रश्न इस बात के साथ ही साथ विचाराधीन है कि य राज्य निगम (अथवा बोर्ड) राज्य में गृह निर्माण की वित्त व्यवस्था करने के अतिरिक्त गृह निर्माण परियोजनाओं को भी कार्यान्वित करेंगे या नहीं ।

भारत-पाक सीमा विवाद

†*६०८. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सूपकार :
श्री खुशवक्त राय :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रा० स० तिवारी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री बोस :
श्री अख्तर :
श्री वाजपेयी :
श्री हेम राज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तानी शस्त्र बल ने खासी, जंतिया के पहाड़ी जिलों वाले क्षेत्र में अनेकों बार गोली चलाई है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय सीमा में कितनी जानें गई हैं और कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: (क) जी, हां; मार्च सन् १९५८ से अब तक अनेकों बार उस भूभाग में गोली चल चुकी है ।

(ख) आसाम सरकार की २५ जुलाई १९५८ की रिपोर्ट के अनुसार कोई जान नहीं गई परन्तु मार्च और अप्रैल १९५८ के बीच दावकी क्षेत्र से तीन भारतीय नागरिकों का पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा अपहरण किया गया था । ऐसा अनुमान है कि सम्पत्ति का नुक्सान ४,१९० पये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रुपयों में भुगतान

†*६०९. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री दामानी :
डा० सुशीला नायर :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री पांगरकर : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन से देश हैं जिन्होंने भारत में पयों का हिसाब खोलने के सबंध में हमसे नयें करार किये हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि चीन पयों में भुगतान लेने के लिये तैयार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जो देश भारत में रुपयों का हिसाब खोलने के लिये तैयार हो गये हैं उनके नाम बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३२]** ।

(ख) जी, हां ।

मोटरगाड़ियों के आयात लाइसेंस

†*६१०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन गाड़ियों (मोटर गाड़ियों) को तैयार हालत अथवा बिलकुल खुली हुई हालत में आयात करने के लिये लाइसेंस देते समय परिवहन तथा संचार मंत्रालय उनके मंत्रालय से परामर्श लेता है ; और

(ख) क्या इनके वितरण में परिवहन तथा संचार मंत्रालय का कोई नियंत्रण है और यदि हां तो वह किस प्रकार का है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). लोकसभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३३]** ।

गोदी श्रमिक बोर्ड

†*६११ { **श्री मोहम्मद इलियास :**
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तथा विशाखापटनम् पत्तनों के लिये गोदी श्रमिक (रोजगार विनियमन) योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोचीन और विशाखापटनम् के लिये गोदी श्रमिक बोर्ड स्थापित किये जा चुके हैं ;

(ग) इन बोर्डों का गठन और मुख्य कार्य क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इन बोर्डों के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) अभी, नहीं ।

(ख) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) २ जून १९५८ को प्रारूप योजनाओं के खंड ४, ७ और ८ जो कि टीका टिप्पणी के लिये प्रकाशित किये गये थे, इन बोर्डों के प्रस्तावित गठन और कार्यों का वर्णन करते हैं ।

कर्मचारी भविष्यनिधि योजना के न्यासियों का केन्द्रीय बोर्ड

†*६१२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री १९ फरवरी १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०० के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से कर्मचारी भविष्य निधि योजना के न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा की गई इस सिफारिश के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय किया है कि उसके सदस्यों को भविष्य निधि से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये ऋण दिया जाये :

(१) मकान बनाने;

(२) गंभीर स्वरूप की बीमारी में ; और

(३) लड़की की शादी में ।

(ख) यदि हां, तो वह कब से लागू होगा ; और

(ग) यदि नहीं तो देर होने के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) से (ग) गम्भीर स्वरूप की बीमारी का इलाज कराने के लिये ऋण देने के संबंध में कर्मचारी भविष्यनिधि योजना, १९५२ में उपयुक्त संशोधन करने का निर्णय कर लिया गया है । मकान बनाने के लिये ऋण देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है । चूंकि सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बहुत से मकान बनाये जायेंगे, प्रश्न यह है कि मकान का पहिला भाड़ा इस निधि को दिया जायेगा अथवा उस राज्य सरकार को दिया जायेगा जो ऋण अथवा सहायता देती है । इसका निर्णय होना बाकी है । शादी के लिये ऋण देने के प्रस्ताव को कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड ने, अपनी २४ मार्च, १९५८ की बैठक में अस्थगित कर दिया है ।

डा० क्वामे नक्रुमा की भारत यात्रा[1]

†*६१३. { **श्री शिवनंजप्पा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाना के प्रधान मंत्री डा० क्वामे नक्रुमा को भारत आने के लिये निमंत्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) वे कब भारत आयेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Dr. Kwame Nkrumah's visit to India.

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ऐसी आशा है कि वे दिसम्बर १९५८ में आयेंगे परन्तु अभी तक कोई तारीख निश्चित नहीं हुई ।

चिनाकुरी खान दुर्घटना

†*६१४. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री बि० दास गुप्त :

क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९ फरवरी, १९५८ को चिनाकुरी खान दुर्घटना में मृत व्यक्तियों की अभी तक कितनी लाशें निकाली गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि आसनसोल शहर से लगभग पांच मील दूर एक गांव के पास मिलने वाले बहुत से हड्डियों के ढांचों तथा हड्डियों के बारे में यह कहा जाता है कि वे चिनाकारी खान दुर्घटना में मरे हुये व्यक्तियों की हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इम्पीरियल केमिकल कम्पनी की छापवाली सामान बंद करने की कुछ पटियां इन हड्डी के ढांचों के पास मिली हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) १७१ ;

(ख) प्राप्त जानकारी के अनुसार आसनसोल के पूर्व में लगभग ६ मील दूर बोगरा की स्मशान भूमि में कुछ अधजले शव मिले थे जिनके बारे में यह संदेह किया जाता है कि वे चिनाकारी खान दुर्घटना में मरे हुये व्यक्तियों के हैं ;

(ग) जी, हां ।

मूंगफली और मूंगफली का तेल

†*६१५. **श्री आसर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मूंगफली और उसका तेल निर्यात करने के लिये २०,००० टन कोटे की छूट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कोटे को निर्यात करने की अवधि क्या है ;

(ग) इस कोटे में से ३१ जुलाई, १९५८ तक कितने टन मूंगफली और उसका तेल निर्यात किया जा चुका है ;

(घ) किन देशों को मूंगफली और उसका तेल निर्यात किये जाते हैं ;

(ङ) क्या सरकार को यह मालूम है कि भारत में मूंगफली और उसके तेल की दरें बढ़ रही हैं; और

(च) यदि हां, तो उस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां। ३१ मई १९५८ को सरकार ने हाथ से चुनी गई मूंगफली का १०,००० टन का कोटा और २०,००० टन मूंगफली का तेल का कोटा निर्यात करने की अनुमति दी थी।

(ख) यह कोटा सितम्बर, १९५८ तक के लिये ही मान्य था परन्तु अब उसकी अवधि दिसम्बर, १९५८ की जा रही है।

(ग) जुलाई, १९५८ तक जहाजों पर लादने के लिये १५० टन हाथ से चुनी हुई मूंगफली और ३१ टन मूंगफली का तेल पारित कर दिया गया था।

(घ) हाथ से चुनी हुई मूंगफली मुख्यतः अमेरिका, कनाडा, और संयुक्त राज्य, तथा नदिरलैंड को भेजी जाती हैं और मूंगफली का तेल संयुक्त राज्य, नदिरलैंड, बर्मा, हांगकांग और बेल्जियम को भेजा जाता है।

(ङ) जी, हां।

(च) कीमतें संभरण तथा मांग पर निर्भर हैं। देश की बढ़ती हुई आंतरिक मांग को पूरा करने के लिये मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। फिर भी वायदा-बाजार आयोग ने सट्टे की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये मूंगफली तथा उसके तेल पर कुछ सीमा तक रोक लगा दी है।

भारत सेवक समाज

†*६१६. **श्री त्यागी** : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित बातें बतलाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज और भारत साधू समाज को उनकी स्थापना के बाद से अब तक कितनी सहायता अनुदान दिया जा चुका है ;

(ख) उनको सौंपे गये विकास कार्यक्रमों तथा रचनात्मक कार्यों में उन्होंने कितनी सरकारी रकम खर्च की है; और

(ग) इन कार्यक्रमों में इन समाजों का कितना अंशदान है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) से (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३४]**.

औद्योगिक बस्ती, इत्तुमनूर (केरल)

†*६१७. **श्री मणियंगाडन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल की इत्तुमनूर औद्योगिक बस्ती के लिये इमारतों का निर्माण आरंभ हो गया है ;

(ख) इमारतों को बने कितना समय हो गया है ; और

(ग) वहां कौन से उद्योग प्रारंभ किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३५]**.

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में अभिरक्षक[1] के अधीन मकान

†*६१८. { श्री वासुदेवन् नायर :
श्री वारियर :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अभिरक्षक के अधीन कितने मकानों की मरम्मत के लिये १९५६, और १९५७ में अनुदान दिया गया था ;

(ख) कितने मकानों के मामले में मंजूर किया गया अनुदान खर्च नहीं किया गया ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) दिल्ली में अभिरक्षक के अधीन घरों में से सन् १९५६ में ११०६ घरों तथा सन् १९५७ में ७१० घरों के लिये अनुदान दिया गया था ।

(ख) सन् १९५६ में ३४८ घरों पर तथा १९५७ में २६६ घरों पर स्वीकृत अनुदान खर्च नहीं किया गया ।

(ग) इन घरों में रहने वाले लोगों पर लगान बाकी है और वे साधारणत: घरों की मरम्मत पर रुपया नहीं लगाना चाहते क्योंकि वह बकाया लगान की रकम में ही समायोजित किया जाता है । उन्हें नकद रकम नहीं दी जाती ।

सीमा दुर्घटनायें

†*६१९. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री सरजू पांडे :
श्री वाजपेयी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करीमगंज से सात मील दूर लाटू नामक भारतीय गांव में पाकिस्तानी सशस्त्र बल ने भारतीयों को बंदूकें तानकर **मुरली** धान की फसल काटने से रोका है;

(ख) यदि हां, तो क्या जन और धन की कोई हानि हुई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) भारतीय कृषकों के लिये सशस्त्र रक्षा की व्यवस्था की गई थी और उसके परिणाम-स्वरूप पाकिस्तानी हस्तक्षेप रुक गया था तथा किसान अपनी धान की फसलें काट सके थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Custodian

पश्चिमी बंगाल में नारियल जटा गवेषणा संस्था

†*६२०. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ११ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में प्रस्तावित नारियल जटा गवेषणा संस्था की स्थापना की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और कब ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३६]**

उपभोक्ता वस्तुएं

†*६२१. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जन-साधारण के उपयोग की बहुत सी चीजों का या तो स्टाक समाप्त हो गया है और या सरकार द्वारा लगाये गये आयात प्रतिबन्धों के कारण अत्याधिक मूल्य बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मूल्यों में वृद्धि को रोकने और स्थिति में सुधार करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क)और (ख). एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३७]**

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

†*६२२. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री बाल्मीकी :
श्री नाथपाई :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दिखाई गई हों :—

(क) क्या कुछ जूट मिलों की पुनर्व्यवस्था और आधुनिकीकरण करने के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा कुछ राशि मंजूर की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वे एकक कौन-कौन से हैं ; और

(ग) कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३८)**

---

†मल अंग्रेजी में

'कापीराइट' करार

†*६२३. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को यह सुझाव दिया है कि एक दूसरे के देशों के लेखकों, कवियों, रचयिताओं और फिल्म निर्माताओं के कापीराइट की सुरक्षा करने के लिये दोनों देशों को एक करार करना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो सुझाव का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसके सम्बन्ध में यदि पाकिस्तान की सरकार का कोई उत्तर प्राप्त हुआ है तो वह किस प्रकार का है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). पाकिस्तान की सरकार ने हमारे सुझाव का अभी कोई उत्तर नहीं दिया है और उनका ब्योरा प्राप्त न होने से अन्तिम निर्णय नहीं हो सका है ।

ग्राम्य औद्योगिक बस्ती

†*६२४. **श्री वाजपेयी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निकट एक ग्राम्य औद्योगिक बस्ती बसाने की योजना पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) उसका अनुमानित व्यय क्या होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३९]**

राष्ट्रीय विकास परिषद्

†*६२५. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दामानी :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री हेम बरुआ :

क्या **योजना** मंत्री ७ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३९१ के उत्तर के सम्बन्ध में एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दिखाई गई हों :

(क) मई, १९५८ में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के निष्कर्ष और उसकी सिफारिशें ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये की गई कार्यवाही ?

†**योजना उपमंत्री (श्री ज्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४०]**

कहवे में अपमिश्रण

†*६२६. {**श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिये कहवे के नमूना का विश्लेषण उसमें अपमिश्रण पर प्रतिबन्ध लगाने की दृष्टि से करने का कोई प्रबन्ध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४१]**

सूत का निर्यात

†*६२७. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूत के निर्यात के सम्बन्ध में कोई दीर्घकालीन योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) नीति की विशेषतयें ये हैं :—

१. निर्यात नीति दीर्घकालीन आधार पर अर्थात् १९६१ तक के लिये घोषित कर दी गई है ।

२. मिलों को, १९५७ में जितना निर्यात उन्होंने किया था अथवा १९५८ में वे जितना निर्यात कर सकते हैं उन में से जो भी अधिक हो, सूत निर्यात करन की अनुमति दे दी गई है ।

३. इसके साथ ही वस्त्र उद्योग को १,२०,००० गांठें प्रति वर्ष निर्यात करने और 'बारी के आधार पर' व्यापार करने की अनुमति रहेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित ठेकेदारों के दावे

†*६२८. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री २६ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विस्थापित ठेकेदारों के दावों के निबटाने में कितनी प्रगति की गई है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: जुलाई, १९५८ के अन्त तक केन्द्रीय[1] दावा संगठन (भारत) को ५८७० ठेकेदारों के पास से उनकी देय राशि के भुगतान के दावे प्राप्त हुये थे। इनमें से ४१७ दावों का भुगतान किया जा चुका है, १२१६ दावे रद्द कर दिये गये हैं और शेष पाकिस्तान में सम्बन्धित प्राधिकार द्वारा उनकी जांच हो कर अभी वापस नहीं आये हैं।

परिसमापन कार्यवाही

†**९५४. श्री दामानी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय समवाय अधिनियम, १९५६ के बनने से पूर्व के सारे मामलों के बारे में परिसमापन कार्यवाही करने में शीघ्रता की है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कहां तक सफलता मिली है ;

(ग) ऐसे मामलों की नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(घ) क्या परिसमापन कार्यवाही के लिय नये नियम स्वीकृत हो गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४७ के खण्ड (२) में दिये गये उपबन्धों की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार का उन समवायों पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था जिनका परिसमापन इस नये अधिनियम के आरम्भ होने से पूर्व ही हो गया था। यद्यपि उच्च न्यायालयों से निवदन किया गया था कि वे निबटारे में शीघ्रता करने के लिय नये अधिनियम की धारा ४४८ के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये सरकारी परिसमापकों को १९१३ के अधिनियम के अधीन की गई परिसमापन कार्यवाही हस्तान्तरित करने पर विचार करें, किन्तु इस निवेदन को अभी तक केवल एक उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है। अन्य उच्च न्यायालयों का दृष्टिकोण यह जान पड़ता है कि विचाराधीन मामलों में क्षेत्राधिकार का हस्तान्तरण यथोचित रूप से स्वयं नहीं समझा जा सकता, किन्तु सम्बन्धित पक्षों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर ही हो सकता है।

(ग) २३०६ परिसमापन कार्यवाही विचाराधीन हैं।

(घ) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४३ के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा नये नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और केन्द्रीय सरकार की विवेचना उच्चतम न्यायालय को भेज दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Central Claims Organisation (India)

बम्बई में शक्ति चालित करघों वाली मिलों का बन्द हो जाना

†९५५. **श्री पांगरकर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में उत्पादन शुल्क में अत्यधिक वृद्धि हो जाने और १९५८–५९ में अब तक बहुत सा माल बिना बिका जमा हो जाने के कारण शक्ति चालित करघों वाली कितनी मिलें बन्द हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) उत्पादन शुल्क में वृद्धि हो जान के कारण १ मार्च, १९५८ से १०० से अधिक शक्ति चालित करघों वाली मिलें बिल्कुल बन्द हो गई हैं। १ अप्रैल, १९५८ से वे पुनः चलने लगी हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

†९५६. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन आने वाले निर्धारित कामों में देश में कुल कितने मजदूर काम में लगाये गये ह ; और

(ख) उसके उपबन्धों के अनुसार वास्तव में कितने मजदूरों को मजूरी दी जा रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की कार्य-पद्धति सम्बन्धी १९५५ के अन्त तक की रिपोर्ट की तालिका १० और ११ में दी गई है, जिसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

त्रिपुरा में सतचन्द शरणार्थी बस्ती

†९५७. **श्री दशरथ देब :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यहबतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की सतचन्द शरणार्थी बस्ती में बसाये गये विस्थापित कृषक परिवारों में से प्रत्येक परिवार को कुल कितनी भूमि आवंटित की गई है ; और

(ख) इन विस्थापित परिवारों को मितव्ययतापूर्ण ढंग से बसाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). इस बस्ती में पुनः बसाये गये प्रत्येक कृषक परिवार को दो एकड़ भूमि पहले से ही आवंटित की जा चुकी है प्रत्येक परिवार को तीन एकड़ और भूमि आवंटित कर मितव्ययतापूर्ण जोत बनाने काविचार त्रिपुरा प्रशासन के विचाराधीन है। बस्ती में बसाये गये परिवारों के लिये सहायक पेशा की व्यवस्था करने की दृष्टि से एक बहुप्रयोजनीय सहकारी समिति भी बना दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

परियोजनायें

†१५५८. श्री स० म० बनर्जी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में १९५७-५८ में पचास लाख रुपये अथवा उस से अधिक लागत वाली कौन-कौन सी परियोजनायें तैयार की गई ; और

(ख) उन पर कितनी राशि व्यय की गई ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख). निम्न विवरण में ५० लाख पये अथवा उस से अधिक लागत में १९५७-५८ में पूरी की गई परियोजनायें दिखाई गई हैं । १९५६-५८ में किया गया व्यय भी दिया गया है ।

परियोजना का नाम	१९५६-५८ में व्यय [१९५६-५७ (वास्तविक) और १९५७-५८ (पुनरीक्षित प्राक्कलन)]
१	२
सिंचाई—	(रुपये लाखों में)
पिंचा (आन्ध्र)	१७.७९
मयूराक्षी लेफ्ट बैंक कैनाल (बिहार) . . .	४.५
बेंदसुरा (बम्बई)	३.७५
ख्वासापुर (")	४.०७
चलाकुडी स्टेज १ (केरल)	१२.३४
पीची (")	२६.२७
सरदा सागर स्टेज १ (उ० प्र०) . .	९९.६४
पूर्वी यमुना कैनाल को फिर से बनाना (") . .	२७.००
विद्युत्	
तुंगभद्रा स्टेज १ (३६ एम० डब्ल्यू०) (आन्ध्र और मैसूर) .	३६५.७९
रामगुंडम थर्मल स्टेशन (आन्ध्र) (३७.५ एम० डब्ल्यू०) .	१६८.७८
उम्त्रू जल योजना (आसाम) (८.४ एम० डब्ल्यू०) .	८२.१५
हीराकुड स्टेज १ (४ मुख्य जेनरेटर) (१२३ एम० डब्ल्यू०) (उड़ीसा)	४०९.२० (केवल विद्युत में)
ईस्टर्न एरिया पावर स्टेशन (४५ एम० डब्ल्यू) (उ० प्र०) .	२५०.९३
एक्सटेन्शन आफ भोपाल पावर हाउस (५ एम० डब्ल्यू०) (मध्य प्रदेश)	३४.४९

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति

†१५९. **श्री ओंकार लाल :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान में १९४७ से विस्थापित व्यक्तियों को डिवीज़न-वार कुल कितना ऋण दिया गया है ; और

(ख) प्रत्येक वर्ष में गांव और नगर में शिक्षा एवं गृह-निर्माण के लिये ऋण और अनुदान के रूप में अलग अलग कितनी राशि दी गई है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योग

†१६०. **श्री ओंकार लाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक कितने इस्पात की मांग की गई है ;

(ख) पूर्णरूपेण छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये १९५६-५७ और १९५७-५८ में कितना इस्पात आवंटित किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि इस्पात के कोटे की कमी के कारण राजस्थान में कुछ छोटे पैमाने के उद्योग बन्द हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४२]**

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजस्थान में कपड़े की मिलें

†१६१. **श्री ओंकार लाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की कपड़े की मिलों (बड़ी, मध्यम, और छोटी) के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक मिल में कुल कितने तकुए हैं ;

(ग) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक मिल में कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(घ) अधिस्थापित और काम करने की क्षमता को देखते हुये प्रत्येक मिल का उत्पादन कुल कितना प्रतिशत है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४३]**

राजस्थान में कुटीर उद्योग

†**१९६२. श्री ओंकार लाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में कुटीर उद्योगों के विकास के लिये १९५८–५९ में कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: निम्न राशि स्वीकृत की गई है :-

उद्योग का नाम	अनुदान (रुपये)	ऋण (पये)	योग (रुपये)
(१) दस्तकारी .	२,५१,०२७	—	२,५१,०२७
(२) हथकरघा .	२,५७,६७७	२७,८७०	२,८५,५४७
(३) *परम्परागत खा और अम्बर चर्खा	१०,६५,७३०	१७,०१,२००	२७,६६,९५०
(४) *ग्रामोद्योग	११,६८,६७०	१२,८५,४७०	२४,५४,१४०

* इन मदों के सम्मुख दिये गये आंकड़े पूरे वर्ष के लिये अस्थायी रूप से नियत किये गये हैं और वे राजस्थान में राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा कार्य-क्रमों को कार्यान्वित करने के लिये हैं ।

खादी सहकारी समितियां

†**१९६३. श्री ओंकार लाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में फिलहाल किन-किन स्थानों में खादी के लिये सहकारी समितियां स्थापित हैं; और

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन समितियों को कितनी सहायता दी गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४४]**

स्थानीय विकास कार्य

†**१९६४. श्री ओंकार लाल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य द्वारा स्थानीय विकास कार्य के लिये १९५७–५८ में कितनी योजनायें प्रस्तुत की गई हैं ;

(ख) योजनाओं की कुल लागत क्या है ;

(ग) जिलेवार योजनाएं किस प्रकार की हैं ; और

(घ) क्या उपर्युक्त काल में नियत की गई कुल राशि का पूरा उपयोग किया जा चुका है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (घ). राज्य सरकारें उन्हें नियत की गई राशि के अन्दर बिना योजना आयोग को उल्लेख किये उनके लिये मंजूरी देने के लिये सक्षम हैं। अतः राजस्थान सरकार द्वारा योजना आयोग को कोई योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। मांगी गई जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†१६५. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा ३० जून, १९५८ तक के लौह अयस्क की बिक्री के हानि-लाभ का विवरण किया गया हो और यह बताने की कृपा करेंगे कि इस हानि या लाभ का हिसाब किस प्रकार दिखाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: जुलाई, १९५७ से जून, १९५८ तक का हानि-लाभ लेखा राज्य व्यापार निगम की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जायेगा जो यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

भारत का निर्यात व्यापार

†१६६. **श्री राम कृष्ण** :
श्री मुरारका :
श्री कोडियान :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राधा रमण :
श्री दामानी :
श्री तंगामणि :
श्री ले० अचौ सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री हेम बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष के पूर्वार्द्ध की तुलना में इस वर्ष उसी काल में भारत की कुल निर्यात आय में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वस्तु वार और देशवार कहां तक कमी हुई है ;

(ग) इस कमी के कारण क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इस वर्ष निर्यात संवर्धन के लिये कोई योजना बनाई और आरम्भ की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(च) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत आयात और उत्पादन शुल्क में छूट देने के लिये कौन-कौन सी वस्तुयें इस में आ जाती हैं ;

(छ) क्या निर्यात संवर्धन आन्दोलन के आरम्भ किये जाने से निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है ; और

(ज) यदि हां, तो वस्तुवार कितनी वृद्धि हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४५]** .

(ग) विश्व के मूल्यों में कमी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संकुचन ।

(घ) जी हां ।

(ङ) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४५]** ।

(च) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४५]** ।

(छ) और (ज). इसका निर्धारण करना समय से बहुत पूर्व होगा । किन्तु यह जान पड़ता है कि निर्यात संवर्धन संबंधी उपायों से कुछ देशों के साथ हमारे ब्यापार में वृद्धि हुई है, जब कि सम्पूर्ण दृष्टि से सभी आधारों पर प्रतिकूल रुखों को दूर करने में कुछ अंशों में तक सफलता मिली है ।

सीमेंट के कारखानों में श्रम सम्बन्धी विवाद

†९६७. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट के कारखानों में १९५७–५८ में कुल कितने श्रम विवाद हुये ; और

(ख) ये विवाद किस प्रकार थे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ९४ (जाब और मैसूर को निकालकर)

(ख) ये विवाद साधारणतः मजूरी, पुष्टिकरण, पदोन्नति, पुनः काम में लगाने, अवकाश, भविष्य निधि, मंहगाई भत्ता, डाक्टरी सहायता, क्वार्टर, ठेके की पद्धति को तोड़ने, बोनस आदि के बारे में थे ।

---

† मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भूदान वाली भूमियां

†९६८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री ओंकार लाल :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि भूमिहीन अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों के लोगों को अब तक कितनी भूदान वाली भूमियां आवंटित की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ ने, जिससे सम्पर्क स्थापित किया था, बताया ह कि भूमिहीन अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों के लोगों को भूदान वाली कितनी भूमि आवंटित की गई है इससे सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है । विभिन्न राज्यों और जिलों की भूदान समितियों से आशा की जाती है कि वे इसका रिकार्ड रखेंगी। सर्व सेवा संघ कार्यालय में ये ब्यौरा नहीं मांगा जाता। सामान्यत: एक गांव में भूदान भूमि का कम से कम एक-तिहाई भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को आवंटित किया जाता है बशर्ते कि वे भूमिहीन हों और वहीं रहते हों ।

भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद

†९६९. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान-आसाम सीमा पर करीमगंज क्षेत्र में पाकिस्तानी टुकडी द्वारा हाल में गोली चलाने के कारण जन और सम्पत्ति की हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितनी हानि हुई ; और

(ग) पीड़ितों को किस प्रकार और कितनी सहायता दी गई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). करीमगंज नगर के क्षेत्र में जन और सम्पत्ति की कोई हानि नहीं हुई है । करीमगंज उपडिवीजन कच्छार जिले का एक भाग है और कच्छार-सिल्हट सीमा पर हाल में हुई दुर्घटनाओं में ३ भारतीयों की मृत्यु हुई और ९ अन्य लोगों के चोटें लगीं । १२,००० रुपय की सम्पत्ति की हानि का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) कछार जिले में पाकिस्तान द्वारा गोली चलाये जाने से जिन व्यक्तियों को हानि पहुंची उनके लिये आसाम सरकार ने १५०० रुपये की राशि सहायतास्वरूप मंजूर की है ।

अमरीका को भारतीय फिल्मों का निर्यात

†९७०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक अमरीका को कितनी भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह संख्या १९५७ की तुलना में कैसी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४६]**

भेषजीय उद्योग[1]

†**९७१. श्री कुमारन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ में भेषजीय और औषधि के विकास परिषद् की स्थापना हो जाने से भारत में भेषजीय उद्योग के विकास के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: भेषजीय और औषधि के विकास परिषद् की स्थापना १९५७ में न हो कर १९५५ में की गई थी। इस परिषद् की स्थापना भेषजीय जांच समिति की सिफारिशों पर सरकार को निर्माण, विधायन और भेषज तथा औषधि के विकास पर सलाह देने के लिये की गई थी। परिषद् ने मूल रसायनों और माध्यमिकों के निर्माण के प्रश्न की जांच विशद रूप से की थी। औषधि के निर्माण और विधायन के लिये सभी लाइसेंस का निपटारा इसी परिषद् की सिफारिशों पर किया जाता है। मूल रसायनों और माध्यमिकों के लिये एक एकक स्थापित करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है। निर्माण में प्रगति करने के लिये सोवियत रूस से एक विशेषज्ञ दल यहां आया था और १९५६ में कुछ सिफारिशें उसने की थीं। इसके पश्चात् एक भारतीय विशेषज्ञ दल सोवियत रूस और यूरोप के अन्य देशों को औषधि और भेषज बनाने वाले विभिन्न कारखानों के निरीक्षण के लिये भेजा गया था इन विकासों से विकास परिषद् के सदस्यों का काफी घनिष्ट सम्बन्ध रहता है और उसे मूल रसायनों और माध्यमिकों के तैयार करने के बारे में सलाह दी जाती है। दूसरे प्रक्रम में सोवियत रूस का एक दूसरा दल भारत आया है जो सोवियत रूस के टेकिनकल सहयोग और सहायता से औषधि और भेषज तैयार करने के लिये संयंत्र स्थापित करने के ब्यौरे की जांच करने की दृष्टि से इस समय देश का दौरा कर रहा है।

सिलाई की मशीनें

†**९७२. श्री बाल्मीकी :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक किस किस देश को तथा कितनी भारत में बनी हुई सिलाई की मशीनें भेजी गई हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४७]**

भारतीय साइकिलें

†**९७३. श्री बाल्मीकी :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ तथा १९५८–५९ के दौरान में अब तक भारत से कितनी साइकिलों

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pharmaceutical Industry.

का निर्यात किया गया है तथा उनका कितना मूल्य है ।

(ख) इन की किन किन देशों में अधिक मांग है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख). १९५७–५८ तथा १९५८–५९ (अप्रैल और मई १९५८ तक) के बीच बहुत कम साइकिलों का निर्यात हुआ है । पहले वर्ष में लगभग २००० रुपये तथा दूसरे में लगभग ३००० रुपये के मूल्य की साइकिलों का निर्यात हुआ है ।

चन्दन का तेल

†**९७४. श्री बाल्मीकी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ तथा १९५७–५८ के दौरान में भारत से विदेशों में कितना चन्दन का तेल भेजा गया है ; और

(ख) सरकार ने इस तेल की किस्म (क्वालिटी) को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री** :

(क) १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में निर्यात किये गये चन्दन के तेल की सूचना नीचे दी जाती है :—

वर्ष	मात्रा (हजार पौंडों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
१९५६–५७ . .	१९३	९७
१९५७–५८ (अप्रैल-फरवरी) . .	२१२	१०५

(ख) भारत में जो चन्दन का तेल तैयार होता है वह बी० पी० आई० एस० आई० तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है । इनके सम्बन्ध में अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई। इसलिये किसी किस्म का सुधार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारियों के लिये "अवकाश गृह"

†**९७५. श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कर्मचारियों के लिये 'अवकाश गृह' बनाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कौन कौन सी श्रेणी के कर्मचारी आयेंगे ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस योजना के लिये क्या वित्त व्यवस्था की जायेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, मैसूर

†९७६. **श्री वोडयार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बनान की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने १९५८–५९ के दौरान में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, मैसूर के लिये कितना रुपया स्वीकृत किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशि में से मैसूर राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को खादी (जिसमें अम्बर चर्खे द्वारा तैयार किया गया खद्दर भी शामिल है । तथा अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिये अस्थायी रूप से ४४,०१,३९५ रुपये के अनुदान तथा ३२,७१,२५० रुपये का ऋण दिया है ।

जनशक्ति

†९७७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनशक्ति के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य मुख्य परिणाम क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री अबिद अली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ताड़-गुड़ उत्पादन

†९७८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक पंजाब में ताड़-गुड़ उत्पादन के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ; और

(ख) ये राशि किन योजनाओं के लिये स्वीकृत की गई हैं तथा उनका विस्तृत विवरण क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क)

वर्ष	अनुदान (रुपयों में)	ऋण (रुपयों में)
१९५६–५७ .	९७,९७५	१०,०५०
१९५७–५८ . . .	७४,३६५	२९,९००
१९५८–५९	३७,५६५*	११,७५०*

†मूल अंग्रेजी में

*ये आंकड़े सम्पूर्ण वर्ष के लिये हैं। १९५८–५९ के दौरान में प्रत्येक योजना को वास्तव में कितनी राशि दी जायेगी इसका निर्णय उन योजनाओं के अधार पर किया जायेगा जिनका कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अनुमोदन कर देगा ।

(ख)अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४८]**

पंजाब में पंजीबद्ध कंपनियां

†९७९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री पंजाब में पंजीबद्ध कम्पनियों के नाम (जिलावार) बताने की कृपा करेंगे? :

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४९]**

पंजाब में हथकरघा उद्योग

९८०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) पंजाब में इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में हथकरघा उद्योग का कितना अनबिका माल पड़ा हुआ है ; और

(ख) क्या सहकारी क्षेत्र के बाहर काम करने वाले हथकरघा उद्योग को कोई वित्तीय सहायता देने की योजना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क)जुलाई मास में गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में क्रमश: ३३ लाख व १ लाख रुपये का हथकरघा उद्योग का अनबिका माल पड़ा था।

(ख) जी नहीं।

कपड़ा उत्पादन

†९८१. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री सरजू पांडे :
श्री तंगामणि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में सूती कपड़ा मिलों का उत्पादन मई मास में १,३० लाख गज बढ़ गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष के प्रारम्भ से कपड़े तथा मिलों के सूत का उत्पादन प्रतिमास बढ़ता जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार ने कपड़े तथा सूत के इस बढ़ते हुए उत्पादनों का कारण जानने का कोई यत्न किया है जबकि हमारे यहां पहले से ही कपड़े का इतना स्टॉक जमा पड़ा है तथा लगभग दो दर्जन मिलें बन्द हो चुकी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :(क) जी हां। कपड़े का उत्पादन अप्रैल, १९५८ में ४०,८० लाख गज से बढ़ कर मई, १९५८ में ४२,१० लाख गज हो गया है ।

(ख) जी नहीं। इस सम्बन्ध में निरन्तर कोई वृद्धि नहीं हुई है। नीचे के आंकड़ों से वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है :—

मास	कपड़े का उत्पादन (लाख गजों में)	सूत का उत्पादन (लाख पौंडों में)
जनवरी . .	४३७	१४९
फरवरी . . .	३९१	१३३
मार्च . .	४०६	१३८
अप्रैल	४०८	१३४
मई	४२१	१३९
जून (प्रारम्भिक) . .	३९०	१२८

(ग) तथा (घ). भाग (ख) के उत्तर के पश्चात् ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

हस्तशिल्पों का विकास

†**९८२. श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्पों में विकास के लिये चल रही योजनाओं में से कुछ योजनाओं को १९५८–५९ में जारी रखने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इनका विस्तृत विवरण क्या है तथा ये योजनायें किन-किन स्थानों पर जारी रहेंगी तथा इनके लिये केन्द्रीय सरकार कितना रुपया देगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५०]**

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानियों का भारतीय ग्राम लोदरानी पर आक्रमण

†९८३. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में १० पाकिस्तानी आक्रान्ता कच्छ सीमा पर एक भारतीय ग्राम, लोदरानी, में घुस आये और वहां से १०७ ऊंटों को हांक ले गये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय सीमा पुलिस ने उनका पीछा किया तथा ऊंटों को वापस लाने का कोई यत्न किया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) जी हां। पाकिस्तानी आक्रमणकारी ९७ ऊंटों को हांक ले गये ।

(ख) सीमा पुलिस को इसकी बहुत देरी से सूचना मिली। अतः उनके सभी प्रयत्न विफल रहे। अब पाकिस्तान के स्थानीय पदाधिकारियों से इस सम्बन्ध में बातचीत की जा रही है ।

राज्य उपक्रमों का नामकरण

†९८४. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है सभी सरकारी कम्पनियों, निगमों तथा अन्य उपक्रमों का शीघ्र ही नया नामकरण किया जा रहा है ; तथा

(ख) यदि हां, तो नये नाम क्या होंगे ; तथा

(ग) किस कारण से ये नाम बदले जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) से (ग) अभी विषय विचाराधीन है। नये नामों के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है।

कपड़ा मिलें

९८५. **श्री जाधव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक कपड़ा मिलों में कितने स्वचालित करघे लगाये गये हैं तथा ये खड्डियां किन-किन मिलों में लगाई गई हैं ; और

(ख) औसतन एक कर्मचारी ऐसे कितने करघे चलाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(ख) एक कर्मचारी कितने स्वचालित करघे चलायेगा इसका फैसला मिल मालिकों तथा श्रमिक संघ के बीच हुए समझौतों पर निर्भर करता है। औसतन एक व्यक्ति को ४ से ३५ तक करघे दिये जाते हैं।

सरकारी उपक्रम

†९८६. **श्री मोहम्मद इमाम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सरकारी अथवा सरकार द्वारा सहायता पाने वाली फैक्टरियों तथा निगमों का चैयरमेन बनाया जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से कारखानें आदि हैं जिनके चैयरमन ऐसे सरकारी अधिकारी हैं ; और

(ग) इन अधिकारियों को किन कारणों से चैयरमेंन नियुक्त किया गया है।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) जहां तक वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से सम्बन्ध रखने वाले सरकारी उपक्रमों का सम्बन्ध है ऐसे उपक्रमों की जिसमें कि केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारी चैयरमेन नियुक्त किये गये हैं। सूची लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२]**।

(ग) उनको इसलिये नियुक्त किया गया है ताकि उद्योगों तथा निगमों के प्रारम्भिक स्तरों पर उनका शीघ्रता तथा सही ढंग से विकास किया जा सके।

गोमांस का आयात

†**९८७. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अब भी गोमांस का आयात कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितने मूल्य का गोमांस आयात किया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख). चालू अनुज्ञापन अवधि (लाइसेंसिग पीरियड) में गोमांस के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। जनवरी से मई १९५८ की अवधि में गोमांस—धूमित सुखाया हुआ अथवा नमकीन—का कोई आयात नहीं किया गया किन्तु गाय बैल के सदृश्य जानवरों का मांस ताजा, भुना हुआ—अवश्य आयात किया गया है। भारत में १९५७ और १९५८ (जनवरी-मई, १९५८) के दौरान में आयात किये गये गो मांस—ताजा तथा सुखाया हुआ—के मूल्य के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं। इस मूल्य में यहां तक आने का व्यय तथा बीमा व भाड़ा आदि की राशि भी सम्मिलित है।

	१९५७	१९५८ (जनवरी—मई)
	रुपयों में	रुपयों में
गोसदृश्य जानवरों (बैल, बछड़ों) का मांस—		
ताजा, भुना हुआ अथवा सूखा	३९,०५४	८,९२८
गोमांस—धूमित, सूखा अथवा नमकीन	५,५००	कोई नहीं

पूसा इंस्टीट्यूट

†**९८८. श्री रामगरीब** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूसा इंस्टीट्यूट से ड्राफ्ट्समैन तथा ओवरसीयर का प्रशिक्षण पाने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में रुड़की तथा लखनऊ से शिक्षा पाने वाले लोगों के मुकाबले कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां, सभी उम्मीदवारों को एक समान समझा जाता है ।

(ख) पूसा इंस्टीट्यूट में दी जाने वाली शिक्षा का स्तर भी उतना ही समझा जाता है जितना के अन्य स्वीकृत संस्थाओं का । इसलिये इस इंस्टीट्यूट के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का कोई आधार नहीं रहता ।

रोजगार ढांचा सर्वेक्षण[1]

†९८९. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :
श्री रा० चं० माझी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा योजना आयोग के सहयोग से रोजगार ढांचा सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस में कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के ऐसे ३,५८५ विद्यार्थी हैं । उन में से १७०० से अधिक लोगों से इंटरव्यू किये जा चुके हैं । अब उस सामग्री का मशीनों द्वारा संकलन तथा टेबुलेशन किया जा रहा है । यह सर्वे इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा और १९५९ के प्रारम्भ में इस के परिणाम प्रकाशित कर दिये जायेंगे ।

सीमान्त आक्रमण

†१९०. **श्री वाजपेयी :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री पांगरकर :
श्री वि० च० शुक्ल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५८ से आज तक भारतीय सीमाओं पर जितने पाकिस्तानी हमले हुए हैं उन के सम्बंध में भारत ने पाकिस्तान को जो विरोधपत्र दिये हैं उन का विस्तृत विवरण क्या है; और

(ख) इन में से कितने मामलों में पाकिस्तान ने कोई प्रत्युपायात्मक कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) इन आक्रमणों के सम्बन्ध में दिये गये विरोध-पत्रों का बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५३]**

(ख) कुछ मामलों में उन्हों ने ऐसी वारदातों के घटित होने से इन्कार किया है और कुछ मामलों में उन्होंने उल्टे भारत पर इलजाम लगाया है ।

---

[1]Employment pattern survey.

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानी राष्ट्रजन की गिरफ्तारी

†९९१. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४ जुलाई, १९५८ को पश्चिमी दीनाजपुर में कुमार्कगंज पुलिस स्टेशन में चांदगंज सीमा आउट-पोस्ट के समीप एक पाकिस्तानी राष्ट्र जन को पासपोर्ट नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तानी सीमा की तरफ से उसे बचाने के लिये ३०० पाकिस्तानियों ने प्रयत्न किया; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का विस्तृत विवरण ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) तथा (ख) जी हां। जुलाई मास में एक पाकिस्तानी राष्ट्रजन, इलैंड्री, जिला पश्चिमी दीनाजपुर में, भारतीय सीमा में घुस आया जब उसे भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार करना चाहा तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर २०० पाकिस्तानी उस बचाने के लिये हमारी सीमा में घुस आये। भारतीय सिपाही ने आत्म-रक्षा के लिये तथा लोगों को डराने के लिये १ गोली चलाई। इस पर कई भारतीय ग्रामवासी तथा अन्य पुलिस वाले वहां पहुंच गये और तब पाकिस्तानी लोग अपनी सीमा में भाग गये।

कुटीर तथा ग्रामोद्योगों का विकास

†९९२. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ तथा १९५८–५९ के दौरान में कुटीर तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिये विदेशों से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा किस किस देश से ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखत राशि प्राप्त हुई है :—

देश का नाम	उद्योग	वर्ष	राशि
१. अमेरिका (एक व्यक्ति द्वारा दान के रूप में)	हस्तशिल्प	१९५७–५८	३,००० डालर
२. अमेरिका (फोर्ड फाउन्डेशन)	हस्तशिल्प	१९५७–५८	७५,००० डालर

इस के अतिरिक्त जापान की सरकार ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड को १९५७–५८ तथा १९५८–५९ के वर्ष के लिये दो रेशमकृमि विशेषज्ञों की सेवायें भी प्रदान की हैं। कुछ 'स्थानीय व्यय' को छोड़ कर उन का सारा व्यय जापान सरकार ने किया है।

लेबनान से निष्क्रान्त भारतीय

†९९३. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यपूर्व में वर्तमान उथलपुथल के दौरान में लेबनान से कितने भारतीयों को निष्क्रान्त किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: भारत सरकार द्वारा लेबनान से कोई भारतीय नहीं निकाला गया है। किन्तु वहां के भारतीयों को यह परामर्श अवश्य दिया गया था कि वे अपने परिवारों को वहां से भेंज दें। इस प्रकार ४० लोग अपने व्यय पर वहां से बाहर आये हैं।

बुनकर सहकारी समितियां

†९९४. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) भारत में (राज्यानुसार) कितनी बुनकर सहकारी समितियां हैं; और

(ख) भारत में (राज्यानुसार) बुनकर सहकारी समितियों के अन्तर्गत कितने करघे पंजीबद्ध किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(ख) राज्यानुसार बुनकर सहकारी समितियों के अन्तर्गत कितने करघे पंजीबद्ध किये गये, इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें यह दिखाया गया है कि सहकारिता के क्षेत्र में राज्यानुसार कितने करघे हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४]**

काजू

†९९५. **श्री सुब्बया अम्बलम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६, १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में प्रति वर्ष भारत में काजू का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इस अवधि में कुल कितने काजू का निर्यात किया गया तथा उस का मूल्य कितना था; और

(ग) इस समय कुल कितने एकड़ भूमि में काजू की खेती होती है जिस में से कि यह फल मिल रहा है और कितने एकड़ भूमि ऐसी है जिस में से यह फल नहीं मिल रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) भारतवर्ष में १९५५–५६, १९५६–५७ तथा १९५७–५८ के वर्षों में क्रमशः ५८,०००, ५९,००० तथा ६१,००० टन काजू छिल्के समेत का उत्पादन हुआ है।

(ख) इस अवधि में इस की जितनी मात्रा का निर्यात हुआ व उस का मूल्य नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (रुपयों में)
१९५५	३०,९५७	११,६४,९४,११६
१९५६	३१,९७८	१५,११,०१,०७५
१९५७	३४,०३०	१४,७३,०५,७९०

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है । फिर भी यह अनुमान है कि भारत में लगभग २,२३,००० एकड़ भूमि में काजू की खेती होती है ।

अखिल भारतीय निर्माता, सन्था, आसाम[1]

†**९९६. श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब मंत्री महोदय हाल हीं में आसाम गये थे तब उन्हें अखिल भारतीय निर्माता, सन्था, तिनसुकिया (आसाम) की स्थानीय शाखा ने एक स्मृतिपत्र दिया था; और

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) तथा (ख). उद्योग मंत्री जब जुलाई, १९५८ में आसाम गये थे तब उन्हे एक स्मृति पत्र दिया गया था उस में निम्नलिखित बातों का आग्रह किया गया था :—

(१) आसाम के लिये इस्पात का कोटा बढ़ाया जाना चाहिये ।

(२) राज्य सरकार ने प्लाईवुड के छोटे तथा बड़े कारखानों में सप्लाई की जाने वाली इमारती लकड़ी पर अधिकार-शुल्क की जो भिन्न भिन्न दरें नियुक्त की हुई हैं उन के अन्तर को समाप्त किया जाये ।

पहली मांग के बारे में ऐसोशियेशन को यह बताया गया है कि जब तक वर्तमान विदेशी मुद्रा संकट चल रहा है तब तक केवल न आसाम के लिये ही बल्कि भारत के किसी भी भाग के लिये इस्पात का कोटा नहीं बढ़ाया जा सकता ।

दूसरी मांग के बारे में एसोसियशन को राज्य सरकार से बात चीत चलाने का परामर्श दिया गया है ।

विटामिनों का आयात

†**९९७. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास १९५७–५८ में प्रत्येक विटामिन के वास्तविक आयात के संबंध में सही आंकड़ हैं ।

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष में कुल कितन मूल्य के विटामिनों का आयात किया गया है; और

(ग) भारत में कुल कितने मूल्य के विटामिन उत्पन्न किये जाते हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी हां ।

(ख) विटामिनों के आयात संबंधी एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है ।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५५]

---

[1]All India Manufacturers' Association, Assam.

†मूल अंग्रेजी में

(ग) भारत में बम्बई, कोशिकोड़ और त्रिवेन्द्रम में तीन सरकारी कारखाने जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ७०,००० गैलन है, मछली के तेल का निर्माण करते हैं जिसमें कि विटामिन 'ए' की बहुत बड़ी मात्रा होती है (एक ग्राम तेल में ६०,००० आई० यू० विटामिन 'ए' होता है) इन कारखानों में १९५७ में ४८,६५९ गैलन तेल का उत्पादन हुआ जिसका मूल्य १४,५९,७७० रूपये था। इसमें १८७ किलोग्राम निकोटिनिक एसिड तथा एमाइड भी थे जिनका मूल्य ६,१०० रूपये है ।

आसाम में उद्योग

†९९८. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का हाल ही में शिलांग में हुए औद्योगिक सम्मेलन के परिणामस्वरूप आसाम राज्य में कितने उद्योग स्वयं स्थापित करने अथवा राज्य सरकार या गैर-सरकारी क्षेत्र को इस प्रयोजनार्थ सहायता देने का विचार है ; और

(ख) क्या इस सम्मेलन की विभिन्न विभागीय समितियों ने कोई सिफारिशें की हैं ; और यदि हां, तो क्या ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख). सरकार को अभी तक शिलांग औद्योगिक सम्मेलन की विभागीय समितियों की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं, विवरण में, जो कि लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७५६]**, दी गई योजनाओं को राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ।

काम दिलाऊ दफ्तर

†९९९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें बताया गया है कि :

(क) पंजाब में इस समय काम दिलाऊ दफ़्तरों की रोजगार पंजी में कितने बेरोज़गार बी० ए०, इंटर तथा मैट्रिक पास लोगों के नाम दर्ज हैं ;

(ख) १९५८-५९ के दौरान में अब तक कितने बेरोज़गार स्नातकों के नाम दर्ज किये गये हैं ; और

(ग) इस अवधि में से उनमें से कितने लोगों को नौकरियां दिलाई गई हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है ।

(क) श्रेणी	रोज़गार पंजी में पंजीबद्ध व्यक्तियों की संख्या, ३०जून १९५८ को
ग्रेज्युएट्स	१४९६
इंटरमीडियेट	१३८०
मेट्रीकुलेट्स	१४,०८५
कुल	१६,९६१
(ख) अप्रैल-जून, १९५८ अवधि में	१०४७
(ग) अप्रैल-जून १९५८ अवधि में	१८१

†मूल अंग्रेजी में

कारों का निर्माण

†१०००. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक भारतवर्ष में १८ हार्सपावर से अधिक एच० पी० की कितनी बड़ी कारें बनाई गई हैं ; और

(ख) इस अवधि में १७ एच० पी० से कम पावर की कितनी छोटी कारें बनाई गईं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख). १९५८ के पहले ६ महीनों के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

१.	१८ एच० पी० से अधिक पावर की कारें (स्टेशन वेगनों समेत)	३४०
२.	१७ एच० पी० से कम पावर की कारें (स्टेशन वेगनों समेत)	२९४७

चमड़ा उद्योगों के बारे में अखिल भारतीय गोष्ठी

†१००१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में चमड़ा उद्योगों के बारे में कोई अखिल भारतीय गोष्ठी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सुझाव तथा सिफारिशें की हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) गोष्ठी के सुझावों तथा सिफारिशों संबंधी टिप्पणों की एक प्रति लाइब्रेरी में रख दी गई है । **[देखिये अनुबन्ध संख्या एल० टी० ८७०/५८]**

सीमेंट का उत्पादन

१००२. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सीमेंट के नये कारखाने खुल जाने के बाद सीमेंट का अनुमानत: कितना वार्षिक उत्पादन होगा ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : अगर सभी स्वीकृत योजनाऐं क्रियान्वित हो जाऐं तो सीमेंट की कुल उत्पादन-क्षमता १५२ लाख टन हो जाएगी और वार्षिक उत्पादन १३६.८ लाख टन तक पहुचे जाएगा । संयंत्र और मशीनों के लिए जो आयात लाइसेंस दिये जा चुके हैं ; उनके अनुसार १ करोड़ टन उत्पादन क्षमता का प्रबंध हो चुका है और इस आधार पर वार्षिक उत्पादन लगभग ९० लाख टन होगा ।

जापान के साथ व्यापार

†१००३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जापान और भारत के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत का आयात व्यापार

†१००४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में भारत के आयात व्यापार की क्या स्थिति रही है ; और

(ख) इस अवधि में कुल कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) तथा (ख). भारत के जनवरी से जून, १९५८ तक के आयात व्यापार की स्थिति नीचे दी जाती है :—

	मूल्य (करोड़ रूपयों में) जनवरी-जून, १९५८
आयात	३९०
निर्यात (पुनःनिर्यात सहित)	२६२
व्यापार सन्तुलन	—१२८

लेखकों को पारिश्रमिक

†१००५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने १९५७-५८ के दौरान विभिन्न भारतीय भाषाओं के लेखकों को हिन्दी तथा अंग्रेजी के लेखकों को छोड़कर प्रत्येक भाषा के लिये पृथक-पृथक विभिन्न सरकारी प्रकाशनों के लिये लेख लिखने के प्रतिफल स्वरुप कितना कितना पारिश्रमिक दिया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: सूचना और प्रसारण मंत्रालय अंग्रेजी, हिन्दी व उर्दू को छोड़ कर अन्य किसी भाषा में प्रकाशन नहीं निकालता है। इसलिये अन्य भाषाओं के लेखकों को पारिश्रमिक देने का प्रश्न नहीं उठता। उर्दू लेखकों को १९५७-५८ में ४,५७७ रूपये का पारिश्रमिक दिया गया।

पंजाब में हस्तशिल्प प्रशिक्षण योजना

†१००६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में हस्तशिल्पों के प्रशिक्षण के लिये कोई योजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या; और

(ग) यह योजना किन-किन स्थानों पर चालू की जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८]**

पंजाब में खादी उत्पादन

†१००७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५८ तक कितना खद्दर तय्यार हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : पंजाब के सभी खादी केन्द्रों से इस अवधि के उत्पादन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। किन्तु १९५८ के अगस्त के तीसरे सप्ताह में प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के अनुसार १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५८ तक पंजाब में खादी, जिस में अम्बर खादी भी शामिल है, का उत्पादन लगभग ७१.४८ लाख वर्ग गज बैठता है ।

आंध्र में 'बेरिल' का सर्वेक्षण

†**१००८. श्री रामी रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में बेरिल के संसाधनों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) राज्य के निक्षेपों में इस खनिज पदार्थ की कितनी मात्रा उपलब्ध है ; और

(ग) राज्य में किन-किन स्थानों पर यह खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ग). आन्ध्र राज्य के कुछ जिलों में अणुशक्ति विभाग के आणविक खनिज डिवीज़न ने कच्चे बेरिल के निक्षेपों की खोज में एक विस्तृत और प्रणालीबद्ध सर्वेक्षण किया। अन्य जिलों में भी यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के फलस्वरूप नैल्लोर, विशाखापटनम और श्रीकाकुलम जिलों में कच्चे बेरिल के कुछ निक्षेपों का पता लगा है। इन निक्षेपों का ठीक-ठीक स्थान बताना हितकर न होगा।

(ख) कच्चा बेरिल थोड़ो-थोड़ी मात्रा में कहीं-कहीं मिलता है इसलिये उन की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

त्रिपुरा पर पाकिस्तानी हमले

†**१००९. श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी सेना तथा अन्य बलों द्वारा हाल ही में गोली चलाने आदि के कारण त्रिपुरा में किन-किन स्थानों को हानि पहुंची ;

(ख) क्या यह सच है कि इन्हीं हमलों में से एक हमले में त्रिपुरा सशस्त्र बल के कमांडेंट और कुछ पुलिस कर्मचारी लापता हो गये ;

(ग) यदि हां, तो इन घटनाओं का ब्योरा क्या है और क्या इन लोगों के बारे में कोई समाचार मिला है ; और

(ख) इन हमलों में कितने सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों को हानि पहुंची और उन की तथा उन के परिवारों की सहायता के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). हाल ही में पाकिस्तानी सेना द्वारा गोली चलाने आदि से केवल लक्ष्मीपुर गांव को हानि पहुंची। ६/७ अगस्त, १९५८ की रात को पाकिस्तानी सशस्त्र बल ने इस गांव में भारतीय पुलिस चौकी पर छापा मारा और बिना सोचे समझे गोली चलाना शुरू कर दिया। इस में दो पुलिस कर्मचारी मारे गये और दो घायल हुए। उन में से तीन, जिन में कमांडेंट भी शामिल है, को वे उठा कर पाकिस्तान ले गये जिन्हें अभी तक वहां रखा हुआ है। पाकिस्तान सरकार से उन्हें रिहा करने के लिये कहा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इन हमलों का प्रत्यक्ष रूप से केवल उक्त पुलिस कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा था। जिन नागरिकों पर इस का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उन की संख्या अधिक नहीं होगी। इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कि त्रिपुरा प्रशासन ने उन लोगों की अथवा उन के परिवारों की क्या सहायता की ।

तुकेग्राम गांव पर पाकिस्तान का कब्जा

†१०१०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से तुकेग्राम गांव को, जिस पर उन्हों ने ७ अगस्त से बलपूर्वक कब्जा कर रखा है, खाली करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार पर उस की क्या प्रतिक्रिया हुई है ;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार ने गांव को खाली कर दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस गांव को स्वतंत्र कराने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने यह गलत दावा किया है कि यह गांव उन के क्षेत्र में पड़ता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है कि पाकिस्तान उसे खाली कर दे और ३० अगस्त को कराची में होने वाले सचिवों के सम्मेलन में यह बात उठाई जायेगी ।

कृत्रिम रेशम का धागा

†१०११. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक वर्ष कृत्रिम रेशम का कितना धागा बनाया जाता है ;

(ख) धागे के उत्पादकों के क्या नाम हैं ;

(ग) क्या वास्तविक उपभोक्ताओं में इस का वितरण करने की कोई योजना बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है और वास्तविक उपभोक्ताओं में धागे का समान वितरण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** :

(क) १९५५—१५४.५ लाख पौंड ।

१९५६—१९३.२ लाख पौंड ।

१९५७—२५१.८ लाख पौंड ।

(ख) १. मैसर्ज़ नैशनल रेयन कारपोरेशन, कल्याण, बम्बई ।

२. मैसर्ज़ त्रावंकोर रेयन, रेयानपुरम, केरल ।

---

†मूल अंग्रेजी में

३. मैसर्ज़ सैंचुरी रेयन, कल्याण, बम्बई ।

४. मैसर्ज़ श्रीसिल्क लिमिटेड, सिरपुर–कागजनगर, आंध्र प्रदेश ।

(ग) और (घ). जी, हां । एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५९]**

नेपा अखबारी कागज़ कारखाना (नेपा न्यूज़प्रिंट फैक्टरी)

†१०१२. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपा अखबारी कागज़ कारखाने (नेपा न्यूज़प्रिंट फैक्टरी) को बिजली की सप्लाई बढ़ा दी गई है जिस से वह प्रति दिन १०० टन कागज़ का उत्पादन कर सके ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ; और

(ग) बिजली की सप्लाई बढ़ा देने से कारखाने में कागज़ का कितना अतिरिक्त उत्पादन होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) लगभग ५००० से ७००० टन प्रतिवर्ष ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा अधिग्रहण नियमों में संशोधन

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : मैं अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा अधिग्रहण अधिनियम, १९५२ की धारा २२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा अधिग्रहण नियम, १९५३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २ अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६५४ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल ० टी०––८५४/५८]

चौधरी समिति का प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :––

(१) पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों के बारे में श्री पी० सी० चौधरी द्वारा की गई जांच का प्रतिवेदन ।

(२) सरकारी संकल्प संख्या २३–पी एल० ए० (८७)/५८, दिनांक २१ जुलाई, १९५८ ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०––८६०/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं मेसर्ज़ जेसप एण्ड कम्पनीं लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध ले लेने के बारे में दिनांक १५ मई, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८६७ एस० ओ० संख्या ९७१ दिनांक ३१ मई, द्वारा संशोधित की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०--८६१/५८]

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का प्रबन्ध और निर्वाचन याचिकाओं का निपटाया जाना) नियमों में संशोधन

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का प्रबन्ध और निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७००-ए की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०--८६२/५८]

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: मैं विभिन्न सत्रों में जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ६ दूसरी लोक-सभा का चौथा सत्र, १९५८। **देखिये** परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६०

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ८ दूसरी लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५७। **देखिये** परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६१

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १४ दूसरी लोक-सभा का पहला सत्र, १९५७। **[देखिये** परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६२]

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि लोक-सभा द्वारा १२ अगस्त, १९५८ को पारित अखिल भारतीय सेवा संशोधन विधेयक १९५८ को और १८ अगस्त, १९५८ को पारित दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५८ को राज्य-सभा ने अपनी २५ अगस्त, १९५८ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा): मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक

अध्यक्ष महोदय : सभा अब व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक पर, संयुक्त समति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करेगी । इस विधेयक पर सामान्य चर्चा के लिये चार घंटे और खंड-वार चर्चा तथा तृतीय वाचन के लिये एक-एक घंटे का समय निश्चित किया गया है ।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि व्यापार चिन्हों के पंजीयन और उन के सुरक्षण का, और पण्य पर जाली चिन्हों के प्रयोग को रोकने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

यह विधेयक लोकसभा में २८ मार्च, १९५८ को पुरःस्थापित किया गया था । विधेयक को संयुक्त समिति में निर्देश करने का प्रस्ताव ५ मई को रखा गया । विधेयक के सिद्धान्तों तथा विषय पर पर्याप्त चर्चा हुई थी । तथा इस बात पर सभी एकमत थे कि जिस रूप में विधेयक पुरः-स्थापित किया गया है वह सभा को मान्य है । इस के पश्चात् विधेयक संयुक्त समिति में गया । समिति की बारह बैठकें हुईं और विधेयक उन सब से हो कर गुजरा । उन्हों ने विधेयक की भाषा में परिवर्तन कर उस में सुधार किया तथापि विधेयक का रूप मोटे तौर पर वही रहा । मैं संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक को प्रस्तुत करता हूं :

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश): इस विधेयक में संयुक्त समिति ने कोई विशेष परि-वर्तन नहीं किये हैं । मैं सभा का ध्यान इस विधेयक के कुछ पहलुओं की ओर दिलाना चाहता हूं जिन पर विचार किये बिना यह विधेयक व्यवहारिक और कार्य सिद्ध होगा ।

निःसन्देह विधेयक के खंड ७७ और ७८ में जाली व्यापार चिन्ह बनाने और उन का प्रयोग करने से रोकने पर ३ वर्ष तक के कठिन कारावास की सजा का उपबन्ध किया गया है ।

व्यवहारिक रूप से इस सजा को लागू करना बहुत कठिन होता है क्योंकि ये जाली चिन्ह इत्यादि बनाने के ये अपराध भारत के किसी भी छोटे नगर में किये जा सकते हैं । जहां मुकदमा चलाने वाला पक्ष सरलता से नहीं पहुंच सकता है । यदि वह अपराधी के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करने का निश्चय करता भी है तो वहां उसे कई कठिनाइयां होती हैं, उस का समन तामील नहीं होता है, मुकदमे की तारीख आसानी से बदली जा सकती है तथा मुकदमे को दूसरी जगह स्थानान्तर किया जा सकता है जिस से दूसरा पक्ष परेशान हो जाता है और वह कुछ वैध कार्यवाही करने की अपेक्षा वह नुकसान सहना भी उचित समझता है ।

वस्तुतः मेरे द्वारा दिये गये संशोधनों का भी यही आशय है और संयुक्त समिति भी नया खंड ८९ क जोड़ कर इस का उपबन्ध कर सकती थी । व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिये कि जिस पक्ष को हानि पहुंची है वह पक्ष ऐसे न्यायालय में अभियोजन कर सकता है जहां उस का मुख्य या शाखा कार्यालय स्थित हो । लेकिन साथ ही दूसरे पक्ष को भी यह अधिकार होना चाहिये कि वह इस के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करे । उच्च न्यायालय मामले पर गौर कर यह निश्चय करेगा कि मामले की सुनवाई कहां होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में हमारा यह अनुभव है कि दावा करने वाला पक्ष अधिकांश सही होता है क्योंकि उस के लोकप्रिय और मशहूर वस्तु के चिन्ह की जाली नकल की जाती है तथापि छोटे निर्माताओं को दंड देना बहुत कठिन होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य चिन्हों का उपयोग करने वाले निर्माताओं को केवल अधिकार देना ही पर्याप्त नहीं है अपितु उस के विरुद्ध कार्य करने वालों को दंड देने का व्यवहारिक उपबन्ध होना चाहिये ।

मेरे संशोधन का उद्देश्य लोकहित की रक्षा करना है । वस्तुतः जो लोग दवाओं तथा अन्य वस्तुओं पर जाली चिन्हों का उपयोग करते हैं, उन से जनता को हानि होती है अतः इस का दंड देने में कठोरता बरतनी चाहिये । इस सम्बन्ध में मेरे तीन सुझाव हैं पहिला कि कुछ न्यूनतम दंड अवश्य विहित किया जाना चाहिये दूसरा बेचा गया सम्पूर्ण माल जब्त कर लिया जाना चाहिये और तीसरा उस निर्याति को आगामी तीन वर्ष तक किसी व्यापार चिन्ह के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । साथ ही उस के लिये यह भी आवश्यक होना चाहिये कि वह अपनी दुकान या फर्म के समक्ष एक ऐसा बोर्ड लगाये जिस में उस के व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने का उल्लेख हो ।

मैं विमति टिप्पण में हस्ताक्षर करने वालों के इस सुझाव से सहमत हूं कि छोटे व्यापारियों के लिये, जिन्हें अखिल भारतीय संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती, सीमित क्षेत्र में संरक्षण देने की व्यवस्था हो । इस के लिये उन से शुल्क, या शर्तों के सम्बन्ध में रियायत की जाय ।

इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि सभी राज्यों में व्यापार चिन्ह पंजीयन कार्यालय हों । इस से व्यापारियों को बहुत सहायता मिलेगी ।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे विधेयक की उक्त त्रुटियों को दूर करने पर विचार करें ।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : संयुक्त समिति ने विधेयक में जो सुधार किये हैं मैं उन से सहमत हूं ।

विधेयक की वर्तमान योजना के अनुसार चार या पांच व्यापार चिन्ह पंजीयन कार्यालय खुलेंगे । तथापि सरकार को प्रत्येक राज्य में ऐसा कार्यालय खोलने पर विचार करना चाहिये । मैं छोटे निर्माताओं के पक्ष में दो चार बातें कहना चाहता हूं । उदाहरणार्थ उड़ीसा के कई नगरों में बीड़ियों, साबुन व विशेष प्रकार के भोग्य पदार्थ बनते हैं उन्हें कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं रहती है कि उन का व्यापार भारतव्यापी विस्तार प्राप्त करे तथापि जब कोई बड़ा निर्माता उन पर किसी बड़े शहर में दावा कर देता है तो वे बड़ी कठिनाई में फंस जाते हैं । इन छोटे निर्माताओं के लिये कुछ व्यवस्था होनी चाहिये जिस से ये छोटे मोटे निर्माता अपनी वस्तुओं का पंजीयन करवा सकें ।

खंड ३ के सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि उच्च न्यायालय का क्षेत्र, उस विशेष खंड तक लागू होगा जो उस के अधीन व्यापार चिन्ह पंजीयन कार्यालय के अन्तर्गत आता है । इस से छोटे निर्माताओं और व्यापारियों को बहुत कठिनाई हो जायेगी । उन्हें अपने स्थान से बहुत दूर उस स्थान तक जाना पड़ेगा और इस प्रकार अत्याधिक व्यय हो जायेगा ।

कुछ विशेष चिन्हों को पंजीयत न करने का जो उपबन्ध रखा गया है, हम उस से सहमत हैं केवल मेरा सुझाव यह भी है कि राजनैतिक दलों के प्रतीकों पर भी रोक लगा देनी चाहिये । साथ ही राजनैतिक दलों के नेताओं तथा लोकप्रिय नेताओं के नाम के व्यापार चिन्हों के पंजीयन की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिये ।

खंड १०९ में केन्द्रीय सरकार के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का कोई उपबन्ध नहीं रखा गया है । वस्तुतः सरकार से गलती हो सकती है उस के उपचार का प्रबन्ध होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन): मैं यह बताना चाहता हूं कि सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : घंटी बजाई जाये । मैं सभा के सदस्यों की सहमति से एक समिति नियुक्त करना चाहता हूं जो सभा के कार्यक्रम को अधिक दिलचस्प बनाने के सम्बन्ध में सुझाव दे । माननीय सदस्यों की यहां उपस्थिति के लिये ऐसा करना ही होगा । कम से कम मैं यह अवश्य चाहूंगा कि उप मंत्री लोग सभा में अवश्य उपस्थित रहें । ज्यों ही कोई सदस्य सभासचिव बन जाता है, वह संसद् के सामान्य कार्य में दिलचस्पी लेना बन्द कर देता है । मैं उन से अब दूसरे विषयों पर बोलने के लिये भी कहां करूंगा ।

अब गणपूर्ति हो गई है । श्री पट्टाभिरामन् अपना भाषण शुरू करें ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्भकोणम्) : हम ने निस्सन्देह एक व्यापक विधेयक तैयार किया है । १०० पृष्ठ के इस विधेयक के सम्बन्ध में केवल चार संशोधन प्राप्त हुए हैं । यह प्रशंसनीय बात है । हम ने इस बात का प्रयत्न किया है कि हमारा व्यापार चिन्ह विधेयक ब्रिटेन तथा आस्ट्रेलिया के समकक्ष आ जाये ।

जहां तक नौशीर भरूचा के संशोधनों का प्रश्न है, वह उन न्यायालयों को जिन के क्षेत्र के अधीन उस निर्माता का मुख्य कार्यालय स्थित है जिस के व्यापार चिन्ह का दुरुपयोग किया गया है मुकदमा चलाने का अधिकार देती है । मेरे विचार से यह संशोधन भारत जैसे देश के लिये जहां हजारों छोटे मोटे व्यापारी हैं अनुचित है । इस से छोटे व्यापारी बहुत कठिनाई में पड़ जायेंगे ।

अपने दूसरे संशोधन के द्वारा श्री भरूचा यह चाहते हैं कि समुद्र सीमा अधिनियम का इसमें कहीं निर्देश नहीं हो । उन का उद्देश्य यह मालूम होता है कि समुद्र सीमा अधिनियम की कोई बात, व्यापार तथा पण्य चिन्ह अधिनियम को निर्देश न की जाय । वस्तुतः समुद्र सीमा अधिनियम में, व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक का निर्देश किया गया है । व्यापक विधेयक होने के नाते उस में उक्त अधिनियम का निर्देश आ सकता है ।

उन का तीसरा संशोधन शब्दों में परिवर्तन के सम्बन्ध में है मैं उस से सहमत नहीं हूं । चौथे संशोधन में उन्हों ने यह बताया है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा २० के अनुसार उस स्थान का निर्णय किया जायेगा जहां मुकदमा दायर किया जाय । यह बात अनुभवसिद्ध न्यायसिद्धान्तों के विरुद्ध है ।

श्री पाणिग्रही की आशंका भी निराधार है क्योंकि विधेयक की अवहेलना करने पर मुकदमा जिला न्यायालय में ही दायर होगा । उच्च न्यायालय में जाने का प्रश्न तो बाद को आता है । अतः यह आशंका निर्मूल है ।

मैं सभा से विधेयक की स्वीकृति की सिफारिश करता हूं ।

†**श्री वें० प० नायर** : अध्यक्ष महोदय, संयुक्त समिति से वापस आने पर विधेयक में काफी सुधार हो गया है । इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे तैयार करने में सरकार ने इस बात का ध्यान नहीं रखा है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है और व्यापार चिह्नों का आज के युग में क्या महत्व है ।

हम जानते हैं कि विभिन्न व्यापार चिह्नों के प्रचार द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुयें बाजारों में बिकती हैं । उदाहरण के लिये आप टूथपेस्ट को ही लीजिये । तरह-तरह के टूथपेस्ट बिक रहे हैं

†मूल अंग्रेजी में

सबका व्यापार चिह्न है। हम प्रचार के प्रलोभन में पड़कर उन्हें खरीदते हैं। पर उनमें वह गुण या वे विशेषतायें नहीं मिलतीं जिनके नाम पर उनका प्रचार किया जाता है। कभी-कभी तो उनसे लाभ के बजाय हानि ही होती है। दमा के लिये और श्वेत कुष्ट के लिए भी ऐसी ही अनेक दवायें बाजार में खूब बिकती हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक ऐसी संस्था का उदाहरण दूंगा जो मुर्गी के बच्चों का अर्क बना कर बेचती है। हजारों लाखों लोग उसे खरीदते हैं। पर एक न्यायाधिकरण में जब उस संस्था का मामला गया तो पता लगा कि वे मुर्गी के बच्चों को इस्तेमाल नहीं करते थे बल्कि बछड़ों या गाय के गोश्त से बनाया गया पदार्थ मुर्गी के बच्चों का अर्क कह कर बेचते थे। इसी प्रकार काले बन्दर का रसायन बनाने वाली संस्था का भी यही हाल है। वे काले बन्दरों का प्रयोग नहीं करते।

व्यापार चिह्न का मामला वैसे तो एकस्व और प्रतिलिप्याधिकार के मामले से भिन्न है पर हम को ध्यान रखना चाहिए कि व्यापार चिह्नों की आड़ में ऐसी बातें न हों। बड़ी-बड़ी संस्थायें प्रचार के बल पर रद्दी सद्दी चीजें खूब धूम से बेचती हैं। उनके पास प्रचार के लिए धन है। और प्रचार आज के व्यापार की जान है।

इसी प्रकार अनासीन और एस्प्रो की गोलियों का भी सवाल है। इसका प्रचार बहुत ज्यादा है और इन पर ५०० प्रतिशत का लाभ है। हम सभी लोग इन गोलियों को अक्सर खरीदते व खाते हैं। पर इनका गुण प्रायः वह नहीं होता जो इनके प्रचार में बताया जाता है। अतः मेरा सविनय निवेदन है कि इस विधेयक को बनाने में सरकार ने इस बात का ध्यान नहीं रखा है कि बड़ी-बड़ी व्यापारिक संस्थाओं के ऐसे प्रचार कुचक्रों से जनता की रक्षा कैसे की जाये। जहां व्यापार चिह्नों के अधीन वस्तुओं के विक्रय की आवश्यकता है वहां जनता के हित का ध्यान रखना भी आवश्यक है।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मेरा कार्य काफी सरल है क्योंकि श्री भरूचा के संशोधनों को छोड़कर अन्य कोई संशोधन नहीं है। श्री भरूचा के तर्क का बहुत कुछ उत्तर श्री पट्टाभिरामन् ने दे दिया है।

श्री भरूचा ने कहा कि दण्ड को और कठोर बनाया जाये। माननीय सदस्य को ध्यान रखना चाहिये कि व्यापार चिह्न तथा व्यापार चिह्न रूपी सम्पत्ति का अर्थ बहुत सीमित है। यह एक अमूर्त्त सम्पत्ति है। व्यापार चिह्न का मूल्य उस के प्रचार पर किये गये परिश्रम के अनुसार आंका जा सकता है। विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि व्यापार चिह्न की झूठी व्याख्या दण्डनीय होगी। यह बात इस के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये काफी होगी।

श्री नायर ने लाभ आदि की बात कही। उस सम्बन्ध में विधेयक के राजकोषीय उपबन्ध काफी हैं जो उस पर नियंत्रण रख सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति बाजार से कोई ऐसा टूथपेस्ट खरीदता है जिसके गुण और जिसकी विशेषतायें अच्छी नहीं हैं तो इस बात का इलाज हमारे पास नहीं है। आज तो प्रचार का युग है। सारे संसार में तरह-तरह के प्रचार होते हैं। हमारे देश के लोग तो संसार के अन्य देशों के लोगों की तुलना में प्रचारों पर कब विश्वास करते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में मैंने एक सीमित उद्देश्य को ही रखा है।

मुझे प्रसन्नता है कि सभा में इस विधेयक को पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ है। विधेयक को अधिक अवरोधी या कम अवरोधी बनाना परिस्थितियों पर निर्भर होगा। हमारे देश में व्यापार तथा वाणिज्य की जो स्थिति है उसे देखते हुए इस विधेयक के उपबन्ध पर्याप्त हैं। विधेयक के अध्याय ६ की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। इसमें नाजायज लाभ उठाने या शोषण

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

पर पर्याप्त नियंत्रण रखने की बात कही गयी है क्योंकि हमारे देश में व्यापार तथा वाणिज्य की स्थिति अभी पूर्णतया विकसित नहीं है। इस विधेयक में पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं जिन्हें समय की स्थिति को देखते हुए काम में लाया जायेगा। समय बदल जाने पर सरकार का कर्तव्य होगा कि वह उस में आवश्यक संशोधन करे।

श्री भरूचा ने कहा कि पंजीकृत चिह्नों के स्वामियों को जो संरक्षण दिया गया है वह नहीं के बराबर है क्योंकि उसे कार्यान्वित करना बहुत कठिन काम है। इस विधेयक में पंजीयन के लिए कुछ सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है क्योंकि पंजीकृत स्वामियों को उससे कुछ विशेष लाभ होते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि संयुक्त समिति ने विधेयक में जो संशोधन करके विधेयक को प्रस्तुत किया है वह ठीक है और अब सभा को चाहिए कि वह उसे स्वीकार कर ले।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि व्यापार चिह्नों के पंजीयन तथा उनके सुसंरक्षण का और पण्य पर जाली चिह्नों के प्रयोग को रोकने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २--(परिभाषा)

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

†**श्री कानूनगो :** केवल खण्ड ८९, ९०, ९१ और १०५ पर ही संशोधन हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** अतः मैं खण्ड ३ से ८९ तक एक साथ लूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ से ८९ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ३ से ८९ विधेयक में जोड़ दिये गये

नया खण्ड ८९-क

†**श्री नौशीर भरूचा :** मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

मेरे संशोधन में कहा गया है कि यद्यपि दण्ड प्रक्रिया संहिता में कहा गया है कि मामला वहीं दायर किया जाता है जहां कि अपराध हुआ हो पर हमें उस में परिवर्तन करना होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई हत्या का मामला होता है तो वहीं पर मामला चलाया जाता है जहां हत्या होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पर ऐसे मामले तो एक साथ अनेक स्थानों पर होते हैं अतः मेरा अनुरोध है कि ऐसा उपबन्ध न रखा जाये कि जहां मामला हो वहीं मुकदमा चलाया जाये । एक बात तो एक व्यक्ति के लिये असंभव होगी कि वह एक साथ अनेक स्थानों पर जाये और मुकदमा चलाये । अतः उपबन्ध यह होना चाहिये कि पीड़ित पक्ष के स्थान पर मुकदमा चलाया जाये । बात भी ठीक है कि अभियुक्त को अपना खर्चा देकर वहां तक जाने की कठिनाई उठानी चाहिए । अतः हमें यह संशोधन अवश्य करना चाहिए । हो सकता है कि कुछ अवांछित मामलों में किसी व्यक्ति को बेकार में परेशान होना पड़े और धन व्यय करके आना पड़े । ऐसे मामलों में न्यायालय को चाहिए कि वह अभियोक्ता से कुछ जमानत जमा करा ले और यदि मामला झूठा हो तो अभियुक्त को खर्च उसी जमानत में से दे दिया जाये ।

अतः मेरा निवेदन है कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो व्यापार चिह्नों के स्वामियों की रक्षा नहीं हो पायेगी ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । वास्तविक अपराधी को पकड़ पाना बहुत कठिन काम होता है । और पहले से हम कोई ऐसी धारणा नहीं बना सकते कि अमुक व्यक्ति अपराधी है जब तक कि अपराध सिद्ध न हो जाये । अतः यह होना चाहिए कि वह व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर हो और मुकदमा कहीं अन्य स्थान पर चलाया जाये । अतः विधि की साधारण प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करना मैं वांछनीय नहीं समझता । मैं संशोधन का विरोध करता हूं ।

†**श्री मूलचन्द दूबे** (फर्रुखाबाद) : मैं भी इस संशोधन का विरोध करता हूं । माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार करने से न्याय व्यवस्था का सारा ढांचा बिगड़ जायेगा । माननीय सदस्य का कहना है कि पीड़ित पक्ष के व्यापार वाले स्थान पर मामला चलाये जायें । पर वह यह बात क्यों भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाता है वह भी तो पीड़ित पक्ष होता है। हो सकता है बिल्कुल निराधार बात पर शिकायत की गई हो और मामला चलाया गया हो । अतः मैं भी इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

†**श्री कानूनगो** : व्यापार चिह्न स्वामी संस्था ने, जिसने संयुक्त समिति को एक तर्कपूर्ण ज्ञापन दिया था और समिति के सामने अपना साक्ष्य भी दिया था, यह सुझाव नहीं दिया कि मामले को निबटाने के स्थान में कोई परिवर्तन किया जाये । व्यापार चिह्नों के सम्बन्ध में सभी व्यवहारिक और अपराधिक मामलों में अभियोक्ता को जो कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं उनकी चर्चा भी उक्त समिति ने सविस्तार की और समिति को उन्होंने बताया कि भौतिक सम्पत्ति के अधिकार के उल्लंघन की बात व्यापार चिह्न सम्पत्ति के अधिकार में उल्लंघन की बात से भिन्न है । । वे तो सिर्फ इतना ही चाहते थे कि ऐसे अपराधों को हस्तक्षेप्य अपराध बना दिया जाये ताकि सरकारी अभियोक्ता को तलाशी आदि लेने का अधिकार मिल जाये । उन्होंने यह मांग कभी नहीं की कि मामला चलाने का स्थान बदल दिया जाये चाहे वह व्यवहार सम्बन्धी मामला हो या दण्ड सम्बन्धी ।

इन बातों पर समिति ने अच्छी तरह विचार किया और उसने यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान परिस्थितियों में व्यवहार या दण्ड की स्थापित प्रक्रिया में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है । काफी विचार के बाद समिति ने निर्णय किया कि इस विधान के अधीन आने वाले दण्डनीय अपराधों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की समन प्रणाली ही लागू होनी चाहिए । यह बात ठीक है कि हस्तक्षेप अपराधों की तुलना में समन वाले मामलों में अपराध सिद्धि मुश्किल

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

होती है पर जानबूझ कर ऐसे अन्तर का स्थान दिया गया है और कुछ अपराधों को हस्तक्षेप्य और कुछ को गैर-हस्तक्षेप्य बना दिया गया हैं। अतः देश की स्थापित प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है चाहे व्यवहार सम्बन्धी मामला हो या दण्ड सम्बन्धी।

एक बात मुझे और कहनी है कि प्रत्येक मामले में चाहे वह दण्ड सम्बन्धी हो या व्यवहार सम्बन्धी अभियुक्त और अभियोक्ता के अतिरिक्त साक्ष्यों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनकी सुविधा को भी ध्यान में रहना आवश्यक होता है। अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं संशोधन संख्या १ को मतदान के लिए रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

खण्ड ९०—(समुद्र द्वारा आयात किये गये माल के बारे में साक्ष्य)

†**श्री नौशीर भरूचा :** मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड ९० में कहा गया है कि समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ के अधीन होने वाले मामलों में इस बात के प्रमाण की आवश्यकता होगी कि वह माल किस बन्दरगाह से आयात किया गया बात तो ठीक है पर इस प्रसंग में केवल इस अधिनियम का ही उल्लेख संगत है। समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम सम्बन्धी उपबन्ध तो उसी अधिनियम में शोभा देगा। अतः मेरा निवेदन है कि समुद्र सीमा शुल्क की धारा १८ सम्बन्धी जो बातें हैं वे इस में से निकाल दी जाये।

†**श्री कानूनगो :** श्रीमान्, मूल विधेयक में तो केवल समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम का उल्लेख मात्रा था। संयुक्त समिति ने उसकी धारा १८ की उपधारा (घ)(घघ), खण्ड (ङ), खण्ड (च), खण्ड (ज), खण्ड (झ) या खण्ड (ञ) का उल्लेख करके उसे और अधिक स्पष्ट बनाने का प्रयत्न किया है। अतः जब एक बार संयुक्त समित ने विचार करने के बाद ऐसा किया है तो उसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९० विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ९० विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ९१—(प्रतिवाद या अभियोजन का व्यय)

†**श्री नौशीर भरूचा :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५५, खण्ड ९१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"91. In any prosecution under this Act, the court may order such costs to be paid by the accused to the complainant, or by the complainant to the accused, as the court deemed reasonable having

†मूल अंग्रेजी में

regard to all the circumstances of the case and the conduct of the parties. Costs so awarded shall be recoverable as if they were a fine. (९१. इस अधिनियम के अधीन किसी अभियोग में न्यायालय अभियुक्त से अभियोक्ता को, या अभियोक्ता से अभियुक्त को उन व्ययों के भुगतान का आदेश दे सकेगा, जिसे न्यायालय मामले की सभी परिस्थितियों तथा दोनों पक्षों के आचरण को ध्यान में रखते हुए समुचित समझेगा। इस प्रकार का व्यय जुर्माने की भांति वसूल किया जायगा।)"

मेरे इस संशोधन का अभिप्राय यह है कि व्ययों का भुगतान केवल समुद्र द्वारा आयात की गयी चीजों के सम्बन्ध में ही क्यों रखा जाये अन्य चीजों के सम्बन्ध में क्यों न रखा जाय। मेरे संशोधन का अभिप्राय है कि न्यायालय पर यह बात छोड़ दी जानी चाहिए। इस प्रकार खण्ड ९१ तर्कयुक्त हो जायेगा। माननीय मंत्री इस बात पर ध्यान देकर देखें।

†**श्री कानूनगो :** श्री नौशीर भरूचा के संशोधन को स्वीकार करने में मुझ कोई आपत्ति नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय मंत्री उसे स्वीकार कर रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो :** जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ ५५, खण्ड ९१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"91. In any prosecution case undert his Act, the court may order such costs to be paid by the accused to the complainant, or by the complainant to the accused, as the court deemed reasonable having regard to all the circumstances of the case and the conduct of the parties. Costs so awarded shall be recoverable as if they were a fine.

(९१. इस अधिनियम के अधीन किसी अभियोग में न्यायालय अभियुक्त से अभियोक्ता को, या अभियोक्ता से अभियुक्त को उन व्ययों के भुगतान का आदेश दे सकेगा, जिसे न्यायालय मामले की सभी परिस्थितियों तथा दोनों पक्षों के आचरण को ध्यान में रखते हुये समुचित समझेगा। इस प्रकार का व्यय जुर्माने की भांति वसूल किया जायेगा।)"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ९१, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ९२ से १०५ विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड १०५-क (नया खण्ड)

†**श्री कानूनगो :** मेरा सुझाव है कि श्री नौशीर भरूचा संशोधन प्रस्तुत न करें। हम उस पर काफी चर्चा कर चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नौशीर भरूचा :** मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार तो दीवानी और फौजदारी मामलों में कोई अन्तर नहीं होगा। इस कारण मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया परन्तु यदि मंत्री महोदय को यह पसन्द न हो, तो उनकी मर्जी।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य भी अपने संशोधन पर जोर नहीं दे रहे इसलिए इसे मतदान के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

संशोधन संख्या ४, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १०६ से १३६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १०६ से १३६ विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची, खण्ड १ अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

†**श्री कानूनगो :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : वर्तमान विधेयक का उद्देश्य यह है कि व्यापार चिह्नों के सम्बन्ध में जो विधान हैं उन का एकीकरण कर दिया जाय। संयुक्त समिति से आने के बाद इसमें काफी सुधार हो गया है। विधेयक में हुए परिवर्तनों का आधार न्यायमूर्ति श्री राजगोपाल आयंगर की सिफारिश हैं। इस में समस्त मतभेद दूर कर दिये गये हैं। बहुत से उपबन्धों पर मतभेद थे, परन्तु सरकार ने सभी को सन्तुलित रूप में स्वीकार कर लिया है। इसका उद्देश्य यही है कि आम जनता को धोखा देने वाले व्यापार चिह्नों से बचाया जाय। व्यापारिक और औद्योगिक चिह्न सम्पत्ति के सामान होते हैं। उसकी रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य है। इससे आवश्यक प्रतिस्पर्द्धा की भावना को भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

इस सम्बन्ध में, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस विधान के अन्तर्गत पंजीकृत पक्षों के दायित्व और आस्तियां क्या-क्या हैं। उसकी परिभाषा स्पष्ट कर दी जानी चाहिए। व्यापार चिह्न अधिनियम, १९४० के अनुसार इस बात पर जोर दिया गया है कि देश के दूर भागों में रहने वाले व्यापारियों को पंजीकरण की सुविधायें दी जानी चाहिए। उसमें यह भी व्यवस्था है कि देश के विभिन्न भागों में इसके लिए कार्यालय स्थापित किये जायें। इससे अच्छा समन्वय, सहयोग रहता है तथा प्रशासन का कार्य योग्यता से चलता है। दो विभागों के विलय से वैसे भी बचत रहती है। खण्ड ३ में स्पष्ट शब्दों में मालिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा की व्यवस्था की गयी है।

झूठे व्यापार चिह्नों सम्बन्धी दण्ड विधियों के हाथ इससे समुचित रूप में मजबूत हो गये हैं। सजा भी दो से तीन वर्ष तक बढ़ गयी है। इस दिशा में सारे देश भर में औषधियों इत्यादि में बहुत गोलमाल चल रहा है, अतः इसके लिए कई परिभाषाओं का क्षेत्र काफी विस्तृत कर

†मूल अंग्रेजी में

दिया गया है। कुछ मामले में हस्तक्षेप करने के सरकार के अधिकारों के सम्बन्ध में कुछ मतभेद है। सरकार के निर्णय के विरुद्ध अदालत में अपील की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को इस सम्बन्ध में बहुत अधिक अधिकार देने की आवश्यकता नहीं, इस उपबन्ध को हटा देना चाहिए। रजिस्टर इत्यादि रखने के बारे में भी बहुत सख्ती से काम नहीं लिया जाना चाहिए। खण्ड ख सम्बन्धी रजिस्टर के सम्बन्ध में विशेष रूप में सचेत रहने की आवश्यकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** बताया गया है कि बीड़ियों पर महात्मा गांधी का चित्र लगा दिया जाता है। क्या इसे रोकने की कोई व्यवस्था है ?

†**श्री कानूनगो :** इस की व्यवस्था कर दी गई है अब ऐसा नहीं हो सकता।

†**अध्यक्ष महोदय :** शायद माननीय मंत्री महोदय का तात्पर्य खंड १४ से है। परन्तु इस से काम नहीं चलता। किसी भी बड़े आदमी को किसी बुरी चीज के साथ जोड़ा जा सकता है और उस के लिये इस विधेयक में समुचित व्यवस्था नहीं है। यदि मंत्री महोदय ठीक समझें, तो खंड १४ में पुनः परिवर्तन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सभा में संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के व्यापार चिन्ह और विज्ञापन को चलने देना बहुत ही गलत बात होगी।

†**श्री नौशीर भरूचा :** मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं। एक, यह कि व्यापार चिन्हों के पंजीकरण के लिए प्रत्येक राज्य में एक कार्यालय स्थापित करने के पीछे क्या विचार है ? क्या इसका सम्बन्ध प्रशासनिक कारणों से है, अथवा कोई अन्य कठिनाइयां भी सरकार के समक्ष हैं ? क्योंकि इसमें जो व्यय होगा उसका भी तो ध्यान रखा ही जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरा मत यह है कि इस अधिनियम के कार्यान्वित किये जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना होगा। अभियुक्तों को समुचित सजा दिलवाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना होगा। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्रशासनिक प्रतिवेदन सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी क्योंकि इसके बिना तो हम सब अन्धेरे में ही रहेंगे। वार्षिक अथवा सामयिक प्रतिवेदन आने पर हम उसके लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे। इन दो बातों का उत्तर मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री पाणिग्रही :** एक सन्देह मेरे मन में भी है, कि सरकार ने उन लोगों के लिय क्या व्यवस्था की है, जो नकली माल को ही असली समझ कर आयात करते और बेचते हैं। इस की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

†**श्री कानूनगो :** श्री भरूचा ने जो कुछ कहा है, यह संयुक्त समिति में प्रस्तुत हुआ था, और एक नया खंड इस में जोड़ दिया था। वह खंड १२६ है। इस के अनुसार प्रत्येक वर्ष पंजीकर्ता के प्रतिवेदन को सभा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

†**श्री नौशीर भरूचा :** इस में हमें और कुछ नहीं चाहिये, केवल इतना ही काफी होगा कि विधेयक के प्रबन्धों को वास्तविक रूप में कार्यान्वित करते समय क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

†**श्री कानूनगो :** माननीय सदस्य को प्रथम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये। उस के बाद वह अपने सुझाव यदि सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे, तो वह मुझ से बातचीत कर सकते हैं। सरकार यदि उसके अनुसार जानकारी प्राप्त करने के पक्ष में हुई, और उस से कुछ लाभ की आशा हुई, तो उसे प्राप्त कर सभा के समक्ष रखा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

अपील के अधिकार के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने कहा, उस सम्बन्ध में निवेदन है कि यह अधिकार उसी अवस्था में छीना गया है जहां सरकार का निर्णय कार्यपालिक निर्णय होगा। इस के अतिरिक्त अपील का अधिकार होगा। मामले पर प्रवर समिति में काफी चर्चा की गई थी। श्री पाणिग्रही के प्रश्न के सम्बन्ध में तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि उन्हें किसी अच्छे वकील से परामर्श करना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

केन्द्रीय बिक्री-कर (दूसरा संशोधन) विधेयक

†**उप वित्त मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

इस विधेयक द्वारा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जाने वाले हैं, उन का उल्लेख मैं विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव पेश करते समय कर चुकी हूं। इस लिये उन बातों को पुनः कह कर, मैं सभा का समय नष्ट करना नहीं चाहती। प्रवर समिति ने जो कुछ परिवर्तन किये हैं मैं उन के सम्बन्ध में कुछ कहूंगी। और कुछ माननीय सदस्यों ने विमति टिप्पण में जो बातें कहीं हैं, उन का भी उत्तर दूंगी ।

विधेयक के खण्ड (२) में "व्यापार का स्थान" की परिभाषा को फिर से तैयार किया गया है। इस में वह स्थान भी सम्मिलित कर लिया गया जहां कि व्यापारी अपने अभिकर्ताओं द्वारा व्यापार करता है इस से सरकार को उन मामलों में भी कर लगाने में सुविधा हो जायेगी जिस से व्यापारी माल एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेज कर व्यापार करते हैं। इस सम्बन्ध में एक सन्देह यह भी प्रकट किया गया था कि इस प्रकार अन्तर्राज्यीय व्यापार में एक ही माल पर दो राज्य कर लगायेंगे। उसे मैं दूर कर देना चाहती हूं। विधेयक के खंड (६) में यह कहा गया है कि जिस राज्य से माल चलेगा उसी राज्य को सामान्य रूप से बिक्री कर लगाने का अधिकार होगा। मूल विधेयक के खंड (५) में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया गया है। उस संशोधन के क्षेत्र की पूर्ण व्यवस्था भी प्रवर समिति के प्रतिवेदन में कर दी गई है। और उसे माननीय सदस्यों को परिचालित कर दिया गया ।

मैं एक अन्य विमति टिप्पणी का उल्लेख करना चाहती हूं जिस में यह कहा गया है कि अपंजीकृत व्यापारियों के साथ होने वाली अन्तर्राज्य बिक्री पर कर की दर ५ के स्थान पर ७ प्रतिशत होनी चाहिये। परन्तु जैसा एक माननीय सदस्य जानते हैं कि इस में दो प्रकार के सौदे आते हैं। एक वे जो कि एक राज्य के पंजीकृत व्यापारी दूसरे राज्य के पंजीकृत व्यापारी से करते हैं और दूसरा, वह जो कि एक राज्य के पंजीकृत और दूसरे राज्य के अपंजीकृत व्यापारी अथवा उपभोक्ता के बीच होता है। इस में उद्देश्य यह रहता है कि आयात करने वाले राज्य के उपभोक्ताओं पर कर का अधिक भार डाले बिना ही निर्यात करने वाले

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य को कुछ राजस्व प्राप्त हो जाता है। इस उद्देश्य के लिये अन्तर्राज्यीय बिक्री पर, राज्यों के पंजीकृत व्यापारियों के बीच होगी, सामान्यत एक प्रतिशत कर लगेगा। आयात करने वाला राज्य अपने ही क्षेत्र में, पंजीकृत व्यापारी द्वारा आयात किये गये माल की पुनः बिक्री पर कर लगा सकता है।

पंजीकृत और अपंजीकृत व्यापारियों के बीच होने वाले व्यापार में कर की इतनी कम दर उचित नहीं, इस से कर अपवंचन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। व्यापारी लोग अपने राज्य में दिये गये बिक्री-कर को बचाने का यत्न करेंगे, और इस के लिये कई ढ़ंग निकाल लेंगे। इसी बात का इलाज करने के लिये यह व्यवस्था की गयी है कि इस प्रकार के सौदे पर भी कर का दर वैसा ही होना चाहिये। यह व्यवस्था मूल अधिनियम में भी थी।

परन्तु विभिन्न राज्यों में विभिन्न बिक्रीकरों के लागू होने के कारण कुछ सौदों पर कर की दरों का निर्धारित करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हमें यह देखने को मिला कि पंजीकृत व्यापारियों पर तो १ प्रतिशत कर लग गया और अपंजीकृत व्यापारियों के सौदे वैसे ही छूट गये। अन्तर्राज्यीय कर के अतिरिक्त राज्यों के स्थानीय करों का भी अपवंचन हुआ।

रेडियों और मोटरों इत्यादि के सौदों में, अन्य राज्यों के गैर पंजीकृत व्यापारियों से माल मंगाने में कर का अपवंचन हो रहा था। हमने राज्य सरकारों को यह परामर्श भी दिया था कि मोटरों इत्यादि १५ चीजों पर सारे भारत में एकरूपता से ७ प्रतिशत बिक्री कर लगा दिया जाये। इसलिये अन्तर्राज्यीय आधार पर उपभोक्ता के हाथ होने वाली बिक्री में भी यही ७ प्रतिशत की दर होनी चाहिये। इस के अतिरिक्त दूसरों चीजों पर भी विभिन्न राज्यों आयात किये गये माल पर बिक्री-कर की दर ४ प्रतिशत से ५ प्रतिशत तक हैं। एक प्रतिशत का केन्द्रीय बिक्रीकर आगे चल कर कम से कम ५ से ६ प्रतिशत हो जायेगा। इन सब बातों का विचार कर के यह कर ७ प्रतिशत निर्धारित किया गया है और यह उचित ही है। हमारा उद्देश्य तो राज्य बिक्री कर के अवंचन को अप्रभावशाली ढ़ंग से रोकना है।

अधिनियम में वैकल्पिक रूप में जो दरों की व्यवस्था है, उन का बड़ा सीमित प्रयोग किया जायेगा। यह बम्बई से आने वाली कुछ वस्तुओं पर ही लागू होगा जहां कि उन पर दस प्रतिशत कर है। इस के अतिरिक्त मैं यह भी बता देना चाहती हूं कि घोषित माल की सीधी बिक्री पर यह ७ प्रतिशत कर की दर लागू नहीं होगा; न ही उन पर लागू होगी जिन वस्तुओं को इस कर से छट दी गयी है और उन पर भी नहीं जिन पर एक प्रतिशत से कम कर है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा ८(५) के अन्तर्गत राज्य सरकारों के पास व्यापक अधिकार है, वह चाहे तो जन हित की दृष्टि से उचित मामलों में इस ७ प्रतिशत की दर में कमी या इस से मुक्ति दे सकती है।

यह विधेयक राज्य सरकारों से काफी परामर्श और सोच विचार कर के बनाया गया है। राज्यों की सिफारिशों की ओर समुचित ध्यान दे कर उन्हें विधेयक में सम्मिलित किया गया है। प्रवर समिति ने भी विधेयक का पूरा परीक्षण किया है और कुछ संशोधनों द्वारा विधेयक को काफी सुधार दिया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उप मंत्री महोदय ने विमति टिप्पणियों को कुछ बातों का उल्लेख तो किया है परन्तु उन्हों ने कई एक महत्वपूर्ण बातें छोड़ दी हैं। प्रवर समिति ने आये विधेयक के अनुसार अखबारों पर बिक्रीकर नहीं होगा। कहा गया है कि संविधान

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कोडियान]

के अनुसार अखबारों पर यह कर लगाना सम्भव नहीं। परन्तु मेरा कहना है कि सप्तम अनुसूची की सूची १ की संख्या ९२ के अनुसार अखबारों पर इस कर को लगाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है। संविधान के अनुच्छेद २६९ के अन्तर्गत भी यह सम्भव है। मेरे विचार से अखबारों को काफी अच्छी आय है और उन पर यह कर अवश्य लगना चाहिये। सिक्कों की दाशमिक प्रणाली के लागू होने पर तो उन्होंने अखबारों के मूल्य भी बढ़ा लिये हैं और इस से उन के लाभ की मात्रा और बढ़ गई है। उन को बिक्री कर से छूट देना उचित नहीं। आशा है कि माननीय उपमंत्री इस का उत्तर देंगी।

एक बात मैं अपवंचन सम्बन्धी कहना चाहता हूं। यह हमारे देश में बहुत है। बनस्पति तेलों में तो यह अपवंचन भारी मात्रा में होता है। इसे रोकने से सरकार को काफी लाभ हो सकता है। यह सुझाव भी दिया गया था कि यदि इस पर लागू बिक्री कर को उत्पादन-शुल्क में जोड दिया जाय तो इस अपवंचन को पूरी तरह रोका जा सकता है। और इससे सरकार को अपनी आवश्यकताओं के लिये काफी राजस्व प्राप्त हो सकता है। यही बातें हैं जो मुझे कहनी हैं और आशा है कि माननीय उपमंत्री मेरे सन्देहों को दूर करने का यत्न करेंगी।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैंने इस विधेयक के सम्बन्ध में श्री चांडक के टिप्पण का विशेष अध्ययन किया है, मैं उन से इस बात में पूर्ण रूपेण सहमत हूं कि सभी राज्यों में बिक्री कर में एकरूपता होनी चाहिये। इस समय प्रत्येक राज्य में बिक्री कर की भिन्न-भिन्न दरें हैं। इस से व्यापारी वर्ग को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और फलतः हमारे देश के वाणिज्य तथा व्यापार के मार्ग में पर्याप्त बाधायें उपस्थित हो रही हैं।

अभी हाल में राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। किन्तु उस सम्मेलन में भी इस की एकरूपता के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया जा सका। प्रत्युत सम्मेलन ने १५ वस्तुओं को चुन लिया और उन पर सभी राज्यों में प्रतिशत के हिसाब से एक समान कर लगाने की सिफारिश की है। मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हों ने शेष वस्तुओं को क्यों वैसे ही छोड़ दिया है? मैं समझता हूं कि अगर हम सारे देश में एक स्थान पर तथा एक समान बिक्री कर निर्धारित कर देंगे तो इस समय बिक्री कर के बारे में जितनी अनियमतातायें हो रही हैं वे बहुत कुछ दूर हो जायेंगी और इस कर का अपवंचन भी बहुत सीमा तक कम हो जायेगा। यह कहा गया है कि बिक्री कर राज्यों के लिये राजस्व का एक बहुमूल्य स्रोत है। इसलिये इसमें एक करूपता लाना बहुत कुछ राज्य सरकारों के हाथ में है। मैं मानता हूं कि यह बात सही है। किन्तु फिर भी मैं यह समझता हूं कि यदि राज्य सरकारों को इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित निर्देश दिये जाये तो इस संबंध में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है।

मेरा विचार है कि आज कल जब कि अनाज के भाव इतने तेज हो रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में अनेक लोग भूख से मर रहे हैं हमें खाद्यान्नों पर कोई बिक्री कर नहीं लगाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय ऐसे समय में कम से कम खाद्यान्नों पर बिक्री कर हटाने के प्रश्न पर अवश्य गौर करने की कृपा करें।

दवाइयों पर भी बिक्री कर की दरें घटाना बड़ा आवश्यक है। इस संबंध में मेरा मंत्री महोदय से यह निवदन है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के सभी राजनैतिक दलों, व्यापारी वर्ग तथा इस सभा के सदस्यों का एक सम्मेलन बुला कर सब की राय जानने के बाद इस विधेयक में उचित संशोधन करने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस से इस विधेयक में एकरूपता लाने में भी बड़ी सरलता हो जायगी जिसके ऊपर के हमारे देश के अनेक अर्थशास्त्रियों ने भी इतना बल दिया है ।

वर्तमान बिक्री कर पद्धति तथा प्रक्रिया से तथा इस में एकरूपता के अभाव के कारण हमारे देश के व्यापार को बड़ी हानि पहुंच रही है और इस से सारे देश के व्यापार में असन्तोष छाया है। मुझे पूर्ण आशा है कि मंत्री महोदय इन त्रुटियों को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री आचार** (मंगलौर): मैं केवल एक बात का उत्तर देना चाहता हूं जोकि मेरे केरल के एक मित्र ने उठाया है। मेरे मित्र श्री नायर ने यह कहा है कि समाचारपत्रों पर भी बिक्री कर लगना चाहिये। किन्तु मैं समझता हूं कि इस उद्योग की आज की परिस्थितियों को देखते हुए जिस में कि लगभग ६ करोड़ रुपये की पूंजी लगी है और जिस के बदले में इस उद्योग को केवल ६ लाख रुपये की आय होती है समाचारपत्रों पर बिक्री कर लगाना उचित नहीं है। अनेक समाचार पत्र ऐसे हैं जो कि अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर सकते और चन्दों पर चल रहे हैं। ऐसे पत्र बिक्री कर कैसे दे पायेंगे । खास तौर पर छोटे-छोटे समाचार पत्र। मैं समझता हूं सरकार ने समाचारपत्रों को बिक्री कर से छट दे कर बहुत अच्छा कार्य किया है। इस के लिये मैं सरकार को धन्यवाद का पात्र समझता हूं ।

श्री मूलचन्द दुबे (फर्रुखाबाद) : उपाध्यक्ष जी, यह सेल्स टैक्स बहुत से मुल्कों में लगा हुआ है और हमारे यहां भी ज्यादातर सूबों में लागू है। पर इस में इस बात की जरूरत है कि यह हर रियासत में एक तरह का होना चाहिये। ऐसा मालूम होता है कि गवर्नमेंट तो इस बात की कोशिश कर रही है कि यह टैक्स हर सूबें में एक सा लागू हो मगर इस के लिये लोग राजी नहीं हो रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट की यह कोशिश है कि कोई ऐसी तरकीब हो कि वे लोग राजी हो सक और सब जगह एक ही तरह का टैक्स लिया जाये ।

इस सिलसिले में मैं यह बात खास तौर से कहना चाहता हूं कि जो छोटे व्यापारी हैं उन को इस से बचाना चाहिये। मैं आप के सामने एक छोटी सी मिसाल रखना चाहता हूं। गल्ले के व्यापारी चालीस-चालीस, पचास-पचास मन माल घोड़ों पर या और जानवरों पर ले कर बाजार में अपने गांवों से आते हैं। अब अगर वह रोज ५० रूपये का भी माल लायें तो वह महीने में १५०० का हो जायेगा और साल भर में वह १० हजार से ज्यादा का हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि इस किस्म के व्यापारियों को जो थोड़ा-थोड़ा माल ले कर मंडियों में अपने घर से आते हैं, या छोटे काश्तकार अपना अनाज ले कर और दूसरी चीजें ले कर आते हैं उन के ऊपर इस तरह का टैक्स आयद न हो, जो कि अभी आयद हो जाता है। लिहाजा कानून में इस तरह की तरमीम होने की जरूरत है कि जो लोग इस तरह का छोटा काम करते हैं उन पर यह टैक्स न लगाया जाये। इन लोगों के पास न कोई दुकान होती है न कोई बही खाता रहता है जिस से वह ठीक-ठीक हिसाब-किताब रख सकें। तो मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस में इस तरह की तरमीम कर दी जाये ।

इस के अलावा, जैसा कि अभी मेरे एक दोस्त ने कहा, अनाज पर से कम से कम यह टैक्स हटा दिया जाना चाहिये, क्योंकि आज कल गेहूं डेढ़ सेर का बाज-बाज जगह बिक रहा है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी फर्रुखाबाद से मेरे पास खबर आयी है कि वहां गेहूं डेढ़ सेर का बिक रहा है और कोई भी गल्ला सवा दो सेर से ज्यादा नहीं बिक रहा है। फिर भी अगर टैक्स लगाया जायेगा तो इस से यह और भी ज्यादा मंहगा हो जायेगा। गवर्नमेंट को यह देखना चाहिये कि जो फिजा आज उत्तर प्रदेश में, बिहार में और दूसरे कमी वाले इलाकों में फैल रही है उस को देखते हुए इस टैक्स को गल्ले पर लगाना कहां तक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मूलचन्द दुबे]

ठीक होगा । लिहाजा जो कार्यवाही की जाये वह लोगों की सहूलियत को ध्यान में रख कर की जाये और जहां तक अनाज का ताल्लुक है उस पर त. सेल्स टैक्स न हो तो बहुत अच्छा हो और छोटे-छोटे व्यापारियों पर तो किसी तरह भी यह टैक्स नहीं होना चाहिये ।

इतना ही मैं अर्ज करना चाहता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : इस समय हमारे सम्मुख बिक्री कर के बारे में द्वितीय संशोधन विधेयक प्रस्तुत है । मूल अधिनियम ४ पृष्ठ के लगभग है और यह संशोधन विधेयक भी लगभग उतना ही है । इस से यह प्रकट होत है कि सरकार भली भांति सोच विचार कर विधान नहीं बनाती । आज एक वर्ष की अवधि के भीतर हमें दूसरे संशोधन विधेयक पर विचार करना पड़ रहा है । और मैं समझता हूं कि शीघ्र ही मंत्री महोदय को हमारे सम्मुख तीसरा संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत करना पड़ेगा । आखिर यह सब क्यों हो रहा है ? इस के लिये मूल अधिनियम के उद्देश्यों को समझना बड़ा जरूरी है ।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद २८६ के सम्बन्ध में दिये गये एक निर्णय के आधार पर बनाया गया है । यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या कोई राज्य सरकार किसी दूसरे राज्य में कारोबार करने वाले व्यक्ति से बिक्री कर व ूल कर सकती है ? और उस निर्णय के कारण एक राज्य के व्यापारियों को अपने आप को दूसरे राज्यों में भी पंजीबद्ध कराना पड़ा खास कर जो व्यापारी दूसरे राज्यों के व्यापारियों के यहां अपना माल भेजते या मंगवाते हते थे। इस से व्यापारियों को बड़ी कठिनाइयां पेश आने लगीं । इस कठिनाई को दूर करने के लिये मूल अधिनियम बनाया गया था, ताकि यह परिभाषित किया जा सके कोई सौदा किस स्थान पर हुआ है तथा किसी सौदे पर किन सिद्धान्तों के आधार पर बिक्री कर लगाया जायेगा और इस प्रकार किसी वस्तु पर अनेक स्थानों पर कर न लगे । १९५६ के मूल बिक्री कर अधिनियम में उन सब बातों का उपबन्ध किया गया कि कोई सौदा कब अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत हुआ माना जायेगा तब तथा किन परिस्थितियों में कोई सौदा किसी राज्य के बाहर हुआ माना जायेगा तथा कब किसी सौदे को निर्यात तथा आयात के दौरान में हुआ माना जायेगा । इस के अतिरिक्त मूल अधिनियम में उन वस्तुओं की घोषणा की गई थी जिन्हें कि अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिये विशेष महत्व की वस्तुयें माना गया है और उन वस्तुओं पर बिक्री कर लगाने के बारे में राज्यों की शक्ति विभिन्न प्रतिबन्धों का उपबन्ध किया गया था । ये सब होते हुए भी मूल विधेयक में एक बात का उपबन्ध छोड़ गया था कि किसी वस्तु पर किस शर्त पर बिक्री कर लगाया जायेगा ।

वर्तमान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह प्रकट होता है कि अनेकस्तरीय बिक्री कर की त्रुटि को दूर किया जाये तथा वस्तुओं पर प्रथम स्तर पर ही बिक्री कर लगाया जाये । अब हमें यह सोचना है कि क्या वर्तमान संशोधन विधेयक की भाषा से हम इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकेंगे ? मेरा विचार है कि इस संशोधन से हमारा यह मनोरथ नहीं पूर्ण होगा और तब मंत्री महोदय को शीघ्र ही एक तीसरा संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा ।

वर्तमान विधेयक में मूल अधिनियम की धारा ६ को ज्यों का त्यों ही रखा गया है और फिर अन्त में यह और जोड़ दिया गया है कि जब किसी अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत होने वाले बिक्री के करार के कारण वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाये अथवा जब वस्तुयें एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही हो तो उस दौरान में उन को स्वत्वाधिकार के पत्रों के द्वारा जो बिक्री करार सम्पन्न हुआ हो उस के उपरान्त यदि किसी अन्य पंजीबद्ध व्यापारी के पास ऐसी वस्तुयें बेची जायेंगी तब

---

†मूल अंग्रेजी में

उन पर इस अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री कर नहीं लगेगा । मेरा निवेदन यह है कि हम ने अब भी यह स्पष्ट उपबन्ध नहीं किया है कि यह कैसे जाना जायेगा कि किस बिक्री करार के कारण वस्तुओं को एक राज्य से, दूसरे राज्य में ले जाना सम्पन्न हुआ । वर्तमान संशोधन विधेयक से केवल यही प्रकट होता है कि वस्तुओं पर केवल एक स्तर पर बिक्री कर लगेगा परन्तु यह नहीं पता चलता कि वह प्रथम बिक्री स्तर पर ही लगेगा ।

प्रवर समिति ने इस विषय को "कारोबार स्थान" की नयी परिभाषा दे कर और भी जटिल बना दिया है । इस परिभाषा के अनुसार जो व्यापारी किसी अभिकर्त्ता या मुकद्दम द्वारा किसी वाहानस्तर (बीच के) स्थान पर अपने माल की देख-भाल कराता है उस स्थान को भी उस व्यापारी का "कारोबार स्थान" मान लिया जायेगा । इस प्रकार एक ओर राज्य इस से बिक्री कर मांगने लगेगा ।

संविदा अधिनियम के अन्तर्गत यह उपबन्धित किया गया है कि वस्तुओं का स्वत्व या स्वामित्व उन के प्रभाजन पर बदल जायेगा इस विधेयक में इस बात का कोई उपबन्ध नहीं है कि यदि कोई बिक्री करार एक स्थान पर हो और वस्तुओं का प्रभाजन दूसरे स्थान पर हो तब ऐसी दशा में किस स्थान पर कर लगाया जायेगा ।

बिक्री कर अधिनियम के प्रशासन में इस लिये बड़ी कठिनाई हो रही है कि इस के उपबन्ध बड़े जटिल हैं। प्रवर समिति ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया है । आज बिक्री कर अधिकारियों तक को नहीं पता कि किस वस्तु पर कब कर लगायें । प्रत्येक अधिकारी यही चाहता है कि अगर उसे थोड़ा भी आधार दिखाई दे तो वह बिक्री कर ले ले । ताकि उस के ऊपर कर न प्राप्त करने की जिम्मेवारी न आये । फिर चाहे भले ही बाद में उन्हें वह कर लौटाना पड़े ।

इस सभा का यह कर्तव्य है कि वह इस विधेयक सबन्धी सभी अड़चनों को दूर करने का प्रयास करे । अन्यथा हमें बारम्बार संशोधन करने पड़ेंगे जैसे कि बम्बई राज्य बिक्री कर अधिनियम के सम्बन्ध में हुआ है। मेरा सुझाव है कि माननीय उपमंत्री को इस सम्बन्ध में प्रविधिज्ञों की एक समिति से परामर्श कर के तब उचित संशोधन रखने चाहियें । उस में वह चाहें तो व्यापारी वर्ग का साक्ष्य तथा राय भी जान सकते हैं ।

†**डा० मेनकोटे** (राय बरेली): मेरे विचार में प्रवर समिति के संशोधन तथा सिफारिशें पूर्णरूपेण पर्याप्त नहीं है । इस में कई बड़े बड़े प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है जैसे कि बिक्री कर में सर्वत्र एकरूपता लाने का प्रश्न । प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न दरें होने से व्यापार में काफी अड़चनें पैदा हो रही हैं । प्रत्येक राज्य में इस के संग्रह की विधि भी भिन्न-भिन्न हैं । मैं समझता हूं कि क्योंकि बिक्री कर अब केन्द्रीय विषय हो गया है इसलिये इस में एकरूपता होना बड़ी आवश्यक है ।

दूसरी बात यह है कि बिक्री कर एक ऐसा कर है जिस की आय को दुबारा राज्यों में बांटना पड़ता है । इस दृष्टि से देखने पर मैं यह उचित समझता हूं कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वस्तुओं का उपभोग किस राज्य में होता है और यह कर "उपभोक्ता" आधार पर लगाया जाना चाहिये ताकि उस राज्य को उचित लाभ पहुंच सके । मैं आशा करता हूं कि उप मंत्री महोदय इस ओर भी उचित ध्यान देंगी ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, बिक्री टैक्स . . . . .

श्री स० म० बनर्जी : बिक्री कर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Apportionment.

चौ० रणवीर सिंह : बिक्री कर ही सही । ऐसी भाषा बनाना चाहते हैं जिस में बंगला भी आ जाय और हिन्दी भी आ जाय ।

बिक्री कर आज देश के लिये बड़े महत्व का टैक्स है और, जैसाकि मेरे पूर्ववक्ता महोदय ने कहा है, अगर हो सके, तो इस को ऐसे ढंग से ढाला जाये जिस से देश के सब हिस्सों में उस का ठीक-ठीक बंटवारा हो सके और उस को ठीक तौर पर लागू किया जाये । इस के अलावा भी मैं समझता हूं कि इस देश में टैक्सेशन के जो प्रिंसिपल्ज़ हैं, वे कुछ अलाहिदा अलाहिदा हैं । एक तो इनकम टैक्स है, जिसे डायरेक्ट टैक्सेशन कहा जाता है । उस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में वह ऐसे ढंग से लगता है कि ३,२०० और ४,८०० रुपये तक इनकम टैक्सेशन के लिये छोड़ दी जाती है । दूसरी तरफ़ काश्तकारों को लैंड रेवेन्यू के रूप में कई दफ़ा घाटे पर भी देना पड़ता है, चाहे उस के यहां कुछ पैदा हो या न हो । पहले आर्थिक विज्ञान में इस बात की बहस हुआ करती थी कि लैंड रेवेन्यू रेन्ट है या टैक्स है । लेकिन आज वह ज़माना नहीं है । आज तो सब हिन्दुस्तानियों को बराबर का हक है । ज़मीन के मालिक या तो सब हैं या सरकार है । अब रेन्ट और टैक्स का झगड़ा नहीं हो सकता है । आज उसे टैक्स ही मानना होगा । अगर उसे टैक्स मानेंगे, तो फिर देश के सामने एक बड़ा भारी मसला आता है कि टैक्स के सिलसिले को दो ढंग का कब तक रखा जा सकता है । आन्ध्र प्रदेश की सरकार और असेम्बली ने एक बार सिफ़ारिश कर के भेजी थी कि दस रुपये तक का लैंड रेवेन्यू माफ़ कर दिया जाये । इसी तरह पंजाब असेम्बली ने सिफ़ारिश कर के भेजी थी कि पांच रुपये तक का लैंड रेवेन्यू माफ़ कर दिया जाये । प्लानिंग कमीशन ने उन को सलाह दी कि आज के हालात में यह अच्छा मालूम नहीं देता । लेकिन मैं समझता हूं कि शायद उन्हों ने यह सलाह इसलिये दी थी कि उन के ख्याल में कोई दूसरा ऐसा टैक्स न हो, जोकि उस घाटे को पूरा कर सके । मैं समझता हूं कि सेल्ज़ टैक्स लैंड रेवेन्यू की जगह ले सकता है और लैंड रेवेन्यू से जितनी आमदनी होती है, सेल्ज़ टैक्स को ऐसे ढंग से ढाला जाये कि सेल्ज़ टैक्स से उतनी आमदनी हो ताकि काश्तकारों को, जोकि इस देश का बहुत बड़ा अंग हैं, जोकि सत्तर फ़ीसदी हैं, कोई गिला न रहे कि इस आज़ाद देश में भी उस के साथ सौतेली मां जैसा सलूक किया जाता है ।

जहां तक इस अमेंडिंग बिल का सवाल है, इस में इस बारे में कोई खास ज़िक्र नहीं है, लेकिन मैं इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि फ़िनांस मिनिस्ट्री . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : पूरा फ़ायदा उठाइये, लेकिन नाजायज़ नहीं ।

चौ० रणवीर सिंह : मैं समझता हूं कि यह नाजायज़ नहीं है, क्योंकि काश्तकारों की आबादी ७५ फ़ीसदी है और उन में टैक्स देने वालों की बड़ी तादाद है । उन के हित के बारे में कहने का जिस वक्त भी मौका मिले, अगर थोड़ी बहुत भी गुंजायश निकल सकती है, तो सदस्यों को कोशिश करनी चाहिये । इसीलिये मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्रालय के लिये यह एक बहुत बड़ा सवाल है और उसूली सवाल है और उस को हल करने का जो ज़रिया हो सकता है वह सेल्ज़ टैक्स में मुनासिब तब्दीलियां कर के ही हो सकता है । इस कानून को तो पास कर दिया जाय, लेकिन मैं चाहता हूं कि सेल्ज़ टैक्स की एन्क्वायरी के लिये जो कमेटी है, वह इस बात पर ग़ौर करे कि किस तरह से सेल्ज़ टैक्स में तब्दीली की जाये कि उस के ज़रिये लैंड रेवेन्यू का घाटा पूरा किया जाय और किस तरह से लैंड रेवेन्यू के आउट-मोडिड सिस्टम को, जोकि ७५ फ़ीसदी आबादी के लिये बोझा है, जल्दी से जल्दी खत्म किया जाय और उस की जगह सेल्ज़ टैक्स ले ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय अनेक सदस्यों ने कई ऐसे विषयों का उल्लेख किया है जिन का कि मैं उत्तर देना चाहती हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि समाचारपत्रों को छूट नहीं दी जानी चाहिये । इस सम्बन्ध में उन्होंने इस सभा के दो सदस्यों द्वारा दिये गये विमति टिप्पण का उल्लेख किया है । और फिर सप्तम अनुसूची की पहली सूची के ९२क प्रविष्टि[1] का निर्देश दिया है । मैं इसी प्रविष्टि के आधार पर इस सम्बन्ध में जो परिसीमायें हैं उन का उल्लेख करना चाहती हूं । ऐसी वस्तुओं की बिक्री या खरीददारी पर, जोकि अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के प्रसंग में न हो, इसी पद के अनुसार करारोपण का अधिकार दिया गया है । इस में स्पष्टतया यह कहा गया है कि 'समाचारपत्रों' को छोड़ कर । इसलिये हमें समाचार पत्रों को 'वस्तुओं' की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं ला सकते क्योंकि हमारा संविधान इस का स्पष्टतया निषेध कर रहा है । समाचार-पत्रों पर कर लगाने के लिये हमें ९२ प्रविष्टि के अन्तर्गत, यदि आवश्यक हो तो, एक पृथक् विधान बनाना होगा । मैं इस विषय में इस से अधिक कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि इस का वर्तमान विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

यह कहा गया है कि कुछ और वस्तुओं पर बिक्री कर को उत्पादन शुल्क के साथ मिला दिया जाये । एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा है कि बिक्री कर में एकरूपता लाने के लिये बिक्री कर पूर्णतया उत्पादन शुल्क में परिवर्तित कर देना चाहिये । कदाचित् ऐसा कहते समय माननीय सदस्य के ध्यान में चीनी, कपड़ा तथा तम्बाकू का विचार था जिन पर हम ने बिक्री कर को उत्पादन शुल्क में बदल दिया है । शायद उन का यह विचार है कि हम अपने आप उत्पादन शुल्क वाली वस्तुओं का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं । किन्तु ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

इस समय केन्द्रीय बिक्री कर की परिभाषा की जा चुकी है । और अब राज्यों को तथा केन्द्र को इस सम्बन्ध में क्रमशः अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों के अन्तर्गत ही कार्य करना होगा । संविधान के अन्तर्गत राज्यों को बिक्री कर के क्षेत्राधिकार का निश्चय करने की शक्ति दी गई है । राज्यों को उस क्षेत्र में कर लगाने का पूर्ण अधिकार है । इसलिये यह हमारे बस की बात नहीं है कि हम जिस वस्तु पर जितना मर्ज़ी बिक्री कर लगा दें या जिस वस्तु के बिक्री कर को उत्पादन शुल्क में मिला दें । यह सुझाव इस विधेयक की शक्ति से बाहर है । इसलिये इस का कोई महत्व नहीं रहता ।

एक अन्य सदस्य ने यह कहा है कि ७ प्रतिशत का जो एकरूप कर लगाया गया है यह बहुत अधिक है तथा इस को घटाया जाना चाहिये । उन्हों ने अपने समर्थन में प्रवर समिति के उन सदस्यों का उद्धरण दिया है जिन्हों ने कि विमति टिप्पण में यह दर कम करने का सुझाव दिया है ।

मैं इस सभा को पहले ही विस्तार से बता चुकी हूं कि हम ने ७ प्रतिशत दर क्यों निश्चित की है । इस सम्बन्ध में मैं फिर उल्लेख कर देना चाहती हूं कि बिक्री कर प्रमुखतः वस्तुओं के उपभोग पर लगाया जाने वाला कर है जबकि केन्द्रीय बिक्री कर अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान में किये गये आदान प्रदान पर लगाया जाता है । केन्द्रीय कर लगाने का उद्देश्य यह है कि इस के निर्यात करने वाले राज्य को भी कुछ राजस्व प्राप्त हो सके और साथ ही आयात करने वाले राज्य पर इस कर का विशेष बोझ भी न बढ़े । इस उद्देश्य से हम ने इस कर में एकरूपता लाने के लिये, जिस पर कि माननीय सदस्य ने बहुत बल दिया है, यह किया है कि एक राज्य के पंजीबद्ध व्यापारी पर १ प्रतिशत तथा दूसरे राज्य के पंजीबद्ध व्यापारी पर भी १ प्रतिशत भार पड़े । केवल जो व्यापारी पंजीबद्ध नहीं हैं उन के पास बेचने की दशा में ७ प्रतिशत कर लगेगा । इस में भी हम ने विशेष महत्व की वस्तुओं जिन्हें घोषित वस्तुएं भी कहा जाता है, का विशेष ध्यान रखा है इस के लिये हमें सब राज्यों की स्वीकृति भी मिल गई है। बिक्री कर अन्ततोगत्वा राज्य क्षेत्रीय कर है । केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में केवल राज्यों को सिफारिश कर सकती है । वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में हम ने इन

[1]Entry.

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

सब विषयों की चर्चा की थी और जहां तक हो सका एकरूपता लाने का प्रयत्न किया है। किन्तु क्योंकि राज्यों के आय स्रोत इतने लोचदार हैं कि केन्द्रीय सरकार उन्हें हर वस्तु के लिये उतना कर लगाने के लिये बाध्य नहीं कर सकती जितना कि वह स्वयं लगाना चाहती है। राज्य अपने अधिकारों की रक्षा के लिये बड़े जागरूक हैं और बिक्री कर उन की आय का एक बड़ा साधन है। इस सम्बन्ध में हमारी अपनी परिसीमायें हैं। मैं सभा को विश्वास दिलाती हूं कि इन सांविधानिक सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए हम जहां तक एकरूपता ला सकते उतनी एकरूपता लाने का हम ने भरसक प्रयत्न किया है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को जो सिफारिशें की हैं क्या राज्यों ने उन्हें मान लिया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : हम ने जो ७ प्रतिशत का कर लगाया है वह राज्यों की सहमति से लगाया गया है। हालांकि पहले कई राज्य इस से अधिक तथा कई राज्य कम कर लगा रहे थे किन्तु अब सब ने एक जैसा कर लगाना मंजूर कर लिया है। इसलिये प्रवर समिति के दो सदस्यों ने विमति टिप्पण में जो सुझाव रखे हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।

एक अन्य माननीय सदस्य ने राज्यिक तथा अन्तर्राज्यिक बिक्री करों के सम्पूर्ण क्षेत्र की विशद व्याख्या करते हुए यह कहा है कि मूल अधिनियम तथा यह संशोधन विधेयक दोनों ही अपर्याप्त हैं। उन्हों ने यहां तक कह डाला है कि मुझे शीघ्र ही एक तीसरा विधेयक लाना पड़ेगा। मैं समझती हूं कि अगर मुझे और विधेयक लाने की आवश्यकता अनुभव हुई तो मैं स्वयं सभा को आश्वासन दे सकती हूं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देती हूं कि हमने बिक्री कर के सभी पहलुओं का भली भांति अध्ययन किया है। इन्हीं पर चर्चा करने के लिये हम ने राज्यों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। इसी उद्देश्य से हमाने इस विधेयक को प्रवर समिति को भी सौंपा था कि इस में निहित सभी प्रश्नों पर भली भांति प्रकाश डाला जा सके और उन में स्पष्टता लाई जा सके। मैं समझती हूं कि मैं इस विधेयक की सरलता के बारे में सारी सभा को सन्तोष दिला सकती हूं किन्तु मुझे विश्वास है कि मैं चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न करूं मैं माननीय सदस्य को सन्तोष नहीं दिला पाऊंगी।

उन्हों ने खंड ३ के बारे में कुछ आपत्तियां उठाई हैं। खंड ६ में स्पष्टतया कहा गया है कि जिस राज्य में से वस्तुओं का वस्तुतः गमन होगा--मैं माननीय सदस्य का ध्यान 'वस्तुतः चलान[1]' की ओर दिलाना चाहती हूं--वह राज्य ही उन पर कर लगायेगा चाहे उन के बारे में करार पर किसी भी स्थान पर क्यों न हस्ताक्षर किये गये हों।

†**श्री नौशीर भरूचा** : किन्तु "वस्तुतः चलान" शब्द कहां है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय सदस्य जैसे प्रसिद्ध विधिजीवि को यह बात भली भांति विदित होनी चाहिये कि यह भाव खंड ६ में स्वभावतः अन्तर्निहित है। हम ने इस बात पर समिति में भी काफी देर तक विचार किया है और हम ने यही तय किया है कि स्थान का निर्णय वस्तुओं के 'वस्तुतः चलान' से ही किया जाये किसी अन्य आधार पर नहीं। मैं समझती हूं अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है।

इस के बाद उन्हों ने 'कारोबार स्थान' की परिभाषा की चर्चा की है। इस का क्षेत्र अब बहुत व्याप्त बना दिया गया है ताकि माननीय सदस्यों अथवा व्यापारी वर्ग के मन में इस के अर्थों के संबंध

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Physical movement.

में किसी प्रकार का सन्देह शेष न रहे। इसलिये हमने संशोधक विधेयक में इस सम्बन्ध में कुछ खंड और जोड़ दिये हैं। अब इस में वे सभी स्थान सम्मिलित कर लिये गये हैं जहां कि कोई व्यापारी अपना माल भेजता है चाहे उस स्थान पर सामान्यतया कोई कारोबार हो अथवा न हो। माननीय सदस्य ने भी इसी ओर निर्देश किया है। किन्तु हम ने माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई आपत्ति के निराकरण के लिये ही इस प्रकार की व्याप्त परिभाषा बनाई है।

इस विधेयक से दोहरे करों का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। इसलिये मैं उस में समय व्यर्थ नहीं करना चाहती।

खाद्यान्नों तथा औषधियों पर बिक्री कर के बारे में भी कुछ आपत्ति उठाई गई है। इस बात में दो भिन्न राय हो सकती हैं कि इन पर कर लगाया जाना चाहिये या नहीं। मैं माननीय सदस्य के तर्क को मानती हूं। किन्तु हमारा इस में उतना अधिकार नहीं कि हम राज्यों को इन वस्तुओं पर से कर हटाने के लिये मजबूर कर सकें। ये पूर्णतया राज्यों के अधीन विषय है। वे चाहें तो इन पर बिक्री कर हटा सकते हैं। अतः ये विषय हमारे इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आते हैं। मैं माननीय सदस्य को सूचनार्थ इतना भर और बता देना चाहती हूं कि यह आवश्यक नहीं कि राज्य सरकारें हमारी प्रत्येक सिफारिश को स्वीकार ही कर लें।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : विधि आयोग ने हाल ही में बिक्री कर अधिनियम में उचित संशोधन करने के लिये कुछ सिफारिशें की हैं। क्या इस विधेयक में उन सिफारिशों का ध्यान रखा गया है?

†**श्री नौशीर भरूचा** : क्या माननीया उपमंत्री यह आश्वासन देती हैं कि वह फिर शीघ्र ही इस सम्बन्ध में अन्य संशोधन नहीं लायेगी?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं अपने बारे में स्वयं कह सकती हूं। जब कोई आश्वासन देना होगा मैं स्वयं सोच सकती हूं। माननीय सदस्य को मेरी ओर से कोई आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या १ तथा २ दोनों अनियमित हैं, क्योंकि इनके लिये राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिये।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : हम तो केवल यही चाहते हैं कि "समाचार पत्र" शब्द इस मे आ जायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जी हां, इस का अर्थ यह हुआ कि 'समाचार पत्र' पर कर लगाया जाये और इस के लिये भी राष्ट्रपति की अनुमति ली जानी चाहिये। अन्य कोई संशोधन नहीं है, अतः प्रश्न यह है :

"खण्ड १ से १२, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड १ से १२, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । इसे स्थगित रखा जाये । हम अब अगला विषय लेते हैं ।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मागों पर चौधरी समिति का प्रतिवेदन

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में चौधरी समिति के प्रतिवेदन तथा २१ जुलाई, १९५८ के सरकारी गजट में प्रकाशित तत्सम्बन्धी सरकारी संकल्प पर विचार किया जाये ।"

इस पर चर्चा करते हुए हमें प्रसन्नता है कि इस काम को देखने वाले मंत्री इन विषयों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं ।

चर्चा उठाने का कारण यह है कि पत्तनों की स्थिति ठीक नहीं है । हो सकता है यह और भी ज्यादा खराब हो जाये । पत्तनों की गड़ बड़ से हमारी आर्थिक व्यवस्था पर ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है । अतः सब का कर्तव्य हो जाता है कि इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाये ।

गत दो वर्षों में पत्तन कर्मचारी पांच बार हड़ताल की धमकी दे चुके हैं । अभी थोड़े दिन पहले वहां सारा काम ११ दिन ठप रहा । अभी नई हड़ताल की धमकियां दी जा रही हैं । उनकी इच्छा यह है कि सरकार अपने निर्णयों पर दोबारा विचार करे । वे सरकारी निश्चय से असंतुष्ट हैं । हां यदि वह गैर-जिम्मेदारी से व्यवहार करें तो मैं खुशी से उन्हें समझाने का यत्न करूंगा । किन्तु जब उन के काम को देखते हैं तो तारीफ़ करनी पड़ती है । अभी दो वर्ष पहले पत्तनों में अत्यधिक माल इकट्ठा हो गया था । किन्तु उन्हों ने इतना काम किया कि अब स्थिति बहुत सुधर चुकी है । बम्बई तथा मद्रास दोनों बन्दगरगाहों में कर्मचारियों ने श्लाघनीय कार्य किया है । अतः यह नही कहा जा सकता कि उन के नेता गैर जिम्मेदार हैं ।

असन्तोष का मूल कारण यही है कि सरकार प्रत्येक मामले में बड़ी ढिलाई से काम लेती रही है ।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों का अखिल भारतीय संघ १९५४ में बना । तब से इन लोगों ने मांगें कीं किन्तु अभी तक कुछ न हुआ है । मुख्य मांग केवल यह है कि बड़ी बन्दरगाहों में कर्मचारियों के वेतन स्तर समान होने चाहियें । आप जानते हैं कि वर्तमान युग में समानीकरण की प्रकृति बढ़ती जा रही है । वेतन स्तरों तथा सेवा की शर्तों की असमानता के बारे में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने १९५६ में स्वयं ही हां की थी और इस को माना था तथा कहा था कि इस का हल शीघ्र ही होना चाहिये । अतः एक महान अफसर श्री पो० सी० चौधरी को इस जांच के लिये नियुक्त किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्हों ने प्रतिवेदन दिया । अब संघ केवल यही चाहता है कि उन की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाय । प्रतिवेदन वास्तव में सराहनीय है ।

अभी हड़ताल के समय भी उन्हें आश्वासन दिया गया कि उन से न्याय किया जायगा । उन्हों ने हड़ताल खोल दी । किन्तु इस संकल्प से तो वे आश्वासन पूरे नहीं होते । वास्तव में इस संकल्प में अस्पष्टता है । कभी सरकार यह कहती है कि यह मामला वेतन आयोग के विचाराधीन जायेगा किन्तु यह भी नहीं दिखता । पहले वेतन आयोग ने इस मामले पर विचार नहीं किया । इसी प्रकार सरकार कभी कुछ कहती है फिर कभी कुछ ।

पत्तनों तथा गोदियों में काम करने वाले समस्त कर्मचारियों की संख्या १,२५,००० है जिन में से ५,००० सरकारी कमचारी हैं । रेलवे वर्कशाप में काम करने वाले लोगों का वेतन समान है किन्तु पत्तनों में काम करने वालों के वेतन समान नहीं हैं ।

श्री चौधरी ने इस विषय का अध्ययन जैसाकि प्रतिवेदन पढ़ने से पता चलता है, वेतन आयोग के प्रतिपादित सिद्धान्तों को दृष्टि में रख कर पत्तन कर्मचारियों की सेवा की स्थिति निर्धारित करने के लिये किया । उन्हें वेतन आयोग के सिद्धान्तों को सामने रख कर ही जांच करने को कहा गया था । आशय यह था कि देखा जाय कि क्या वहां के कर्मचारियों को अधिक कठिनाइयां हैं ? यदि हों तो उन्हें क्या भत्ते या वेतन दिये जायें ।

उन्हों ने ये सिफारिश की कि यदि २ प्रतिशत संस्थापन व्यय और बढ़ा दिया जाये तो स्थिति संतोषप्रद हो सकती है । उन्हों ने यह भी कहा कि उपरान की मात्रा १५ प्रतिशत से बढ़ा कर २५ प्रतिशत की जानी चाहिये । तथा रात्री को ६ घंटे काम लिया जाना चाहिये ।

यह सिफारिशें इस कारण की गईं थीं कि पत्तन श्रमिकों का काम सख्त है । यहां दुर्घटनायें भी अधिक होती हैं । काम कठिन है । इन सब के अतिरिक्त महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्तन प्रशासन यह सुविधायें देने की सामर्थ्य रखता है । बम्बई पत्तन १९३४ से लाभ कमा रही है । अतः हमें अपने ही लोगों से अन्याय नहीं करना चाहिये । उन्हों ने कार्य में बड़ी दक्षता का परिचय दिया है । यदि जहाजी समवायों से थोड़ा ज्यादा धन भी लिया जाय और श्रमिकों का कार्य सराहनीय हो तो वे ज्यादा देते हुए चिन्ता नहीं करती । हमारे श्रमिकों ने कार्य के सम्बन्ध में बड़ी प्रशंसा लाभ की है ।

सरकार ने चौधरी समिति की सिफारिशों को इस कारण ठुकरा दिया है कि उस से अन्य स्थलों में प्रतिक्रिया होगी । यदि सरकार ने सिफारिशें रद्द ही करनी थीं तो उन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी । इन समितियों को नियुक्त करने का लाभ ही क्या है । श्रमिक तो इस कारण हड़ताल नहीं करते कि वे सरकार की सद्भावना में विश्वास करते हैं किन्तु सरकार कुछ भी नहीं करती । इस प्रकार कर्मचारियों की सरकार के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रहती । प्रधान मंत्री ने अन्तिम समय दखल दे कर स्थिति बचाई—अब क्या उन की महत्ता भी समाप्त करने का विचार है ।

सरकार केवल प्रक्रिया से घबराती है कि फिर अन्य ५½ लाख कर्मचारी भी शोर मचायेंगे । यह कोई दलील नहीं । क्या सभी कर्मचारियों का काम एक जैसा होता है । पत्तनों के कर्मचारियों को इस समय सब उद्योगों के कर्मचारियों से कम वेतन मिलता है । इस तरह यदि सरकार यही कहती रही कि इस की प्रतिक्रिया होगी तो कोई फायदा न होगा ।

---

[1]मूल अंग्रेजी में

श्रीमान् अन्य देशों में पत्तनों में काम करने वाले श्रमिकों को सब से ज्यादा वेतन मिलता है। हमें भी यहां उन के हाथ मजबूत करने चाहियें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस पर श्री एन्थनी पिल्ले के तीन स्थानापन्न प्रस्ताव हैं।

श्री एन्थनी पिल्लै (मद्रास–उत्तर) : श्रीमान् मैं अपने स्थानापन्न प्रस्ताव (संख्या १, २ तथा ३) प्रस्तुत करता हूं।

आज पत्तन कर्मचारियों में अत्यधिक असंतोष की भावना फैली हुई है। उस का कारण स्पष्ट है कि सरकार ने आज तक कभी भी अपने वचन पूरे नहीं किये। वह सदैव बचन तोड़ती रही है। इस से पता चलता है कि परिबहन मंत्रालय में किस प्रकार अदूरदर्शिता से काम चल रहा है। आज देश की बड़ी बन्दरगाहों के कर्मचारियों के बेतन असमान हैं और इसी प्रकार की अन्य समस्यायें भी हैं।

१९४७ में जब वेतन आयोग का प्रतिवेदन मिला था तब सरकार ने पत्तन प्राधिकारों को वे सिफारिशों क्रियान्वित करने की सलाह दी थी किन्तु तब यह बहाना उन्होंने लिया कि वे तो स्वायत हैं। ११ वर्ष से पतन कर्मचारियों में असन्तोष की लहरें उठ रही हैं। किन्तु सरकार खामोश है। चौधरी की सिफारिशों पर भी क्या होगा? उन्होंने प्रेरणा देने की योजना की सिफारिश की है। सरकार का कहना है कि उसे मान लिया गया है किन्तु उस से स्पष्ट लाभ क्या होगा?

अन्य सेवाओं में सरकार ने छुट्टी नियमों में पय प्ति ढिलाई दी है किन्तु आश्वासनों के बावजूद भी वत्तन कर्मचारियों को इस प्रकार की साधारण सी सुविधा भी नहीं दी गई। इसी प्रकार से घर आने जाने के लिये सरकार अन्य कर्मचारियों को एक ओर के किराये की रियायत देती है किन्तु अभी तक पत्तन कर्मचारियों को यह सुविधा देने का निश्चय ही नहीं किया गया है।

श्री चौधरी ने सिफारिश की है कि जो अवकाश तथा त्योहारों की छुट्टियां डाकखाने के कर्मचारियों को दी जाती हैं वही पत्तन कर्मचारियों को दी जायें। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाये तब क्या प्रतिक्रिया का खतरा है?

जहां तक वेतनों की समानता का सम्बन्ध है सरकार ने इस सम्बन्ध में अनेक बार आश्वासन दिये हैं। १९५६ में श्री लालबहादुर शास्त्री ने आश्वासन दिया था'। किन्तु इस संकल्प में उसका उल्लेख तक भी नहीं है। पुनरीक्षित वेतन स्तरों में समान निर्धारण की सिफारिशों को इसी प्रकार से गोल माल कर दिया गया है। सरकार स्पष्टतया मुकर रही है।

यद्यपि श्री चौधरी ने प्रतिवेदन सितम्बर, १९५७ में दिया था किन्तु आज तक भी इस पर कार्यवाही नहीं की गई। केवल सरकारों ने यदि थोड़ा कुछ किया है वह छट्टियों की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में किया है। शेष बातें अर्थ ति भविष्य निधि, उपदान आदि की सारी बातें अस्वीकृत कर दी गई हैं। इस पर सरकार ने वचन भङ्ग किया है।

श्री चौधरी ने निवृति वेतन लाभ के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव रखे थे। मद्रास पत्तन के नियोजकों ने उनकी सिफारिशें निकलने से पूर्व ही कह दिया था कि वे इस सम्बन्ध में श्री चौधरी की सिफारिश मान लेंगे। १९५७ में श्री शास्त्री ने लिखित आश्वासन भी दिया था। वह आश्वासन कहां गया?

---

†मूल अंग्रेजी में

अब उन्होंने यह संकल्प पारित कर दिया ताकि मद्रास पत्तन के कर्मचारियों को भी यह लाभ न पहुंच सके ।

इस प्रकार हमारे देश में औद्योगिक शान्ति नहीं हो सकती । सरकार को चाहिये कि वह एक मध्यस्थ नियुक्त करे जो पारस्परिक निर्णय कराये तथा समझौता हो सके । निस्संदेह मध्यस्थ पत्तनों के वेतन देने की क्षमता पर भी विचार करेगा । सरकार को मध्यस्थ नियुक्त से घबराना नहीं चाहिये । पत्तन कर्मचारियों से न्याय किया जाना आवश्यक है ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : उपाध्यक्ष महोदय पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के सम्बन्ध में श्री चौधरी के प्रतिवेदन तथा उस पर सरकारी संकल्प पर चर्चा का मैं स्वागत करती हूं क्योंकि इससे हमें कर्मचारियों की बात संसद् में कहने का अवसर मिला है । हम से बार बार यही बताया जाता है कि हड़ताल आदि कुछ देशद्रोहियों तथा उत्पाती लोगों द्वारा भड़का कर कराई जाती है परन्तु जैसा कि श्री अशोक मेहता और श्री एन्थनी पिल्ले ने बताया और मेरा भी अपना यही विचार है कि इन सब की जिम्मेदारी सरकार तथा परिवहन और संचार मंत्रालय पर ही है । क्योंकि पत्तन कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए बहुत दिनों प्रतिक्षा की है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

हम जानते हैं कि पत्तनों का हमारे राष्ट्रीय जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और इनको अंग्रेजों ने इसी उद्देश्य से बनवाया था कि जो कुछ उनको चाहिए उसका निर्यात हो तथा जिसकी उन्हें जरूरत नहीं हो उसका अपने देश से यहां पर आयात कर दिया जाये । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हम सब की यही इच्छा रही कि अब इन पत्तनों का उपयोग देश की अर्थ-व्यवस्था सुधारने के लिए होगा और इसीलिए आवश्यक वस्तुओं का आयात करने का विचार किया गया । इन आवश्यक वस्तुओं का आयात होने से पत्तन कर्मचारियों की जिम्मेदारियां बढ़ी क्योंकि पहले अंग्रेज़ों के लिए जो बेकार था उसका आयात होता था जब कि अब भारत के लिये जो आवश्यक है उसका आयात होता है । परन्तु इन जिम्मेदारियों के साथ साथ उनको मिला कुछ नहीं । अंग्रेज़ों के समय से अब मैं प्रशासनिक अन्तर केवल इतना है कि उस समय पत्तन न्यास का सभापति एक अंग्रेज़ होता था जब कि अब एक आई० सी० एस० अधिकारी इसका सभापति होता है और इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी प्रशासन में कोई अन्तर नहीं आ पाया है । इसीलिए मेरी माननीय सदस्यों तथा माननीय मंत्री से अपील है कि इन कर्मचारियों की समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें ।

उनकी सब से पहली मांग वेतन की है । वे चाहते हैं कि उन्हें इतना वेतन दे दिया जाये जिसके द्वारा वह अपना जीवनयापन सुचारू रूप से कर सकें । दूसरी मांग सेवा की शर्तों की है उनको यह अधिकार संविधान के निदेशक तत्वों के अधीन मिले हुए हैं कि सेवा की शर्तें बनाई जायें । परन्तु वह इन से अभी तक वंचित हैं ।

१९५४ के पश्चात् बातचीत की गई तथा हड़ताल करने की पूर्वसूचनायें दी गई परन्तु परिवहन तथा संचार मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासनों पर हड़ताल नहीं की गई । उन्हें बताया गया कि केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को पूर्णतया लागू नहीं किया जा सकता है और सात साल में सिफारिशों को थोड़ा अन्तर के साथ लागू किया परन्तु साथ ही और बहुत सी कठिनाइयां, समस्यायें पैदा कर दीं । यह एक सोचने की बात है कि इतने अर्से के बाद सरकार ने क्या किया ।

† मूल अंग्रेजी में

हमें बताया जाता है कि कर्मचारियों के वेतनों में समय समय पर परिवर्तन किए गए। परन्तु श्री चौधरी के प्रतिवेदन में स्पष्टतः दिया है कि जो वेतनों में परिवर्तन किए गए हैं उन से और अधिक उलझनें पैदा हो गई हैं। सितम्बर, १९५७ में सरकार को यह प्रतिवेदन मिला था परन्तु संसद् में प्रश्न पूछे जाने तथा संघ द्वारा उसकी मांग करने पर इस प्रतिवेदन की प्रतियां यूनियनों को दी गई और उन से कह दिया गया कि इसको गुप्त रखें और स्थानीय रूप से बातचीत करें। परन्तु यह बातचीत केवल इसीलिए की गई कि हड़ताल की सूचना मिलने पर सरकार कह सके कि हम बातचीत करने को तैयार थे परन्तु कर्मचारी ही गड़बड़ करने पर उतारू हैं। हड़ताल की सूचना देने पर क्या होता है। लोग सोचते हैं कि यदि मंत्री महोदय शान्ति पूर्वक समझौता करने की कोशिश करेंगे। परन्तु इसके बजाय वह आपतकालीन स्थिति की घोषणा कर देते हैं, जिसका परिणाम कुछ और ही होता है। आपने देखा ही है कि हड़ताल करने के कुछ घंटों के पश्चात् ही मद्रास जैसे नगर में गोली चलाई गई है, लोग मारे गये तथा घायल हुए। मैं बता देना चाहती हूं कि मद्रास में जो गोली कांड हुआ उसके विरोध में सारा शहर एक मत हो गया था उन्होंने हड़ताल की जो इतनी सफल थी जितनी की स्वतंत्रता आन्दोलन में कभी भी कोई हड़ताल सफल नहीं हुई।

कलकत्ते में इस के समर्थन में हड़ताल की गई तथा बंगाल सरकार ने आपस में समझौता कराने का प्रयत्न किया परन्तु हमारे जो माननीय मंत्री ने घमंड से भर पूर उत्तर दिया कि हम डा० बि० चं० राय की सरकार को इस में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। इसके अतिरिक्त हड़ताल के समय पर जो आश्वासन हमें दिए गए थे उन सब को भुला दिया था। तथा हड़ताल करने वालों के साथ ज्यादतियां की गईं। मैं बता देना चाहती हूं कि मज़दूरों की उपस्थिति, प्रति घंटे उनका काम आदि को आप नाप सकते हैं परन्तु इस काम को करने में जो उत्साह होना चाहिए वह उन में आप नहीं भर सकते, ईमानदार आप उन्हें नहीं बना सकते हैं। माननीय मंत्री ने कर्मचारियों में इस उत्साह को भरने का कभी प्रयत्न नहीं किया।

हालत यह है कि जब कोई विदेशी आता है तो उसको भाखड़ा नंगल, चितरंजन, पेराम्बूर रेलगाड़ी कारखाने आदि दिखाने ले जाया जाता है परन्तु कर्मचारियों की ओर, जिन्होंने परिश्रम से इन को बनाया है, ध्यान नहीं दिया जाता। क्या आप कर्मचारियों की सराहना कभी करते हैं। मैं बताना चाहती हूं कि जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तथा अपने आश्वासनों को पूरा नहीं किया जायेगा तब तक यही ग बड़ी चलती रहेगी। यह मेरी चेतावनी नहीं है अपितु गोदी कर्मचारियों के फेडरेशन द्वारा इस सरकारी संकल्प के प्रकाशन के तुरन्त बाद कही गई बात है। इसीलिए मेरा कहना है कि इन सिफारिशों को पूरा पूरा स्वीकार करके हमें गोदी कर्मचारियों को संतुष्ट कर देना चाहिए।

अन्त में मैं एक बार फिर मंत्री जी से अपील करती हूं कि इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें तथा जो आश्वासन गोदी कर्मचारियों को उन्होंने दिए हैं उनको पूरा करें।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** इस चर्चा का हम स्वागत करते हैं क्योंकि इसके द्वारा इस सभा को तथा देश को यह जानकारी हो सकेगी कि सारे विवाद के सही कारण क्या हैं। हमें आशा है कि आसानी से आपस में समझौता हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम पर, आश्वासन पूरा न करने, वायदे तोड़ने के आरोप लगाये गये तथा माननीया महिला सदस्य ने तो हमें चेतावनी भी दे दी है। जो कुछ समय मुझे दिया गया है उस में तो मैं शायद सभी प्रश्नों का उत्तर न दे पाऊं।

सब से पहले मैं माननीय अशोक मेहता के कथन का उल्लेख करता हूं कि अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ ने, पिछले एक या दो वर्षों में पांच बार हड़ताल करने का नोटिस दिया। मैं इसे मानता हूं। परन्तु मैं आपको बताऊंगा कि यह सब चीजें किस प्रकार हुई।

सितम्बर, १९५६ में या कुछ पहले पहली बार सूचना दी गई थी जिस के आधार पर बातचीतें शुरू हुईं और यह निश्चित हुआ कि एक विशेषाधिकारी इसकी जांच के लिए नियुक्त किया जायेगा। निर्देश पद के बारे में २७ नवम्बर १९५६ को तय हो गये थे। पन्द्रह दिन के अन्दर ही विशेषाधिकारी ने पत्तन प्राधिकारी को आंकड़ों के लिए और श्रम संघों को अपने ज्ञापन भेजने के लिए लिखा। ज्ञापन आने भी न पाये थे कि जनवरी, १९५७ में फेडरेशन ने घोषणा कर दी कि यदि फरवरी १९५७ के पहले सप्ताह तक विशेषाधिकारी का प्रतिवेदन नहीं आया तो वे हड़ताल कर देंगे। यह बड़ी अजीब सी बात थी क्योंकि जब तक आंकड़े अथवा ज्ञापन पदाधिकारी के पास नहीं पहुंचेगें तब तक वह अपना प्रतिवेदन किस प्रकार दे सकता था। खैर ज्ञापन आने प्रारंभ हुए तथा वह उस तिथि से, जिस तिथि को हड़ताल की सूचना दी गई थी एक माह बाद तक आते रहे, यानी लगभग १२ मार्च १९५७ तक आते रहे। इस के दस दिन के अन्दर बातचीत शुरू हुई। विशेषाधिकारी ने अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी फेडरेशन से बात चीत शुरू की। ९ अप्रैल १९५७ को अन्तिम ज्ञापन मिला। फिर २७ मई तक बातचीत चलती रही। लेकिन २९ मई को उदवभरक संस्था के ज्ञापन मिले। परन्तु बम्बई यूनियन ने विशेषाधिकारी के प्रतिवेदन में शीघ्रता करने के लिए २८ जून को फिर हड़ताल की सूचना दे दी।

विशेषाधिकारी ने ५ जुलाई को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो अन्तरिम प्रतिवेदन था। साथ ही साथ हड़ताल की सूचना पर प्राधिकारियों तथा फेडेरेशन के प्रतिनिधियों के बीच १२ जुलाई १९५७ को बातचीत प्रारंभ हुई। नया वेतन आयोग २१ अगस्त १९५७ को बनाया गया तथा विशेषाधिकारी ने १ नवम्बर १९५७ को अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अब पत्तन प्राधिकारियों, विभिन्न मंत्रालयों से बातचीत के लिए हमें भी समय चाहिए था। ११ नवम्बर, १९५७ को पत्तन प्राधिकारियों से तथा १२ नवम्बर, १९५७ को श्रम संघों से बातचीत शुरू की गई। पत्तन प्राधिकारियों से प्रार्थना की गई कि श्रम संघों के परामर्श से शीघ्रता से इस प्रतिवेदन पर विचार करें। इस क्रिया से सभी सहमत थे। इसलिए इसको स्वीकार किया गया। बातचीत कुछ दिनों तक होती रहीं तथा कुछ महीनों में उन के समाप्त हो जाने की आशा थी। परन्तु बातचीत के वास्तब में शुरू होने पर संघों ने एक साथ बैठने से इन्कार कर दिया। क्योंकि वह अलग अलग ठना चाहते थे। इस में भी बहुत समय लगा।

२६ जनवरी १९५८ को जबकि बातचीत खत्म भी नहीं हुई थी हड़ताल की तीसरी सूचना हमें मिली कि यदि २८ फरवरी १९५८ तक उनको लाभ पहुंचाने वाली सिफारिशें लागू नहीं हुई तो वे हड़ताल कर देंगे। अब आप बताइये कि इन परिस्थितियों में सिफारिशों पर जिस प्रकार शांति से विचार किया जा सकता था।

इसके पश्चात् मैंने स्वयं फेडेरेशन से प्रार्थना की कि साथ बैठकर मामला निबटा लिया जाये। ऐसे बहुत से मामले थे जिनको दिल्ली में बैठकर हल नहीं किया जा सकता था और जिनके लिए पत्तनों में जाना आवश्यक था। हमने बातचीत की;

[श्री राज बहादुर]

यह आवश्यक था कि केन्द्रीय सरकार कोई निर्णय ले उससे पहले बातचीतें समाप्त हो जायें । इसीलिए हमन निश्चित किया कि हम अप्रैल के अन्त तक बातचीत समाप्त कर देंगे । परन्तु फिर भी १९ मार्च को फेडरशन ने एक संकल्प पारित किया और ७ मई को हड़ताल की सूचना देने की तारीख निश्चित की ।

इस बार मंत्री महोदय ने स्वयं हस्तक्षेप किया और उनसे प्रार्थना की कि ८ मई को सब एक साथ मिलें । हम मिले तथा हमने बातचीत की जो बड़े शान्त वातावरण में हुई । परन्तु अगले दिन ही हमें पता लगा कि हड़ताल की सूचना हमें मिलने वाली है। अब आप बताइये कि इन परिस्थितियों में कोई क्या कर सकता था ।

अब मैं कुछ दूसरी बातों को लेता हूं जिन्हें यहां उठाया गया । सबसे पहले मैं इस समिति की नियुक्ति के मुख्य आधार के सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता द्वारा उठाये गये प्रश्नों को लूंगा । उन्होंने बताया कि यह वेतनक्रम में समानता लाने के लिए किया गया था । परन्तु जब हमने प्रतिवेदन पर चर्चा की, उस समय हमें पता लगा कि वेतनों में समानता नहीं की जा सकती है; इस पर सभी सहमत थे कि वेतन क्रमों के बारे में हम अन्तिम निर्णय नहीं कर सकते हैं क्योंकि चौधरी समिति के प्रतिवेदन में कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग के लिये वेतन क्रम नहीं लिए गए थे ।

लेकिन सम्मेलन में फेडरेशन के विचारों को सुनने के पश्चात् यह पता लगा कि उनका विचार वेतन क्रमों में समानता लाने का नहीं अपितु वेतनक्रमों को अधिकतम बढ़ाने का है, अर्थात् बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में किसी वर्ग के लिए जो अधिकतम वेतनक्रम है उसी को स्वीकार किया जाना चाहिए । यहां तक कि १९४७ के वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया । स्पष्ट है कि हम ऐसा नहीं कर सकते थे ।

निवृत्ति लाभ क सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि श्री चौधरी ने स्वयं अपने प्रतिवेदन में कहा है कि चूंकि दूसरा वेतन आयोग बना दिया गया है, इसलिये हो सकता है कि उनकी खुद की बहुत सी सिफारिशों में संशोधन करना पड़े । तो वह खुद समझते थे कि हो सकता है कि उन की सिफारिशों में परिवर्तन करना पड़े । इन मामलों में हम इस उच्च स्तर के आयोग के निर्णयों की पूर्वकल्पना नहीं कर सकते ।

दूसरी बात छट्टियों के बारे में थी । श्री चौधरी ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त १५ दिन की छुट्टी दी जानी चाहिए जबकि आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त हमने २१ दिन की छुट्टी की व्यवस्था की है। इसके सम्बन्ध में भी हम पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है ।

विरोधी पक्ष के सदस्यों को, विशषेकर श्री एन्थनी पिल्ले को, भली भांति विदित है कि नाइट ड्यूटी क बारे में यह समझौता हुआ था कि ६ घंटे की ड्यूटी होगी । इसी प्रकार मद्रास में भी परस्पर सहमति से यह तय हुआ था कि नाइट ड्यूटी ६½ घंटे की होगी । कलकत्ता में भी परस्पर सहमति से ६½ घंटे तय हुए थे । ऐसी दशा में हमारे लिए परस्पर सहमति से निश्चित किये गये वक्त को बदलना कहां तक उचित था? हम हरगिज ऐसा नहीं कर सकते थे और यदि हम इसे बदलने का प्रयत्न करते तो हमें खामख्वाह लोगों को कोपभाजन बनना पड़ता ।

एक सदस्य ने यह भी कहा है कि जब प्रति घंटा दरों का निर्धारण किया गया तब $^{1}/_{6}$ की बजाय $^{1}/_{8}$ के हिसाब से दरें तय की गईं । किन्तु यह हमारा विनिश्चय नहीं है । यह विनिश्चय श्रम अपीलीय पंचाट का है जिसके पक्ष तथा विपक्ष की सभी बातों पर विचार करने के बाद यह विनिश्चय दिया है । इसमें पंचाट ने तीन बातों का ध्यान रखा है । एक यह कि क्योंकि कर्मचारियों की नाइट ड्यूटी बारी बारी स आती है इसलिये इन्हें विशेष भत्ता देने की कोई आवश्यकता नहीं । दूसर यह कि क्योंकि नाइट ड्यूटी में केवल ६ घंटे रखे गये हैं जबकि दिन के समय ८ घंटे की ड्यूटी होती है इसलिये भी यह भत्ता देना आवश्यक नहीं रहता । तीसरे यह कि क्योंकि नाइट ड्यूटी केवल ६ घंटे की ही होती है और क्योंकि ६ घंटे के उपरान्त ओवरटाइम शुरू हो जाता है इसलिये भी इस भत्ते की आवश्यकता नहीं रहती । पंचाट ने यह विनिश्चय सभी बातों के विचारने तथा सभी पक्षों तथा प्रतिनिधानों से मिलने के बाद किया है । इसलिये हम इसको अस्वीस्कार नहीं कर सकते थे ।

इसके बाद श्री एन्थनी पिल्ले ने तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को छुट्टी सम्बन्धी समान सुविधाएं देने की बात कही है । उन्होंने कदाचित् एत्तसंबंधी संकल्प को पढ़ा होगा और उन्हें विदित होगा इसके बारे में जो विशेष विनिश्चय किया गया है वह भूतलक्षी प्रभाव से १ जुलाई १९५७ से कार्यान्वित होगा । उन्हें यह भी विदित है कि इस विनिश्चय को कार्यान्वत करने से पहले हमें इस सम्बन्ध में नियमित नियम तथा विनियम बनाने पड़ेंगे । पत्तन अधिकारियों ने भी अपने नियम बनाने में समय लिया था । अब वित्त मंत्रालय को यह नियम बनाने हैं । मैं समझता हूं ये लगभग एक सप्ताह के भीतर तैयार हो जायेंगे । तब हम इस विनिश्चय को कार्यान्वित कर देंगे ।

इसके बाद उन्होंने न्याय-निर्णयन का निर्देश किया है । इस सम्बन्ध में भी उन्हें भलीभांति पता है कि पहल सभी विवादों को पत्तन स्तर पर ही तय करने का प्रयास किया जाता है और फिर यदि कोई शेष मतभेद रह जायें तब उन्हें विधि अनुसार न्याय-निर्णयन के लिये पंचाट के सुपुर्द किया जाता है ।

इन तथ्यों को सामने रखते हुए मैं उनकी इस बात को नहीं समझ पाया हूं कि हम इस दशा में कहां तक और आगे बढ़ सकते थे । हम पांच बार, कभी हर महीने बल्कि हर हफ्ते हड़ताल के नोटिस दिये गये । इससे स्पष्टतया यह नतीजा निकलता है किये हड़तालें राजनीतिक कारणों से करवाई जाती हैं । मैं चाहता हूं कि हम समय की नाजुकता को पहचानें और एक दूसरे से कंधे से कंधा भिड़ा कर चलने का प्रयास करें । हमें आज यह निश्चय करना चाहिये कि हम राजनीतिक उद्देश्यों के लिये श्रमिकों का, और विशेषत: उनके हड़ताल करने के बहुमूल्य अधिकार को, एक अस्त्र के रूप में दुरुपयोग नहीं करेंगे ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : माननीय नौवहन मंत्री ने यह कहा है कि १९५४ के बाद से सरकार ने गोदी कर्मचारियों के मामलों में कोई देरी नहीं की है । किन्तु मेरा अनुमान है कि यह बात ठीक नहीं है । कर्मचारियों ने अपनी मांगें १९५४ में सरकार के सम्मुख रखी थीं । बाद में १९५७ में दोबार कर्मचारियों के संघ ने एक मांग पत्र प्रस्तुत किया। तब कहीं सरकार ने १९५७ में चौधरी समिति को नियुक्त किया और उसकी रिपोर्ट सरकार को अगस्त १९५७ में मिल गई । उस समय से लेकर अगस्त १९५८ तक सरकार

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री राज बहादुर]

ने ११ महीने के बीच उन्हें कार्यान्वित करने के लिये कुछ भी नहीं किया। जब कर्मचारियों ने हड़ताल का नोटिस दिया तब एक ओर मंत्री महोदय ने श्रमिकों से बातचीत करनी शुरू की। चौधरी समिति की रिपोर्ट व सरकार का संकल्प आज सभा के पटल पर रखा गया है। इस सब से यह सिद्ध होता है कि सरकार प्रारम्भ से ही इस सभा को विश्वास में नहीं लेना चाहती थी। श्रमिकों के प्रति इस प्रकार के रवैये से उनमें अशान्ति व असन्तोष बढ़ना नितान्त स्वाभाविक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने श्रमिकों को १९५६ में दिये गये आश्वासनों को कहां तक पूरा किया है ? जब तक हम श्रमिकों की समस्याओं के प्रति अपने रवैये में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक उन में रोष व असन्तोष बना रहेगा।

मैं आज यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह समझती है कि चौधरी समिति की सिफारिशें अत्याधिक हैं और सरकार कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कांडला, विशाखापटनम तथा कोचीन आदि बन्दरगाहों के श्रमिकों को उनके अनुसार वेतन देने का सामर्थ्य नहीं रखती है ? सरकार के मन में जो बात हो उन्हें स्पष्ट कहनी चाहिए।

भविष्य निधि के सम्बन्ध में चौधरी समिति में यह सिफारिश की गई है कि कर्मचारियों के आधारभूत वेतन तथा सम्पूर्ण मंहगाई भत्ते का ८ $^{1}/_{3}$ प्रतिशत रुपया जमा करने का अधिकार होना चाहिय। किन्तु सरकार का कहना है कि यह राशि आधारभूत वेतन तथा आधे मंहगाई भत्ते की ८ $^{1}/_{3}$ प्रतिशत होनी चाहिय। मेरा निवेदन है कि क्योंकि यह एक प्रकार की अनिवार्य बचत है और जब कर्मचारी ८ $^{1}/_{3}$ प्रतिशत देने को तैयार हैं तब सरकार को इतनी राशि देने में क्या आपत्ति है ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बात का किस आधार पर विरोध कर रही है ?

इसी प्रकार उपदान[1] के संबंध में भी सरकार की चौधरी समिति की रिपोर्ट से सहमत नहीं है। चौधरी समिति ने यह सिफारिश की है प्रति वर्ष की सवा के पीछे एक पूरे मास का वेतन उपदान के रूप में दिया जाये। इस प्रकार अधिक से अधिक किसी कर्मचारी के २५ मास का वेतन मिल सकता है। किन्तु सरकार उन्हें केवल १५ मास का आधारभूत वेतन तथा आधा मंहगाई भत्ता देना चाहती है। इसके विरोध में सरकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि चौधरी समिति की रिपोर्ट कर्मचारियों को एक प्रकार की बुढ़ापे की पेंशन तथा उनको बुढ़ापे में सुरक्षा देने के समान है। मैं नहीं समझता अगर उस रिपोर्ट का यह आशय भी हो तो इसमें क्या बुराई है ? आखिर हमने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में भी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य अपने सामने रखा है। यह सिफारिश किसी भी दशा में उसके प्रतिकूल नहीं है। सरकार को इसे अवश्य स्वीकार करना चाहिये अन्यथा सरकार अपने तथाकथित घोषित लक्ष्यों के विपरीत आचरण की दोषी होगी।

कई पत्तनों में कर्मचारियों के वेतनों में अब भी बड़ा भारी भेदभाव है। जैसे जूनियर क्लर्कों और जूनियर क्लर्क (कारगो) में। चौधरी समिति ने इन सबको एक समान ६०–३–८१ का वेतनक्रम देने की सिफारिश की थी। किन्तु मद्रास पत्तन न्यास ने इस सिफारिश की कोई चिन्ता न करते हुए अपने यहां के जूनियर क्लर्कों को ५५–७५ रुपये का ग्रेड देना ही स्वीकार किया है।

---

[1]Gratuity.

इसी प्रकार चौधरी समिति ने रात के समय काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति घंटा वेतन के संबंध में यह सिफारिश की थी कि यह सम्पूर्ण समय के वेतन का $^1/_4$ भाग होना चाहिये । किन्तु माननीय मंत्री महोदय ने श्रम अपीलीय पंचाट के निर्णय के तर्कों का हवाला देते हुए अपनी सफाई पेश की है कि हम उक्त पंचाट के विनिश्चय के बाहर कैसे जा सकते हैं । मेरा निवेदन है कि श्रमिक क्षेत्रों में इस प्रकार के तर्कों का कोई महत्व नहीं । पहले भी जब इस सभा में १६ अगस्त १९५८ को इस संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था मंत्री महोदय ने उसके उत्तर में यह कह कर टाल दिया था कि 'हम हमेशा न्याय करेंगे ।' मैं इस समय मंत्री महोदय से ऊपर कही गई बातों के बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कोचीन, विशाखापटनम तथा कांडला के बन्दरगाहों में काम करने वाले तीसरी व चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में समता तथा समानता लाने के लिये सरकार का क्या रुख है तथा इस सम्बन्ध में हो रही बातचीत तथा कार्यवाही में कहां तक प्रगति हुई है । मेरा निवेदन है कि विशाखापटनम्, कोचीन और कांडला के बन्दर में चौधरी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये शीघ्र ही कोई स्थायी मशीनरी स्थापित की जानी चाहिये । अन्यथा यहां पर निरन्तर असन्तोष बढ़ता जायेगा ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : श्रीमान्, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सरकार को एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया है और उन्होंने इस प्रश्न को एक राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न के रूप में सामने रखा है । विशेष रूप से मैं श्री अशोक मेहता का आभारी हूं जिन्होंने कि इस प्रश्न की बड़ी व्यावहारिक तथा सहायताप्रद विवेचना की है । इस प्रश्न की जटिलताओं में जाने से पूर्व मैं सभा के सम्मुख यह बतलाना चाहता हूं कि यह प्रश्न कितना व्यापक प्रश्न है । पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की किसी उद्योग के कर्मचारियों से तुलना करना ठीक नहीं क्योंकि वे किसी उद्योग अथवा व्यापारिक संस्थापन में कार्य करने वाले कर्मचारियों के समान नहीं हैं । उनकी अपनी विशेष परिस्थितियां तथा समस्याएं हैं । इनकी समस्या बहुत पुरानी समस्या है । कई पत्तन ६० या ७० वर्ष पुराने हैं जबकि कुछ पत्तन अब हाल ही में बने हैं । हमें पत्तन कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को समझने से पूर्व उनकी इस पृष्ठभूमि का जानना बड़ा आवश्यक है । हमें यह देखना पड़ेगा कि जब यह पत्तन बने तब क्या परिस्थितियां व धारणाएं थीं । क्या उस समय उनको एक व्यापारिक संस्था के तुल्य माने जाने का विचार था या उन्हें स्वतंत्र संस्थाएं । पत्तनों के सम्बन्ध में सरकार केवल नीति संबंधी निर्देश मात्र देती है अन्यथा वे पूर्णतया स्वायत्तशासी हैं । वे अपने बजट का स्वयं विनियमन करते हैं । अपने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का वे स्वयं ही फैसला करते रहे । उन्होंने इस संबंध में सरकार से कभी परामर्श नहीं किया । इस प्रकार पिछले ६० या ७० वर्षों में पत्तन कर्मचारियों की कुछ अपनी अपनी परम्पराएं बन गईं । इन्हीं परम्पराओं तथा पूर्वाधरयों के कारण आज हमें विभिन्न पत्तनों में काम करने वाले कर्मचारियों में इतना अन्तर दिखाई देता है । इसलिये, ऐसी स्थिति में, कोई भी मंत्री चाहे वह कितना भी कुशल क्यों न हो एकदम उनकी स्थितियों में एकरूपता नहीं ला सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

एकरूपता का सिद्धान्त, जैसा कि मेरे मित्र श्री अशोक मेहता ने कहा है, बड़ा अच्छा सिद्धान्त है । मैं इसे स्वीकार करता हूं । किन्तु हम ६०–७० वर्ष के विकास को कैसे भूल सकते हैं । आज तक कभी भी सभी कर्मचारी एक जगह संगठित नहीं हुए थे । केवल पिछले तीन या चार वर्षों में उनका एक संघ बना है और तभी ये मांगें संसद् के सम्मुख सामूहिक रूप में प्रस्तुत हुई हैं । इसलिये अब सरकार भी एक होकर उन पर विचार कर रही है । बम्बई तथा कलकत्ता के बन्दरगाहों की, जो कि सब से पुराने बन्दरगाह गाह हैं, मद्रास, कांडला, कोचीन तथा विजया के पत्तनों से वेतनक्रमों, सेवा की शर्तों व अन्य मामलों में नितान्त भिन्न परिस्थितियां हैं । और ये बन्दरगाह सक्षम बन्दरगाह हैं । एक संसदीय अधिनियम के अधीन, जिसे कि हमारी सभा अथवा इसकी पूर्ववर्ती सभा ने पास किया था, ये पूर्णरूपेण स्वतन्त्र तथा प्रभुत्व सम्पन्न पत्तन रहे हैं । इनकी अपनी ही विधियां हैं । आज तक सभी बन्दरगाह अपने मामलों की स्वयं देखरेख करते रहे हैं । इसके कारण प्रत्येक बन्दरगाह की परिस्थितियों में काफी अन्तर आ गया है । इसमें किसी सरकार का कोई कसूर नहीं है क्योंकि सरकार ने हमेशा यही चाहा है कि वे पृथक् अभिकरण रहें । इससे अधिक मैं इस इतिहास के और विस्तार में नहीं जाना चाहता ।

अब मैं उन बातों को लेता हूं जिनका श्री अशोक मेहता तथा उनके बाद बोलने वाले वक्ताओं ने निर्देश किया है ।

यह कहा गया है कि पिछले तीन या चार वर्षों से हमें एकरूपता लाने अथवा विषमता को हटाने के लिये विशेष प्रयास करना चाहिये था । इसके लिये माननीय सदस्यों ने अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । कुछ ने 'समान कार्य समान वेतन' के सिद्धान्त की याद दिलाई है । शायद वे यह समझते हैं कि यह सिद्धान्त भी गणित का कोई समीकरण है । किन्तु काश ! कि यह सचमुच इतना सरल होता । मुझे तब गर्व होता कि मैं इसको इतनी सरलता से घटित कर सकता हूं । हमने एक विशेषाधिकारी श्री चौधरी को नियुक्त किया था । वह एक बड़े अनुभवी अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है । उन्होंने विभिन्न समस्याओं को हल करने में यथासम्भव भरसक प्रयास किया है । किन्तु वह भी छः बन्दरगाहों के सभी मामलों में एकरूपता लाने के लिये कोई सुझाव या रीति नहीं बता पाये हैं क्योंकि प्रत्येक बन्दरगाह की परिस्थितियों में दूसरे से बड़ा अन्तर है ।

चौधरी रिपोर्ट की मुख्य बातों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है । एक वेतनक्रम के बारे में । इसे हम वेतन बढ़ाने या वेतनों में समता लाने कोई भी नाम दे सकते हैं । दूसरी बात कर्मचारियों को नियमित बनाने के बारे में है । यह देखना कि इस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं तथा कितना कुछ काम करना अभी बाकी है । तीसरी बात सेवा निवृत्ति के पश्चात् मिलने वाली राशि से संबंधित है । इसमें भविष्य निधि तथा उपदान आदि की बातें शामिल हैं । इसके अतिरिक्त उसमें दो या तीन अन्य बातें हैं । किन्तु वह अपेक्षतया बहुत लघु हैं ।

अब हम यह देखना चाहते हैं कि इन तीन मुख्य क्षेत्रों में चौधरी रिपोर्ट की सिफारिशों का क्या हुआ है । मैं बेधड़क हो कर कह सकता हूं कि जहां वेतनक्रमों में विषमता दूर करने का प्रश्न है सरकार ने चौधरी रिपोट की सारी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है । इनके अतिरिक्त वेतनक्रमों को १९४७ के वेतन आयोग के क्रमों के अनुसार बनाने के लिये उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं । हमारा

दुर्भाग्य है कि हम इस कार्य को बहुत पहले नहीं कर सके । यदि पत्तन न्यासपदाधिकारी इस कार्य को पहले करते तो मैं निःस्सन्देह कह सकता हूं कि सरकार कभी भी उनके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती थी। उदाहरण स्वरूप बम्बई पत्तन न्यास ने आज से तीन या चार वर्ष पूर्व अपने अधिकार के बाहर जाकर १९४७ के वेतन आयोग की सिफारिशों के एक भाग को कार्यान्वित कर लिया। इस सुझाव को अपनाने के बाद उन्होंने सरकार से पूछा कि हमने यह कार्य कर लिया है क्या आप इस से सहमत हैं हमने उन को उत्तर दिया कि जब "आपने यह कार्य कर लिया है तो हमें इसकी कोई चिन्ता नहीं। आप इसे पूरा कर सकते हैं"। पत्तन न्यासों को इस विषय में कुछ भी करने का पूरा अधिकार था और वे कुछ भी करने में सक्षम थे जैसा कि मैं ने अभी बम्बई के उदाहरण से बताया है। किन्तु क्योंकि उन्होंने यह कार्य नहीं किया इसलिये आज उन में कोई समन्वय या एकरूपता नहीं दिखाई देती है ।

मैं इन तथ्यों को स्वीकार करता हूं। आज मैं अपने मंत्रालय या विभाग में यह प्रयत्न कर रहा हूं कि अब इस प्रकार के भेद भाव और न बढ़ने पायें। आज पत्तन कर्मचारियों में अनेक प्रकार के अन्तर हैं। इसी लिये एकरूपता लाने का प्रश्न भी जटिल बना हुआ है। हम एक ऐसी मशीनरी बनाना चाहते हैं जिससे सभी पत्तन न्यास एक साथ मिल कर समान रूप से कार्य कर सकें। आज हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं है। भूतकाल में भी कभी ऐसी व्यवस्था नहीं रही। किन्तु अब हमें ऐसी मशीनरी बनानी होगी। श्रमिकों अथवा संघ द्वारा प्रस्तुत की गई समस्याओं ने हमें बाध्य कर दिया है कि हम शीघ्र ही इस प्रकार की कोई व्यवस्था कायम करें। हम अनेक प्रकार के वेतन क्रमों को दो या तीन मुख्य वेतनक्रमों के अन्तर्गत मिलाना पड़ेगा। किन्तु किस वेतनक्रम को किस श्रेणी में डाला जाये १, २, ३ या 'क' 'ख' 'ग' आदि यह एक बड़ी जटिल समस्या है। इस विषय में चौधरी रिपोर्ट में भी कोई मार्ग दर्शन नहीं किया गया है । संघ ने भी इस दिशा में कोई मार्ग दर्शन नहीं किया है। इस लिये हमारे और संघ के बीच यह तय हुआ कि केवल इसी उद्देश्य के लिये एक समिति बनाई जाये कि मुख्य वेतन क्रमों को स्वीकार करने के पश्चात् सैंकड़ों हजारों कर्मचाहियों को किस वर्ग तथा श्रेणी में रखा जाये। अब हम इसके अनुसार एक समिति नियुक्त करनी है। जहां तक वेतन क्रमों के बारे में अन्य सिफारिशों का प्रश्न है सरकार ने उनको शतप्रतिशत स्वीकार कर लिया है और उनको कार्यान्वित कर दिया है। मैं शतप्रतिशत की बात तो नहीं कह सकता क्योंकि इस संबंध में हमें अभी कई बातों पर विचार करना है। यह प्रश्न केवल इन्हीं बन्दरगाहों का ही प्रश्न नहीं है। हमारे सम्मुख अन्यत्र भी श्रमिकों के बारे में ऐसे प्रश्न हैं, जैसे रेलों में। श्री अशोक मेहता ने कहा है कि ५५ लाख सरकारी कर्मचारी ऐसी स्थिति में पड़े हैं। यह कहा गया है कि वे कठोर परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें नियमित बनाया जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि इनमें से सभी आदमी कठोर परिश्रम करने वाले नहीं हैं। उनमें से कुछ कलर्क आदि भी हैं। इन में कई प्रकार के आदमी हैं। आप सभी को एक मापदन्ड से नहीं आंक सकते। इसलिये सरकार जब वेतन क्रमों आदि के प्रश्न पर विचार करती है तो उसे इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि इन सिफारिशों का अन्य कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

नैमेत्तिक श्रमिकों को रखने की पद्धति को अंत करने के सम्बन्ध में भी ८०६ सिफारिशें हमारे द्वारा स्वीकार हो चुकी हैं। संघ इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार संघ तथा सरकार के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता है। सरकारी सिफारिशों को ध्यान से पढ़ने तथा उनकी श्री चौधरी द्वारा की गई सिफारिशों से तुलना करने पर, यह ज्ञात होगा कि नैमेत्तिक श्रमिकों को रखने की पद्धति का अंत करने के सम्बन्ध में भी, मोटे रूप से सिफारिशें या तो क्रियान्वित कर ली गई हैं या की जा रहीं हैं ।

[श्री स० का० पाटिल]

अब मैं पदनिवृत्ति के पश्चात् मिलने वाले लाभों को लेता हूं। यदि वे कोई अच्छी चीज चाहते हैं और सरकार उन्हें देने में समर्थ है तो वह अवश्य दी जानी चाहिये। लेकिन इस सम्बन्ध में हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ग को पदनिवृत्ति के उपरान्त ऐसे लाभ दिये जायें जो अन्य वर्ग के कर्मचारियों को उपलब्ध न हों। सरकार के समक्ष यह द्विविधा थी कि वह रेलवे तथा अन्य कर्मचारियों को प्राप्त सुविधा से अधिक सुविधायें उन्हें नहीं दे सकती है। अतः हमें ऐसी कोई शर्त नहीं रखनी चाहिये कि एक ओर तो मतभेद दूर हो लेकिन अन्य सैंकड़ों स्थानों में मतभेद पैदा हो जायें।

अतः हमने संघ को यह सलाह दी कि वे द्वितीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन आने तक प्रतीक्षा करें। जब सरकार द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करेगी तो स्वतः ही ये सिफारिशें पत्तन प्रन्यासों पर भी लागू हो जायेंगी। इसलिये यदि द्वितीय वेतन आयोग अन्य कर्मचारियों को वर्तमान से अधिक निवृत्ति लाभ देता है तो पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों को भी ये लाभ स्वतः प्राप्त हो जायेंगे।

श्रमिकों तथा श्री अशोक मेहता के द्वारा यह कहा गया है कि पत्तन और गोदियों के कुछ कर्मचारियों को बहुत कठिन कार्य करना होता है। अतः उन्हें समय के पूर्व पदनिवृत्त होना पड़ता है और वे अन्य श्रमिकों के समान कार्य नहीं कर सकते हैं। यद्यपि यह देखा गया है कि वे ६० वर्ष की अवस्था तक कार्य करते हैं तथा समय के पूर्व पदनिवृत्त भी नहीं होते हैं तथापि कठिन कार्य के कारण कभी कभी उन्हें समय के पूर्व पदनिवृत्त होना पड़ता है। हम से उन्हें कुछ अधिक लाभ मिलना चाहिये। तथापि यदि हम इस वर्ग के कर्मचारियों के लिये कुछ करें तो हम पर पक्षपात का आरोप लग सकता है। हमने संघ से इस सम्बन्ध में एक सूत्र सुझाने को मांग की तथापि वे ऐसा न कर सके। अन्ततः सरकार ने एक सूत्र निकाला जिसके अनुसार कठिन कार्य की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले यथा काम के अनुसार मजूरी पाने वाले (पीस रेटर्स) को द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें आने से पूर्व ही कुछ लाभ दिया जायेगा। अर्थात उनके वेतन तथा आधे मंहगाई भत्ते के अनुसार प्राप्त होने वाली भविष्य निधि और उपदान के अलावा उन्हें प्रासेसिंग भता भी दिया जायेगा।

इससे उन लोगों को प्राप्त होने वाली राशि में २५ फीसदी की वृद्धि होगी। अर्थात् सरकार द्वारा निवृत्ति वेतन की शर्तों को उदार बनाने के परिणामस्वरूप काम के अनुसार मजूरी पाने वालों (पीस-रेटर्स) को, चाहे वे किसी भी स्थान पर हों २५ फीसदी लाभ होगा।

इस प्रकार सरकार ने वेतन स्तर, वैज्ञानिक तथा नैमेत्तिक श्रमिकों को रखने की पद्धति का अंत करने तथा वेतन निवृत्ति लाभ देने के सम्बन्ध में सरकार ने यथासंभव उदारता से काम लिया है। निसंदेह वे महत्वपूर्ण और मेहनत का कार्य कर रहे हैं। हमारे नेता भी अपने तरीके से मेहनत में लगे हुये हैं। श्रमिकों का उत्पादन बढ़ने पर वे हड़तालों की संख्या भी बढ़ाना चाहते हैं। वस्तुतः उनकी मांगें प्रस्तुत किये जाने से हम उत्तेजित नहीं होते हैं। तथापि उकसाने वाले शब्दों के कहने से कोई लाभ नहीं होता है। हमें समझौता कराने वाले, सहानुभूति और उदार शब्दों का प्रयोग करना चाहियें। सरकार को इस विशेष वर्ग से पूरी सहानुभूति है।

लेकिन नेता लोग उनकी कार्य क्षमता की वृद्धि अपने पर लेना चाहते हैं। यह कोई राष्ट्रीयता या देश भक्ति के फलस्वरूप नहीं हुई है यह काम के अनुसार मजूरी देने की पद्धति लागू करने के कारण हुई है। इसी कारण वे अधिक कार्य करते हैं। एक अपवाद स्वरूप मामले में एक व्यक्ति ने एक ही दिन में ५९ रुपये कमाये। १० रुपये से ५० रुपये कमाना मामूली बात है इन में से सैंकड़ों

तो आय कर देते हैं। इसलिये यह कहना कि संघ या वार्गिक संघ के नेताओं के भाषणों के कारण उनमें उत्तरदायित्व की भावना आई और वे अधिक मेहनत करने लगे तो यह गलत बात है।

श्री अशोक मेहता ने सुझाव दिया है कि एकरूपता का सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिये अर्थात् समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाना चाहिये। बाहर से देखने पर यह सिद्धान्त उचित ज्ञात होता है तथापि किसी भी उद्योग में एकरूपता नहीं है। क्या कलकत्ते के कपड़े के कारखाने के एक मजदूर को उतनी ही मजदूरी मिलती है जितनी कि कानपुर के एक मजदूर को। बम्बई या कलकत्ता में एक कमरे का किराया १० रुपये या २० रुपये प्रति माह है लेकिन कानपुर में २ रुपये या ३ रुपये प्रति माह हो सकता है। अतः इस सिद्धान्त को लागू करना सरल नहीं है। यदि एक श्रमिक को एक स्थान पर अधिक वेतन मिलता है तो क्या हर जगह उसे इतनी ही मजूरी मिले। इस प्रकार एकरूपता से तात्पर्य अधिकतम मजूरी देना होगा। तथापि मेरे विचार से तथा न्यायोचित रूप से भी एकरूपता का तात्पर्य अधिक मजूरी को कम करना और कम मजूरी को बढ़ा देना होता है। जिस से वह एकरूप हो सके। इसका तात्पर्य यह है कि यदि एक ओर पददलित लोगों की अवस्था के सुधार की आवश्यकता है तो दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों को त्याग करने के लिये भी समर्थ होना चाहिये। इसके लिये वे कभी तत्पर नहीं होंगे। इसलिये सरकारी संकल्प में यदि कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है और मजूरी बढ़ाई गई है तो जिन लोगों को अधिक मजूरी मिलती है उनकी मजूरी वही रहेगी। हमें ऐसा करना पड़ा नहीं तो बड़ा गुल-गपाड़ा मच जाता। अतः सभी पत्तनों में तत्काल एकरूपता स्थापित करना बहुत कठिन है संभव है दस बीस वर्ष के अन्दर ऐसा संभव हो सके।

श्री अशोक मेहता और श्रीमती पार्वती कृष्णन ने इस पर विलम्ब से काम करने का आरोप लगाया है। वस्तुतः यह आरोप कि सरकारी कार्य बहुत धीरे धीरे होता है सही है। निसंदेह यदि सरकारी विभाग पूरी गति से कार्य करें तो सभी कठिनाइयां न सही थोड़ी बहुत कठिनाइयां अवश्य दूर हो जायेंगी। तथापि हम शीघ्रता से काम करने में इसलिये समर्थ नहीं हुए कि हमें पत्तन प्रन्यासों पर इस प्रकार का अधिकार नहीं है। इस अधिनियम में भी हमें यह अधिकार नहीं मिला है। हम उन से नीति संबंधी निर्णयों के अलावा किसी संबंध में नहीं कह सकते हैं इस सरकारी संकल्प को क्रियान्वित करने के लिये भी इसे पत्तनों की कार्यकारिणी समिति से मंजूर करवाना होगा। वस्तुतः विलम्ब सरकारी विभागों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। क्या आप यह चाहते हैं कि इन बातों को पत्तन प्रन्यास या सरकारी विभागों के स्तर तक उठाया जाय जिस से वे सभा में बार बार उठाये जा सकें।

भारत के ६ बड़े पत्तनों में तीन पत्तन में प्रन्यास हैं। अतः एकरूपता के लिये या तो हमें पत्तन प्रन्यासों को सरकारी विभागों के स्तर पर लाना होगा या सरकारी विभागों को पत्तन प्रन्यास बनाना होगा। हम इन प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। इसलिये जहां तक सरकार का प्रश्न है हमने अपनी प्रतिज्ञा कायम रखी है।

यदि लाल बहादुर शास्त्री ने एकरूपता लाने का वचन दिया था तो यदि पहिले ५० % एकरूपता थी तो अब ७५ % एकरूपता है। तथापि १०० % एकरूपता लाना इन परिस्थितियों में सम्भव नहीं है। हम अपने वचन से पीछे नहीं हटना चाहते हैं।

यह भी कहा गया है कि प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वचनों का पालन नहीं किया गया। प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि उनके साथ न्याय किया जायेगा। हमने प्रधान मंत्री के वचनानुसार उनके प्रति न्याय करने का भरसक प्रयत्न किया है। हमने उनसे द्वितीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन आने तक प्रतीक्षा करने को कहा था। उस समय अधिक अंशों में एकरूपता लाई जा सकती है।

[श्री स० का० पाटिल]

श्री अशोक मेहता का कथन यह है हमें यह योजना उस सरकारी वर्ग पर लागू करनी चाहिये जो सरकार के लिये लाभ कमा रहे हैं । इस कार्य पर सरकार का एकाधिकार है और सरकार मनमानी दरें निश्चित कर सकती है । कल को नासिक सुरक्षा प्रेस के लोग भी यह कह सकते हैं कि हम ३०० करोड़ रुपये के नोट छापा करते हैं अतः हमारा वेतन बढ़ना चाहिये डाक और तार विभाग से सरकार को प्रति वर्ष दो करोड़ का घाटा होता है । इस तर्क के अनुसार डाकिया यह कहेगा कि वह नासिक सुरक्षा प्रेस में काम करना चाहता है ।

मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि सरकार द्वारा संरक्षित उद्योगों में होने वाला लाभ आवश्यक रूप से श्रमिकों की कार्यक्षमता के परिणामस्वरूप ही नहीं होता है । अतः यह तर्क नहीं किया जा सकता है यह लाभ मजूरों के कारण हो रहा है अतः इसका लाभ मजूरों को मिलना चाहिये जब उन्हें विकास कार्यों के लिये करोड़ों रुपयों की आवश्यकता होती है तो उन्हें ऋण लेना होता है यदि उनके पास रुपया होता तो इसकी क्या आवश्यकता थी । यदि श्री अशोक मेहता देश के मंत्रि-मंडल या नेताओं को यह विश्वास दिला दें कि भले ही अन्य परिस्थितियां कुछ भी हों, किसी उद्योग से होने वाला लाभ श्रमिकों को मिलना चाहिये तो मैं उनसे सहमत हो जाऊंगा ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वस्तुतः यह बात परिवहन और संचार मंत्री के सामर्थ्य से बाहर की बात है । इसलिये ऐसा करना संभव नहीं हुआ । कल को यदि घाटा होगा तो क्या यह सुझाव दिया जा सकता है कि यह घाटा हम श्रमिकों की मजूरी से पूरा करें । ऐसा नहीं किया जा सकता है विशेष प्रकार से संरक्षित व्यापार में होने वाले लाभ को श्रमिकों में वितरित करने वाले लाभ के लिये उदाहरण बनाना उचित नहीं है ।

मेरे माननीय मित्र श्री एन्थनी पिल्ले कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते । उन्होंने हड़ताल की पूर्व सूचना दी थी पर बाद में उसे वापस ले लिया । मैं भी मजदूरों का नेता रहा हूँ पर उतना बड़ा नहीं जितने बड़े वह हैं । हम दोनों जानते हैं कि हड़तालें कैसे की जाती हैं और कैसे उन्हें वापस लिया जाता है । यदि चारो तरफ पूर्ण शान्ति होगी तो मेरे मित्र एन्थनी पिल्ले के लिए क्या काम बाकी रहेगा? फिर असंतोष एक ऐसी बात है जिससे जीवन में चहल-पहल रहती है । पर इसका अर्थ यह नहीं कि श्री एन्थनी पिल्ले सदा असंतुष्ट रहें । मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ । मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि संतोष और असंतोष कई बात पर निर्भर होता है । मैंने जो कुछ बताया है उसके आधार पर मैं श्री एन्थनी पिल्ले के स्थानापन्न प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि उनको स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि सरकार १२५,००० गोदी कर्मचारियों को अधिकतम संतोष देने की जो कोशिश कर रही है उस पर पानी फिर जायेगा ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन ने बताया कि डा० विधान चन्द्र राय ने मुझे कुछ सुझाव दिये थे और मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया । मुझे आश्चर्य है । ऐसी कोई भी बात नहीं है जिस पर मैं डा० विधान चन्द्र राय की बात से सहमत न हुआ हूँ । कलकत्ते में कुछ इस तरह की अफवाह है कि इस हड़ताल के संबंध में मेरे और डा० राय के बीच कुछ मतभेद था । पर यह अफवाह बिल्कुल गलत तथा निराधार है । उन्होंने बदला लेने की बात का उल्लेख करते हुये ४० मामलों का उल्लेख किया । हमने आश्वासन दिया है कि किसी से बदला नहीं लिया जायेगा और मैं उस आश्वासन को पूरा करूंगा । समझौता होने के बाद जो इन ४० व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है उसकी कहानी इस प्रकार है । समझौता हो जाने के बाद कुछ

उत्साही कार्यकर्त्ताओं ने कलकत्ते में एक अपना विजय जलूस निकाला। इस जलूस के सिलसिले में उन्होंने उन लोगों के मुंह पर कालिख पोती और उनके साथ बुरा व्यवहार किया, जिन्होंने हड़ताल के मामले में उनका साथ नहीं दिया था। चूंकि ये सब मामले हिंसा से सम्बद्ध थे अतः वे न्यायालय के सुपुर्द कर दिये गये हैं और अभी उन पर निर्णय नहीं हुआ है। अतः मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। ये मामले किसी को शिकार बनाने के नहीं है। मैं बंगाल के मुख्य मंत्री तथा अन्य पदाधिकारियों से निवेदन करता आया हूं कि यदि हो सके तो इन मामलों पर फिर से विचार कर लिया जाये। पर मुझे बताया गया है कि ये मामले न्यायालय के सुपुर्द कर दिये गये हैं। यदि ये ४० व्यक्ति छूट जायेगें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सभा इस गलत फहमी में न रहे कि यह सारी बातें किसी से बदला लेने के लिए की जा रही हैं या किसी को शिकार बनाया जा रहा है।

मैं श्री अशोक मेहता को आश्वासन देता हूं कि एक रचनात्मक ढंग से ही हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। मेरे सामने भी अनेक रुकावटें हैं और जो कुछ मैंने किया है उससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के आने के पूर्व मैं १९४७ की दर से अधिक वेतन या वेतन-क्रम नहीं दे सकता। नैमित्तिक कार्यों के लिए श्रमिकों को रखने की पद्धति को समाप्त करने के संबंध में अन्य ऐसी सेवाओं को तनिक भी आघात पहुचायें बिना मैं इससे कुछ भी अधिक नहीं कर सकता था। भविष्य निधि तथा उपदान के संबंध में भी मैं अधिक नहीं कर सकता क्योंकि इससे अन्य स्थानों के श्रमिकों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब हमें दूसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद ही हम कुछ कर सकेंगे और उस समय हम अन्य बातों में भी एकरुपता लाने की कोशिश करेंगे।

यह भी कहा गया कि लोगों में बहुत असंतोष है। मैं इन नेताओं से अपील करूंगा कि अन्य बातों के संबंध में असंतोष हो तो कोई बात नहीं पर यदि उसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है तो यह अदेशभक्ति की बात होगी।

माननीय महिला सदस्य ने कहा कि मंत्रियों ने इधर-उधर कहा कि हड़ताल करने वाले लोग अदेशभक्त हैं। किस मंत्री ने ऐसी बात कही मैं नहीं जानता। इस मामले से सम्बद्ध मंत्री मैं हूँ और मैंने ऐसी बात कभी भी नहीं कही। वे सब अच्छे कर्मचारी हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं संघ से और श्री अशोक मेहता से निवेदन करूंगा कि वे अपने सुप्रभाव का सदुपयोग करें। हड़ताल के दौरान भी मैंने यही कहा था पर उस समय मामला मेरे और उनके हाथों से बाहर था। मैं कहना चाहता हूं कि रचनात्मक उपाय से किये जाने वाले किसी भी काम में सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है।

†**श्री अशोक मेहता** : मैंने कनिष्ट मंत्री और वरिष्ट मंत्री दोनों की बात बहुत सावधानी से सुनी है। जहां तक कनिष्ट मंत्री का संबंध है मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हम लोगों को ऐसी किसी भी संस्था के साथ कोई सहानुभूति नहीं है जो हड़ताल की पूर्वसूचना देकर समझौता होने में बाधा डालती हो। श्री राज बहादुर की बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना है।

जहाँ तक वरिष्ट मंत्री का संबंध है मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। एकरूपता लाने की बात के संबंध में उन्होंने कहा कि इस कार्य में १० या २० वर्ष लग जायेंगे। आज से १० या १२ वर्ष पूर्व जो केन्द्रीय वेतन आयोग नियुक्त किया गया था उसने लगभग १

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अशोक मेहता]

वर्ष के समय म वेतन क्रमों की एकरूपता का कार्य पूरा कर दिया था। अब ऐसी क्या कठिनाई है। क्या सरकार इस केन्द्रीय वेतन आयोग के बाद कोई राज्य वेतन आयोग नियुक्त करना चाहती है। यदि ऐसा भी हो तो क्या इस कार्य में २० वर्ष लगेंगे?

दोनों मंत्रियों ने कहा कि गोदी कर्मचारी एकरूपता नहीं चाहते वल्कि अधिकतम चाहते हैं। यह कहना गलत है। पर मैं समझता हूं कि संघ यह चाहता है कि चौधरी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया जाये; वह अधिकतम नहीं चाहता। चौधरी समिति के प्रतिवेदन के निर्देश पदों में पहली बात एकरूपता की थी। अब जब समिति ने सारा मामला सुलझा दिया है तो सरकार चौधरी समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों को मानने को क्यों तैयार नहीं है?

मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रकाशित हो जाने पर वह उन्हें पूर्ण करेंगे। पर मैं जानना चाहता हूं कि वेतन आयोग की सिफारिशें उन पर क्यों लागू की जायेंगी जब उन्हें आयोग के समक्ष अपनी बातें कहने का अवसर नहीं दिया गया। माननीय मंत्री ने मेरी बात को लेकर कहा कि मैं चाहता हूँ कि आश्रित उद्योगों का सारा लाभ मजदूरों को दे दिया जाय। यह बात गलत है मैं स्वयं ऐसी बात नहीं चाहता। बात तो यह है कि चोधरी समिति ने तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी यह बात स्वीकार की है कि ये लोग बहुत कठिन व परिश्रम का काम करते हैं। अतः इन्हें कुछ विशेष लाभ व सुविधायें दी जानी चाहिए। पर सरकार इस बात को नहीं मानती। माननीय मंत्री साहस के साथ मजदूरों के हक का समर्थन क्यों नहीं करते। आपने मजदूरों को जो भत्ता दिया है वह बम्बई और मद्रास में ८० से १०० रु० तक है। वह भी २० या ३० वर्ष में।

अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री श्री एन्थनी पिल्ले का संशोधन न स्वीकार करें वल्कि मेरे सुझाव को मानें कि समस्या का हल ढूंढ़ने के लिए कोई मध्यस्त नियुक्त किया जाये। माननीय मंत्री को स्मरण होगा कि कलकत्ते के मजदूरों के मामले में न्यायाधिकरण भी कुछ निर्णय नहीं कर पाया था तब मामला जीजीभाई को सौंपा गया जिसने मामले को हल कर दिया। यह मामला ऐसा है जिस पर समझौता हो सकता है। यदि माननीय मंत्री चाहें तो मंत्रिमंडल को यह बात समझा भी सकते हैं। पर कठिनाई तो यह है कि वह चाहते ही नहीं। यदि वह अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिये तैयार हों तो मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं इस मामले में जितना कुछ भी कर सकूंगा, अवश्य करूंगा। सारी सभा की ओर से तो नहीं पर कम से कम श्री एन्थनी पिल्ले की ओर से मैं माननीय मंत्री को विश्वास दिलाता हूं कि यदि माननीय मंत्री समझौते के लिए ४९ प्रतिशत आगे बढ़ेंगे तो श्री एन्थनी पिल्ले ५१ प्रतिशत आगे बढ़ने को तैयार हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : किस संशोधन को मतदान के लिए रखा जाये?

†**श्री एन्थनी पिल्लै** : संशोधन संख्या १ को।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा कल तक के लिए स्थगित होगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २८ अगस्त, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, २७ अगस्त, १९५८]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . .	१५०५—३२

तारांकित

प्रश्न संख्या

५६३	भारत–पाक सीमा विवाद	१५०६
५६४	एंटीबायोटिक्स	१५०६–०७
५६६	नमक उद्योग .	१५०७–०८
५६७	अमेरिका के साथ वस्तु विनिमय	१५०८—१०
५६८	पोधों में रेडियोधर्मिता . . .	१५१०–११
५६९	फाजिल्का के निकट भारतीय पुलिस पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस का आक्रमण . .	१५११–१२
५७०	तालचर की विलियर्स कोयला खान	१५१२—१४
५७३	चाय के निर्यात पर उपकर .	१५१४—१६
५७४	पेटेंट ओषधियों और बच्चों के खाद्य पदार्थों के मूल्य .	१५१६—१८
५७५	सलफा ओषधियों का निर्माण .	१५१८–१९
५७६	शेख अबदुल्ला की गिरफ्तारी	१५१९–२०
५७८	सरकारी इमारतों की सजावट	१५२०–२१
५७९	उर्वरक का आयात	१५२१–२२
५८०	रूरकेला परियोजना	१५२२–२३
५८१	पटसन उद्योग .	१५२३–२४
५८३	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन	१५२४–२५
५८६	खारे पानी के स्रोते .	१५२५
५८८	कपास का आयात .	१५२६—२८
५८९	पश्चिमी जर्मनी के साथ व्यापार	१५२८–२९
५९४	शक्ति चालित करघों का निर्यात	१५२९
५९६	अल्युमिनियम फैक्टरी, सैलम (मद्रास)	१५२९—३१
५९७	केन्द्रीय श्रम संस्था, बम्बई	१५३१
५९८	सीमावर्ती घटनायें	१५३१–३२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१५३२—७४
तारांकित प्रश्न संख्या		
५६१	लौह अयस्क का निर्यात	१५३२–३३
५६२	बर्मा के साथ प्रत्यर्पण सन्धि	१५३३
५७१	गुड़ की मंडी के विस्थापित परिवार	१५३३–३४
५७२	प्रलेखीय चल–चित्र	१५३४
५७७	सामुदायिक रेडियो सेट	१५३४
५८२	मोटर गाड़ियों की बेटरियां	१५३४–३५
५८४	विस्थापित व्यक्तियों के दावे	१५३५
५८५	भारत का राज्य व्यापार निगम	१५३५–३६
५८७	पाकिस्तान में पुस्तकों की जब्ती	१५३६
५९०	जल प्रांगण	१५३६
५९१	बम्बई में छोटे पैमाने के उद्योग	१५३६
५९२	होजरी माल निर्यात संवर्धन परिषद्	१५३७
५९३	इत्तमनूर में कर्मशाला (वर्कशाप)	१५३७
५९५	श्रमिक अधिनियम	१५३७
५९९	नागा विद्रोहियों का बर्मा भाग जाना	१५३८
६००	पहाड़ी प्रदेशों के लिये योजना बनाने वाली समिति	१५३८
६०१	पाकिस्तान के हरिजन	१५३८–३९
६०२	उत्तर–पूर्वी सीमान्त अभिकरण में खाद्यान्नों का गिराया जाना	१५३९
६०३	बिजली के भारी उपकरणों का कारखाना, भोपाल	१५३९
६०४	अम्बर चर्खा कार्यक्रम	१५४०
६०५	कृषि मशीनों के पुर्जे	१५४०
६०६	गोआ से विस्थापित व्यक्ति	१५४०
६०७	राज्य गृह–निर्माण वित्त निगम	१५४१
६०८	भारत–पाक सीमा विवाद	१५४१
६०९	रुपयों में भुगतान	१५४२
६१०	मोटर गाड़ियों के आयात लाइसेंस	१५४२
६११	गोदी श्रमिक बोर्ड	१५४२–४३
६१२	कर्मचारी भविष्य निधि योजना के न्यासियों का केन्द्रीय बोर्ड	१५४३
६१३	डा० क्वामे नक्रुमा की भारत यात्रा	१५४३–४४
६१४	चिनाकुरी खान दुर्घटना	१५४४
६१५	मूंगफली और मूंगफली का तेल	१५४४–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
६१६	भारत सेवक समाज . .	१५४५
६१७	औद्योगिक बस्ती, इत्तुमनूर (केरल)	१५४५
६१८	दिल्ली में अभिरक्षक के अधीन मकान	१५४६
६१९	सीमा दुर्घटनायें .	१५४६
६२०	पश्चिमी बंगाल में नारियल जटा गवेषणा	१५४७
६२१	उपभोक्ता वस्तुएं	१५४७
६२२	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	१५४७
६२३	'कापीराइट' करार	१५४८
६२४	ग्राम्य औद्योगिक बस्ती	१५४८
६२५	राष्ट्रीय विकास परिषद्	१५४८-४९
६२६	कहवे में अपमिश्रण	१५४९
६२७	सूत का निर्यात .	१५४९
६२८	विस्थापित ठेकेदारों के दावे .	१५५०
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
९५४	परिसमापन कार्यवाही . .	१५५०
९५५	बम्बई में शक्तिचालित करघों वाली मिलों का बन्द हो जाना	१५५१
९५६	न्यूनतम मजूरी अधिनियम .	१५५१
९५७	त्रिपुरा में सतचन्द शरणार्थी बस्ती	१५५१
९५८	परियोजनायें .	१५५२
९५९	राजस्थान में विस्थापित व्यक्ति . .	१५५३
९६०	राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योग	१५४३
९६१	राजस्थान में कपड़े की मिलें	१५५३-५४
९६२	राजस्थान में कुटीर उद्योग	१५५४
९६३	खादी सहकारी समितियां	१५५४
९६४	स्थानीय विकास कार्य . .	१५५४-५५
९६५	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	१५५५
९६६	भारत का निर्यात व्यापार . .	१५५५-५६
९६७	सीमेंट के कारखानों में श्रम सम्बन्धी विवाद . .	१५५६
९६८	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भूदान वाली भूमियां . . .	१५५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर— (क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
९६९	भारत–पाकिस्तान सीमा विवाद .	१५५७
९७०	अमरीका को भारतीय फिल्मों का निर्यात .	१५५७-५८
९७१	मेषजीय उद्योग	१५५८
९७२	सिलाई की मशीनें	१५५८
९७३	भारतीय साइकिलें	१५५८-५९
९७४	चन्दन का तेल .	१५५९
९७५	कर्मचारियों के लिये 'अवकाश गृह' .	१५५९-६०
९७६	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, मैसूर	१५६०
९७७	जनशक्ति	१५६०
९७८	ताड़ गुड़ उत्पादन .	१५६०-६१
९७९	पंजाब में पंजीबद्ध कंपनियां	१५६१
९८०	पंजाब में हथकरघा उद्योग	१५६१
९८१	कपड़ा उत्पादन .	१५६१-६२
९८२	हस्तशिल्पों का विकास . .	१५६२
९८३	पाकिस्तानियों का भारतीय ग्राम लोदरानी पर आक्रमण	१५६३
९८४	राज्य उपक्रमों का नामकरण	१५६३
९८५	कपड़ा मिलें	१५६३
९८६	सरकारी उपक्रम .	१५६३-६४
९८७	गोमांस का आयात . .	१५६४
९८८	पूसा इंस्टीट्यूट . . .	१५६४-६५
९८९	रोजगार–ढांचा सर्वेक्षण	१५६५
९९०	सीमान्त आक्रमण . .	१५६५
९९१	पाकिस्तानी राष्ट्रजन की गिरफ्तारी	१५६६
९९२	कुटीर तथा ग्रामोद्योगों का विकास .	१५६६
९९३	लेबनान से निष्क्रान्त भारतीय .	१५६६-६७
९९४	बुनकर सहकारी समितियां .	१५६७
९९५	काजू	१५६७-६८
९९६	अखिल भारतीय निर्माता संघ, आसाम	१५६८
९९७	विटामिनों का आयात	१५६८-६९
९९८	आसाम के उद्योग	१५६९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९९९	काम दिलाऊ दफ्तर	१५६९
१०००	कारों का निर्माण	१५७०
१००१	चमड़ा उद्योगों के बारे में अखिल भारतीय गोष्ठी . .	१५७०
१००२	सीमेंट का उत्पादन	१५७०
१००३	जापान के साथ व्यापार . .	१५७०
१००४	भारत का आयात व्यापार . .	१५७१
१००५	लेखकों को पारिश्रमिक . .	१५७१
१००६	पंजाब में हस्तशिल्प प्रशिक्षण योजना .	१५७१
१००७	पंजाब में खादी उत्पादन .	१५७१–७२
१००८	आंध्र में बेरिल का सर्वेक्षण . .	१५७२
१००९	त्रिपुरा पर पाकिस्तानी हमले . . .	१५७२–७३
१०१०	तुकेग्राम गांव पर पाकिस्तान का कब्जा . .	१५७३
१०११	कृत्रिम रेशम का धागा	१५७३–७४
१०१२	नेपा अखबारी कागज कारखाना . . .	१५७४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		१५७४–७५

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये—

(१) अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा अधिग्रहण अधिनियम, १९५२ की धारा २२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा अधिग्रहण नियम, १९५३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २ अगस्त, १९५८ की अधि–सूचना संख्या जी० एस० आर० ६५४ की एक प्रति।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति:—

(एक) पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों के बारे में श्री पी० सी० चौधरी द्वारा की गई जांच का प्रतिवेदन।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या २३—पी० एल० एस० (८७)।५८, दिनांक २१ जुलाई, १९५८।

(३) मैसर्ज जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध ले लेने के बारे में दिनांक १५ मई, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८६७ (एस० ओ० संख्या ९७१ दिनांक ३१ मई, १९५८ द्वारा संशोधित)।

(४) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का प्रबन्ध और

सभा पटल पर रखें गयें पत्र (क्रमशः) **विषय** **पृष्ट**

निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७००ए की एक प्रतिः—

(५) विभिन्न सत्रों में जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दियें गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रतिः—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या ६ — दूसरी लोक–सभा का चौथा सत्र १९५८।

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ८ — दूसरी लोक–सभा का तीसरा सत्र १९५७।

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या १४ — दूसरी लोक–सभा का पहला सत्र, १९५७।

राज्य-सभा से सन्देश १५७५

सचिव ने राज्य-सभा से दो सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी कि राज्य–सभा ने २५ अगस्त, १९५८ की अपनी बैठक में निम्नलिखित विधेयकों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है:—

(१) १२ अगस्त, १९५८ को लोक-सभा द्वारा पारित किया गया अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक, १९५८।

(२) १८ अगस्त, १९५८ को लोक-सभा द्वारा पारित किया गया दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५८।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित १५७५

सरदार हुक्म सिंह ने बनारस विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया।

विधेयक पारित . . . . . १५७६—८६

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) ने व्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के बाद विधेयक संशोधित रूप में, पारित हुआ।

विधेयक विचाराधीन . . . . १५८६—९६

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) ने कन्द्रीय बिक्री के (दूसरा संशोधन) विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्डवार विचार

विधेयक विचाराधीन (क्रमशः) विषय पृष्ठ

समाप्त हुआ। विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित करने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त नहीं हुई।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों पर चौधरी समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . . . १५९६—१६१२

श्री अशोक मेहता ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों के संबंध में चौधरी समिति के प्रतिवेदन तथा २१ जुलाई, १९५८ के सरकारी गजट में प्रकाशित तत्सम्बन्धी सरकारी संकल्प पर विचार किया जायें। श्री एन्थनी पिल्ले का एक स्थानापत्र प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। श्री अशोक मेहता के उत्तर के पश्चात् चर्चा समाप्त हुई।

गुरुवार, २८ अगस्त, १९५८ के लिये कार्यावलि—

कन्द्रीय बिक्रीकर (दूसरा संशोधन) विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार, औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक पर तथा सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार तथा उन्हें पारित करना।

———